राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

खंड : 2] दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 8

शुक्रवार,

4 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

आबादी पर रोक हेतु नीति निर्धारण

196. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए अगले पंचायतों के चुनावों में ऐसे ही व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिए उपयुक्त समझा जाने वाला है जिनका परिवार सीमित होगा ?

(2) क्या राज्य सेवा में भर्ती व पदोन्नति में भी इसी भावना के तहत किसी प्रकार की नीति निर्धारित किये जाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इसको कब से, किस प्रकार लागू करने का सरकार का विचार है ?

(3) क्या भविष्य में सरकारी ऋण व सहायता प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार की ऐसी ही नीति निर्धारित करने का सरकार विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) यह सही है कि बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए पंचों के चुनाव में सीमित परिवार को प्रोत्साहन हेतु राजस्थान पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1992 के द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा-11 का संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति पंच के रूप में निर्वाचन तथा नियुक्ति के योग्य नहीं होगा।

यह संशोधन 17 जून, 1992 से लागू हुआ। इस तारीख अर्थात् 17 जून, 1992 को जिसके दो से अधिक संतान हैं (उक्त तारीख से एक वर्ष के भीतर जन्मी संतान को छोड़ कर) वह तब तक अयोग्य नहीं होगा, जब तक उक्त तारीख को रही उसकी संतान की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

(2) कार्मिक विभाग के अनुसार राज्य सेवा में भर्ती एवं पदोन्नति के लिए सीमित

Page No.2

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परिवार की भावना के तहत किसी प्रकार की नीति निर्धारण किये जाने का मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) वित्त (नियम) विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों को वाहन अग्रिम/भवन निर्माण अग्रिम/त्योहार अग्रिम आदि के नियम प्रचलित किये गये हैं। वर्तमान में उपर्युक्त नियमों में ऐसा प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त कृषि, सहकारिता व उद्योग विभागों में भी इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान की सबसे प्रमुख समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या को बताया है, राज्यपाल के अभिभाषण में भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के बारे में विवरण दिया और जो उत्तर मिले हैं, इस गम्भीर मुद्दे के ऊपर, जिसको मुख्य मंत्रीजी ने सबसे गम्भीर मुद्दा माना है उसमें पहले राजस्थान की जनसंख्या को रोकने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंचों की बात करी थी जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए ग्राम पंचायत के मैम्बर को रोका जायेगा और उसके माध्यम से राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगेगी, यह सरकार का सोच है। जो चीज आप करना नहीं चाहते हैं उसको यहां सदन में इस प्रकार से हल्के ढंग से कह कर कम से कम इस समस्या की गम्भीरता पर तो वार न करें। यह गम्भीर समस्या आगे जाकर राजस्थान के लिए चुनौती बन जाएगा, उससे समस्या और बढ़ेगी। मेरा प्रश्न यह है, क्या माननीय मंत्रीजी यह महसूस करते हैं कि दो बच्चे वाला ही पंच का चुनाव लड़ेगा उससे राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि रुक जायेगी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में नया पंचायत राज बिल आने वाला है। वर्तमान में राजस्थान पचायत एक्ट, 1953 के सैक्शन-11 में जो संशोधन किया है उसके अनुसार तो सिर्फ पंचों पर ही यह रोक लगायी है। परन्तु जो बिल आ रहा है उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, सरपंचों और दूसरे लोगों को भी सम्मिलित किया गया है। पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान ने पहल की है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद् की जो उप समिति बनी, जिसके अन्दर हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी भी सदस्य थे उस समिति की जो सिफारिशें हैं उसके अनुरूप जो नया बिल आ रहा है उसके अन्दर इन भावनाओं को भी निहित करने की योजना है। वर्तमान में जो स्थिति है वह मैंने माननीय सदस्य को अवगत करायी है।

श्री भरत सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मेरा सीधा-सा प्रश्न यह है कि क्या पंचों के ऊपर पाबन्दी लगाने से राजस्थान की जनसख्या वृद्धि पर रोक लगेगी ?

श्री अध्यक्ष : कुछ तो कम होगा ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जनसंख्या वृद्धि के बारे में माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की

Page No.3

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, वास्तव में बात चिन्ताजनक है। यह एक प्रयास है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए दूसरे प्रयास भी विभाग कर रहा है। इसके माध्यम से एक इस तरह की भावना-विभाग ने जाहिर की है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उसकी जानकारी दे दी जाए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं। परसराम जी, आप बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न भावना का नहीं है। प्रश्न जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की व्यापक नीति के सम्बन्ध में है। क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे, Section II of the Rajasthan Panchayat Act. में केवल पंचों के ऊपर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने से राजस्थान के जितने भी परिवार हैं, पंचों के परिवार, उसमें क्या पर्सेण्टेज आ रही है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने प्रधानों के, सरपंचों के....

श्री अध्यक्ष : मैं एक थोड़ा-सा निवेदन करूं। पंचों के अलावा उसमें वह सभी उम्मीदवार हैं जो पंच बनना चाहते हैं। पंच तो एक बनेगा मगर हो सकता है कि उम्मीदवारी के लिए पचास आदमी मन में विचार करें। They are also covered.

श्री परसराम मदेरणा : Mr. Speaker Sir, where Angels fear to tread. Sometimes, you know, the people rush in. राजस्थान सरकार कोई न कोई आयाम कायम करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ आने के लिए, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया हिन्दुस्तान में जनसंख्या के मामले में और वह भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। साक्षरता में दोनों डिस्ट्रिक्ट आगे, 85 पर्सेण्ट लोग अंगूठा लगा रहे हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इवेल्यूएशन होना चाहिये, सदन की एक कमेटी बैठायी जानी चाहिये। साक्षरता का जो मामला है, अभी यह तय किया गया है, अभी मीटिंग में मुख्य मंत्रीजी थे....

श्री अध्यक्ष : अभी तो फैमिली प्लानिंग चल रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेण्ट मैटर है,

श्री अध्यक्ष : हां, तो फैमिली प्लानिंग का भी इम्पोर्टेण्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : उस समय मुख्य मंत्रीजी ने हमारा इतना ज्ञानवर्द्धन किया कि समस्या एक है और हम भी मानते हैं समस्या एक है। मैंने भी मेरे भाषण में कहा कि मुल्क की problem number one is the population explosion.

श्री अध्यक्ष : श्री शेखावत।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह केवल पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव होने वाले

Page No.4

(श्री परसराम मदेरणा)

थे और 12 महीने थे, आपने जून 17 से 12 महीने के बीच में अगर किसी के बच्चा, बच्ची उत्पन्न हो जाता है तो उसको मौका दिया था कि आप प्रोक्रियशन की तरफ बढ़िये।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब अब चुनाव होंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अब जो नया कानून आ रहा है और नया कानून बनने के बाद मान लो 365 से साढ़े 365 दिन हो गये, कुछ 15–20 सैकण्ड, मिनट ऊपर निकल गये तो आप उसका कैसे करोगे कि इसके 12 महीने बाद में हुआ है। अभी इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक मीटिंग बुलाई थी, मुख्य मंत्रीजी भी वहां पर गये थे, उसमें इस पर व्यापक चर्चा हुई है और इन प्रावधानों के सम्बन्ध में चर्चा हुई है। इसलिए केवल पंचायत राज के लाइकली इलेक्टेड मैम्बर्स पर ही आप यह प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं इससे आप जनसंख्या की बढ़ोतरी राजस्थान में कम कर देंगे, मैं यह समझता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसमें एल. एल. ए. को भी शामिल करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें एम.एल. ए. पर सबसे पहले लागू कीजिये और यह होना चाहिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी और हमारी उम्र तो हो गयी।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये। मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर फैमिली प्लानिंग पर सबसे पहले....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बूढ़े बूढ़े....

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस व्यापक प्रश्न को उस संदर्भ में लिया जाना चाहिए, न कि डेट से। कोई अवधि से आप इस समस्या का समाधान कर सकेंगे, मैं इस पर प्रश्न चिह्न लगाता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शेखावत जी।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप यह जो लागू करने जा रहे हैं, पहली बात तो आपने इसका असेसमेंट किया है क्या या सस्ती लोकप्रियता के लिए ही एक नारा दे दिया है? यदि आपने असेसमेंट किया है तो आप बताने की कृपा करें कि हर साल कितने पर्सेण्ट लोगों की वृद्धि को आप इस नये आदेश से रोक पायेंगे? दूसरा, अध्यक्ष जी ने भी फरमाया कि मान लो 50 लोग पंच का फार्म भरते हैं। जैसी मुझे जानकारी है, पंच का फार्म भरने के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है। जीतने के वक्त उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और जीतने के बाद साल भर तक आगे दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे इस बात की गारण्टी देनी होगी, वरना डिसक्वालीफाई होगा। इसलिए केवल चुने हुए लोगों पर ही लागू होगा, उन पचास फार्म भरने वाले लोगों पर लागू नहीं हो पायेगा। आपने कितने

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

पर्सेण्टेज लोगों का नये जन्म रोकने के लिए असेसमेंट किया है ? इसको क्लियर करवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका क्या सम्बन्ध है ?

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य विभाग से है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री नाथूसिंह) : This is a joint responsibility, Sir.

श्री परसराम मदेरणा : वे जवाब दे सकते हैं। जवाब कोई भी दे सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि आप केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं या आपने असेसमेंट किया है ? स्वास्थ्य विभाग कितने होने वाले नये बच्चों को रोक पायेगा ?

श्री भरतसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब, स्वास्थ्य मंत्री····

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आप बैठिये। मैं आपको जो जवाब आया है उसके शब्द पढ़ कर सुनाता हूं जिसके अनुसार दो से अधिक सन्तान वाला व्यक्ति पंच के रूप में निर्वाचन अथवा नियुक्ति के योग्य नहीं होगा। It applies to all the candidates who file the nominations It doesn't apply only for those Members who are elected. इसलिए यह सब पर एप्लाई करेगा, जो भी केंडीडेट बनेंगे। खैर, अब मंत्रीजी जवाब देंगे। पंचायत मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पंचायत मंत्री जी कैसे दे सकते हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है, सर, जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : जो बच्चे पैदा हुए हैं यदि एक-एक डिलीवरी में 5-6 बच्चे पैदा····

श्री अध्यक्ष : अब आपने सवाल पूछा है, आपको सवाल मिलना चाहिए ना। जवाब दे रहे हैं। उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसलिए जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) अब आप एक तो बताइये मुझे, इस प्रश्न को कितना चलाना है ? मैं उतना ही चलाने के लिए तैयार हूं। आप तय कर लीजिये, जितना कहें चला दूंगा मैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक-दो और पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, फिर ठीक है ना। जितने आप कहेंगे उतना ही चला दूंगा। यही पूछना चाहता था, क्योंकि सब हाथ उठा रहे हैं।

Page No.6

श्री परसराम मदेरणा : यह आपके विवेक पर है कि कितना समय लेना चाहिये, प्रश्न के महत्व को देखते हुए।

श्री अध्यक्ष : बात यह है, देखिये, जब प्रश्न पर वाक्-आउट्स होते हैं जो मेरे ख्याल से हाउस की गरिमा के विरुद्ध है। It is a breach of privilege also. I can cite hundreds of cases. To walk out is a breach of privilege. इसलिए प्रश्न पर जब यह बातें होती हैं तो हाउस से मेरा पूछना जरूरी है इसलिए पूछ रहा हूं, और कोई मतलब नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में कई दफा प्रश्न अवर में मैं गया हूं। सिर्फ दो-दो प्रश्न आते हैं। Only two questions.

श्री अध्यक्ष : इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि अपने को अच्छी परम्परा डालनी है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए प्रिविलेज की बात तो हमको फंसाना चाहते हैं तो फंसा दीजिये आप लेकिन मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : मैं तो जो कानून है वह बता रहा हूं। देखिये, नियमों का पालन आप करें या न करें, आपकी मर्जी है। आपके बनाये हुए नियम हैं और आपने इसलिए बनाये हैं और मुझे इसलिए बैठाया है कि उन नियमों का पालन आपसे कराऊं। यह आपका और हमारा इण्टरनल मामला है। यह कोई आउट साइडर्स नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नियमों के पालन के अलावा क्वेश्चन के महत्व को देखते हुए सप्लीमेंटरी एक-दो अगर पूछे जाते हैं तो आपको....

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं आप लोगों की इच्छा से ही यह सब कर रहा हूं। आप नहीं चाहें, यदि आप यह चाहें एक ही प्रश्न हो तो I have got no objection to want to take one question for an hour. I have got no objection to it. जहां तक सवाल का प्रश्न है, देखिये, फैमिली प्लानिंग के मामले में इम्पोर्टेन्स न सरकार मना कर सकती है, न आप मना कर सकते हैं और उसके बाद में आपको क्या विचार करना है, हो जाएगा, आगे चलिये, श्री परसादी लाल मीणा।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था कि कितना पर्सेन्ट रोक पायेंगे स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : हो जाएगा। हां, निकाल देंगे।

सिवाय चक भूमि का कृषकों को आवंटन

197. **श्री परसादी लाल मीणा :** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सिवाय चक भूमि को किसानों को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री परसादी लाल मीणा)

(2) तहसील लालसोट में किस-किस ग्राम पचायत में कितनी-कितनी भूमि सिवाय चक आवंटन योग्य है ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : चलियें। माननीय मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) तहसील लालसोट की 20 ग्राम पंचायतों में 559 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवटन योग्य उपलब्ध है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे प्रश्न को पढ़िये। मैने यह पूछा था, इन्होंने कह दिया, जी हां। मैंने नीचे पूछा, यदि हां, तो कब तक। जो जमीन सिवाय चक है, जिसको आप आवटित कर सकते है आपने उसका कोई समय नहीं बताया। सारी जमीन पर 5-5, 10-10 साल से लोग कांश्त कर रहे हैं उनकी फसलों को जब्त करते हैं। पटवारी वगैरह उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो आप कोई अभियान चला कर या किस तरह उनको आबंटन करने का विचार रखती हैं।

दूसरे खण्ड में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या 20 पंचायतों के अलावा और जमीन आबंटन योग्य नहीं है ? क्या इसमें जो सीलिंग से अवाप्त भूमि थी यह भी शामिल है ? यदि नहीं है, तो लालसोट तहसील में सीलिंग से जो अवाप्त भूमि है वह कितनी उपलब्ध है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आवंटन का कार्यक्रम विधान सभा सत्र खतम होते ही आरम्भ कर दिया जाएगा। वैसे फरवरी में अभी पिछले महीने ही दिनांक 16 फरवरी, 1994 को दो पंचायतों में अलाटमेंट किया गया। यह कार्यक्रम हाथ में ले लिया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान आवंटन पर रोक लगा दी गयी थी और रोक हटते ही यह आवंटन कार्यक्रम शुरू कर दिया। गर्मियों में और शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, सीलिंग की जमीन इसमे शामिल नहीं है। यह जो भी है 559 बीघा, यह है राजकीय पड़त भूमि। सीलिंग की जमीन का अलग है। यह 569 बीघा है तो इसका कार्यक्रम जिस प्रकार हमेशा लिया जाता है, सितम्बर में तो लिस्ट बन जाती है और सितम्बर से लेकर के जून 30 तक आबंटन का कार्यक्रम ले लिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : जून तक का हो जाता है। (व्यवधान) उनका दूसरा सवाल है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा था कि क्या सरकार कोई अभियान चला कर....

श्री अध्यक्ष : कह दिया, जून तक आवंटन कर देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, यह अधिसूचना

(श्री परसादीलाल मीणा)

जारी कर देते है वहां कोई कोरम होता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इन्होंने कहा, जून तक कर देंगे ।

श्री परसादीलाल मीणा : जून तक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, कहा है न इन्होंने ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जन प्रतिनिधि, एम. एल. ए. को भी अलाटमेंट कमेटी में अनिवार्य रूप से बुलाया जाएगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये । आर्डर प्लीज । आप पूछिये । जवाब देंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : प्रश्न माकूल है क्योंकि जन-प्रतिनिधि न तो अब सरपंच हैं—

श्री अध्यक्ष : हां, वह जवाब देंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय, सुनिये, न तो जन-प्रतिनिधि सरपंच हैं····

श्री अध्यक्ष : परसरामजी पूछ रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : परसरामजी के आ जाएंगे । न प्रधान हैं, न प्रमुख हैं, न सरपंच हैं । क्या माननीय मंत्री महोदय अलाटमेंट कमेटी में विधायक की उपस्थिति अनिवार्य करेंगे ? जब तक वह उपस्थित नहीं हो तहसीलदार उसका अलाटमेंट नहीं करें । मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि एम. एल. ए. की उपस्थिति अनिवार्य हो । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । परसरामजी ।

एक माननीय सदस्य : विधायक कमेटी का मैम्बर होता है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैम्बर तो है परन्तु उसकी उपस्थिति अनिवार्य है । उसकी मौजूदगी में ही अलाटमेंट होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, बिराजिये । यह हो गया, जवाब आ रहा है । बैठिये आप । परसरामजी पूछ रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : मंत्री महोदय मेरा प्रश्न यह है कि जब से आप राजस्व, विभाग का कार्यभार सम्भाला है, रेवेन्यू लॉज के सरलीकरण के बारे में आपने 12 स्टेटमेंट दिये हैं और आपने नगरीय क्षेत्रों के अन्दर जो अतिक्रमण अन-आथराइज्ड हैं ,उन अतिक्रमणों को रेगूलराइज करने के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया है, क्या राज्य सरकार राजस्व विभाग में इस प्रकार के जो अतिक्रमण सिवाय चक भूमियों पर हैं, काम्प्री हैं सिव पॉलसी बना करके निर्देश देने का विचार रखती है ? आप शहरों के बारे में इतने चिन्तित थे जिसमें 5 कानूनों के अन्दर आपने रिलेक्सेशन किया है । गांवों के जो लोग 10-10, 15-15 सालों से भूमियों पर बैठे हैं, सिवाय चक भूमियों पर अवस्थित हैं, कानून के सम्बन्ध में आपने जो प्रतिबन्ध हटाये हैं और जगह-

Page No.9

(श्री परसराम मदेरणा)

जगह कानून में आपने ढील दी है तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों से उस सम्बन्ध में निर्देश देने का सरकार कोई विचार रखती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न यह था कि माननीय सदस्य, एम. एल. एज. की उपस्थिति अनिवार्य रख दी जाए। अध्यक्ष महोदय, अब तक नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है और नियमानुसार एम. एल. एज. को नोटिस दिया जाता है, सर्टिफिकेट से दिया जाता है और 7 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है। एम. एल. एल. उपस्थित होते हैं और ख्याल यह रखा जाता है क्योंकि जन-प्रतिनिधि दूसरा कोई चुना हुआ है नहीं इसलिए एम. एल. ए. उपस्थित हो तभी यह आवंटन करें। यह तो ख्याल रखा ही जाता है।...

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं रखा जाता। (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : लेकिन अनिवार्य किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

दूसरा सवाल रेगूलराइज करने के सम्बन्ध में आया। अध्यक्ष महोदय, जहां नाजायज कब्जे कृषि प्रयोजनार्थ किये गये हैं, उनको रेगूलराइज करने के सम्बन्ध में पिछली बार सरकार ने आर्डर जारी कर दिया था। 15-7-84 के पहले के जो भूमिहीन लोग हैं, सिवाय चक भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध हो, ऐसी भूमि पर यदि नाजायज कब्जे है तो वह रेगूलराइज कर दिया जाएगा। वह इस आवंटन के साथ ही कार्यक्रम चल रहा है वह ले लिया जाएगा। वह राष्ट्रपति शासन में बन्द था, अब फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

अब रहा सवाल आदमी हेतु या वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दूसरे जो कब्जे हैं उनके नियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप कुछ भी नहीं लिखेंगे इनका।

मैं आपको मावलंकर जी की एक रूलिंग पढ़कर सुनाता हूं। जो हमारे हिन्दुस्तान के प्रथम स्पीकर हैं उनकी रूलिंग पढ़कर सुनाना चाहता हूं और इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जब मैं आपको एक-एक करके बुला रहा हूं और आप दस खड़े हो जाते हैं और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : मावलंकर जी के बाद तो कितने ही चुनाव हो गये।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या तुक है आप दस जने खड़े होकर एक साथ सवाल पूछ रहे हैं। यह तुक क्या है ? यह तुक क्या है, समझाइये आप, मैं जब बोल रहा हूं। यह डेकोरम है ? इसमें यह लिखा है श्री मावलंकर जी ने कि 'विट्ठलभाई पटेल, जो पहले स्पीकर थे श्री मावलंकर जी....

× × × माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह प्रश्न-काल है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल की ही कह रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रश्नकाल में आप रूलिंग दे रहे हैं। टाइम खराब होता है तो हमारे तो क्वेश्चन ही रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं जब खड़ा हूं, माननीय सदस्य, आप बैठिये। मैं जब बोल रहा हूं तो दस-दस जने खड़े होकर बोलते हैं। मैं बुला रहा हूं। आपने ही इसमें पांच मिनट खराब कर दिये हैं। तो आप क्यों खड़े होते हैं दस-दस? मैं एक-एक को बुला ही रहा हूं। मैंने मना तो किसी को किया नहीं है। अब आप एक साथ खड़े होकर टाइम बरबाद करते हैं। न तो मैं सुन सकता हूं, न यह सुन सकते हैं और न मंत्री जी को सुनाई देता है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं निकला।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है, नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : अब यह सवाल था उस पर जवाब आ गया। आपने पूछा, आपने और उसका जवाब उन्होंने दे दिया। अब होता है या नहीं होता है इसका डिसीजन तो यहां होना नहीं है। यह सिद्धान्तः उन्होंने मान लिया कि एम. एल. ए. वहां रहेगा और एम. एल. ए. की उपस्थिति में अलाटमेंट होगा। इसके बावजूद आप कह रहे हैं नहीं होना है तो होगा। जब सरकार ने कमिट किया है कि एम. एल. ए. वहां रहेगा और एम. एल. ए. की उपस्थिति में ही अलाटमेंट होगा तो होगा....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री जी ने कहा कि यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये। अब बिराजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब पंचायत और पंचायत समिति का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि इस कमेटी का सदस्य नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यह निर्देश सरकार जारी कर देगी कि एम. एल. ए. की उपस्थिति में ही आवंटन किया जाए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री शांतिकुमार धारीवाल।

वाहन प्रदूषण नियन्त्रण

198. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदूषण नियन्त्रण करने हेतु सभी प्रकार के वाहनों में प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगवाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

(2) क्या प्रदूषण नियन्त्रण के लिए वाहनों के बावत कानूनी प्रावधानों में परि-वर्तन करना प्रस्तावित है?

पर्यावरण मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) वाहनों में प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। वाहनों द्वारा फैलाये जा

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को स्मोक मीटर एवं गैस एनालाइजर उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

(2) जी नहीं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, यह तो खानापूर्ति हुई बाकी कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। आप खुद भी रोजाना देख रहे हैं, आप और हम सब देख रहे हैं ज्यों की त्यों गाड़ियां धुआं उड़ाती हुई जा रही हैं और कहीं कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब कमला जी सवाल तो धारीवाल जी का है और उनको अधिकार है कि दो सवाल पूछें। वह खड़े थे। आपके पीछे हैं। आपकी नजर आगे है ना, पीछे नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल मैंने पूछा वह करीब-करीब एनवायरनमेंट ला के तहत आता है लेकिन मंत्री महोदय ने मुझे मोटर व्हीकल एक्ट की फोटो स्टेट कापियां पकड़ा दीं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है आपका ज्ञान बढ़ेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल यह था कि वाहनों के प्रदूषण नियन्त्रण...

श्री अध्यक्ष : आपको पकड़ाई वह पढ़ तो लीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, मैंने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लिया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं और उनसे एयर पाल्यूशन भी होता है और नोइज पाल्यूशन भी होता है तो, नोइज पाल्यूशन के लिए कभी विभाग ने यह मालूम करवाया कि जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर आदि इन बड़े चार-पांच सिटीज के बाबत कितना डेसीमल नोइस पाल्यूशन है और इसके साथ-साथ कितने टन प्रति दिन प्रदूषण भार इन वाहनों के लिए कारण इन शहरों को उठाना पड़ रहा है? पहला सवाल।

दूसरा सवाल, अध्यक्ष यह बताता है, अध्यक्ष महोदय, कि एनवायरनमेंट टेम्प्रेचर 40 पर्सेण्ट से ज्यादा इण्डस्ट्रीज और व्हीकल्स के कारण होता है और इस तापमान में जो वृद्धि होती है, 54 पर्सेण्ट कार्बनडाई आक्साइड उसके लिए जिम्मेदार है और एक टन कार्बन कोयले के रूप में जलता है तो 4 टन डाइआक्साइड एनवारमेंट में फैलती है।

जैसा आपने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में बताया, एनवायरमेंट ला के तहत जो नियम बने हुए हैं उसके शिड्यूल 4 में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं और उन प्रोविजन में आपको यह अधिकार है कि आप स्मोक की डेन्सिटी विजिबल वेपर, स्पार्क, गैसेज, एशेश और आयली सब्स्टेंस के बाबत नियन्त्रण रखें। 4 व्हील वाली जो पैट्रोल की गाड़ियां हैं उसकी लिमिट अलाउ करते हैं कि वह कितने पर्सेण्ट वाल्यूम फेकेंगी, डीजल के लिए आप अलाउ करते हैं, डीजल

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कार के लिए या पैट्रोल व्हीकल के लिए और इसके लिए पिछले साल 1992 में कुछ शिविर भी लगाये थे। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष कितने शिविर मोर्टर/व्हीकल की जांच के लिए लगाये गये, कहां-कहां लगाये गये और कितनी-कितनी पैट्रोल की और कितनी-कितनी डीजल की गाड़ियों की जांच की गयी ?

तीसरा प्रश्न यह है कि वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए एक यंत्र की बिक्री अभी जनवरी माह में दिल्ली में की गयी है तो क्या सरकार उस यंत्र के बाबत जानकारी इक्ट्ठी करेगी और वह यंत्र समुचित उपयोग का है तो इस मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की सोचेगी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब आ जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनका भी आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : देखिये, प्रश्नकर्त्ता का पहला प्रश्न है। दो प्रश्न उनके हैं, उनके बाद फिर आपका नम्बर आएगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाहनों से जो प्रदूषण होता है उस पर कण्ट्रोल करने का अधिकार केवल परिवहन विभाग का है। यह सैण्ट्रल एक्ट बना है। सैण्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट बना है और रूल्स बने हैं 1989 में और राजस्थान में यह प्रारम्भ हुआ है 1990-91 में। इसमें प्रावधान यही है कि वाहनों पर नियन्त्रण केवल परिवहन विभाग ही करेगा। उसके अन्दर पर्यावरण विभाग केवल उनकी मदद करता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा पहला प्रश्न यह था कि 4-5 जो राजस्थान के प्रमुख-प्रमुख शहर हैं उनमें नोइज पाल्यूशन के बाबत और स्मोक पाल्यूशन के बाबत और स्मोक पाल्यूशन के बारे में कोई सर्वे करवाया गया है क्या ? और अगर करवाया गया है तो उसकी मात्रा क्या थी ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : और आपका नियन्त्रण है या नहीं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वाहनों पर नियन्त्रण परिवहन विभाग का है हम केवल उनकी मदद करते हैं शिविर लगाने में। परिवहन विभाग ने इस पर नियन्त्रण की शुरूआत की है और वैसे देखा जाए तो यह पाल्यूशन अण्डर कण्ट्रोल सर्टिफिकेट देने का अधिकार केवल परिवहन विभाग को।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका मतलब मेरे पहले सवाल का जवाब आ गया। जवाब यही है सरकार की तरफ से कि कोई भी इस तरह की जाच नहीं करवाई गयी। वाहनों की जांच करवाई गयी है तो वाहनों से कितना नोइज पाल्यूशन होता है, कितना स्मोक पाल्यूशन

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

होता है, कितना एयर पाल्यूशन होता है ? कहीं पर भी इसकी जांच नहीं करवाई गयी। दूसरे सवाल का जवाब चाहता हूं जो मंत्री महोदय ने बताया कि यातायात विभाग उसको देखता है।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आ गया न जवाब। है ही नहीं उनके पास जानकारी।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं। आप उनको पूरा ही नहीं करने दे रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे जवाब दे रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हैं, बीच में खड़े हो रहे है। चार लाइन बोले कि उनका जवाब आ गया। वह आगे इसी के बारे में बोलने वाले थे। Let him complete first. बैठिये आप। यह क्या बात हुई, मंत्री बात पूरी नहीं करेंगे और आप बीच में खड़े हो जाएंगे कि जवाब आ गया तो मैं आगे चलता हूं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): इवेजिव रिप्लाई को आप क्या मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इवेजिव रिप्लाई नहीं है। Let him complete. पूरा तो करें।

श्री किशन मोटवानी : पूरा नहीं, वह बार-बार कह रहे हैं कि मोटर विभाग का काम है।

श्री अध्यक्ष : जब तक पूरा नहीं करेंगे, न तो मैं यह डिसाइड कर सकता हूं कि रिप्लाई इवेजिव है कि सही है। हो सकता है वह नेक्स्ट लाइन में बता दें आपको कि हमने जांच की है और उसमें यह पाया गया है। अब आप सुनने को ही तैयार नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सुनने को हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : तो आप सुन तो लीजिये। एक बार वह कम्प्लीट कर लें फिर आपको बोलने का दुबारा अधिकार है, दुबारा सवाल पूछने का अधिकार है। उनको कम्प्लीट तो करने दीजिये। पूरा सुन लीजिये, जो भी वह कहें सुन लीजिये। फिर आपका कहना है कि इवेजिव है, जवाब नहीं आया। तो दूसरा प्रश्न आपका है। और माननीय सदस्य भी पूछने वाले हैं पूछ लेंगे। आप बोलिये, मंत्री जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 1993–94 में 1312 वाहन प्रदूषित पाये गये, इनको चेतावनी दी गयी, क्योंकि अभी इतना स्टाफ नहीं है कि इन पर पूरा कण्ट्रोल किया जा सके। इन पर कण्ट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट के पास केवल 27 स्मोक मीटर और 22 गैस एनलाइजर हैं, जो भी जहां आर. टी. ओ. हैं वहां हैं, डी. टी. ओ. के पास भी नहीं हैं। इस डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप पर्यावरण मंत्री हैं, कृपया आप यातायात का जवाब मत दीजिये। आपने क्या डायरेक्शंस दिये हैं ? उनका सीधा सवाल

(श्री अध्यक्ष)

यह है कि पर्यावरण के लिहाज से क्या आपने यह तय किया है कि इनसे कितना प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण। इतना ही पूछ रहे हैं वे कि क्या आपने सर्वे किया है। कितना प्रदूषण हो रहा है, आपके प-र्यावरण विभाग में इसका क्या असेसमेंट है, वह बताइये। यातायात क्या करता है, मैं इनको नहीं पूछने दूंगा, वह यातायात मंत्री बतायेंगे। पर्यावरण क्या कर रहा है, यह बताइये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह वाहनों के सम्बन्ध में प्रश्न था इसलिए मैंने वाहनों के सम्बन्ध में बताया। मैं इसकी पूरी जांच करके माननीय सदस्य तक पहुंचा दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : This is the property of the House now.

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य और मंत्री महोदय के बीच का नहीं है, इसमें आप भी बीच में आते हैं। आप खुद आश्वस्त होइये और हमें फिर बाद में आश्वस्त कर दीजिये, हम इतना ही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन करता हूं। वह तैयार होकर जवाब देंगे। नैक्स्ट, श्री शान्ति लाल खोईवाल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पोस्टपोन तो किया, आप बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : तैयारी करके जवाब देंगे। घनश्याम जी, मंत्री जी को बता दीजिये बाद में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बार-बार कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न ही पोस्टपोन हो गया है, दुबारा मौका मिलेगा आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुनते तो नही हमको कम से कम।

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्न आएगा तब पूछना। It has been postponed now.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस समय फिर यह स्थगित होगा।

श्री अध्यक्ष : अब यह प्रश्न आया ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जब प्रश्न आएगा तो यह फिर स्थगित होगा।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं। स्थगित होगा कि नहीं, अभी कौन कह सकता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं।

पंचायत मुख्यालय कुरज से पीपली अहिरान (राजसमन्द) सड़क का डामरीकरण

199. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राजसमन्द जिले की कुरज पंचायत मुख्यालय से पीपली-अहिरान

Page No.15

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

पंचायत मुख्यालय की गिट्टी रोड का डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : जी नहीं। मापदण्ड के अनुसार किसी भी योजनान्तर्गत नहीं आने से वर्तमान में यह कार्य प्रस्तावित नहीं है।

श्री शान्तिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक पंचायत मुख्यालय से दूसरी पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने का है। कुरज से पीपली-अहिरान आठ किलोमीटर का टुकड़ा है और पिछले 15 वर्षों से गिट्टी रोड है जिसका रख-रखाव पी डब्ल्यू. डी. करता है। तीन ग्राम पंचायतों के मुख्यालय को जोड़ती है। इसके अतिरिक्त यह 5–6 ग्राम पंचायतों के लिए मिसिंग लिंक भी है। इस मिसिंग लिंक पर लगभग 12 वर्षों से रूट परमिट है। फतेहनगर से आमेठ इधर से गुजरती है, फतेहनगर से देवगढ़ इस रूट से गुजरती है और फतेहनगर से मारवाड़ जंक्शन इस रूट से गुजरती है। काफी लम्बा रूट है और मिसिंग लिंक है।

दूसरी बात यह है कि जो सड़क गिट्टी की बनी हुई है हर वर्ष खराब हो जाती है और रख-रखाव पर पी. डब्ल्यू. डी. दो-ढाई लाख रुपये खर्च करना है। कभी-कभी तो इतनी खराब हो जाती है कि बस वाले अपना रूट चेंज कर लेते हैं। इससे लगभग 30 गांव के लोगों को असुविधा खड़ी हो जाती है। मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि आप इसका रीसोलिंग करवा दीजिए। डामरीकरण जैसी स्थिति बना देंगे तो मैं डामरीकरण करवा दूंगा ऐसी सड़कों का जो महत्वपूर्ण हैं। तो इस वर्ष हमने अकाल राहत में इसके रीसोलिंग के लिए पांच लाख रुपये भी स्वीकृत करा दिये, वह सड़क ठीक हो जाएगी। पांच लाख रीसोलिंग पर अभी हम खर्च कर रहे हैं और फिर हर वर्ष इसकी रिपेयरिंग पर एक्सपेण्डीचर हो जाता है, ऐसी स्थिति में डामरीकरण करना विभाग के हित में है, जनता के हित में है। यह कार्य मितव्ययी होगा। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में विशेष परिस्थितियों में विचार करें और इसका डामरीकरण करवाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात की चर्चा उन्होंने की है, भीलवाड़ा से जो सड़क जा रही है उदयपुर की ओर, कुआरिया उस पर स्थित है 1971 में एक हजार की आबादी से अधिक है डामर रोड से जुड़ा हुआ है। इसी बीच में खण्डेल गांव है वहां से रेलमगरा सड़क जा रही है। उसके बीच में कुरज है वह भी 1971 की एक हजार की आबादी से अधिक है, वह भी डामर से जुड़ा हुआ है। यह जो पीपली-अहिरान है यह भी एक हजार की आबादी से ज्यादा है और यह कुआरिया से डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार की जो नीति है उसके अनुसार ये सारे गांव डामर की सड़क से पूर्व में ही जुड़े हुए हैं। पीपली-अहिरान पहले ही डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है कुरज भी डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है। आठ किलोमीटर बीच में है। इन्होंने कहा कि वह मैटल सड़क है, ठीक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है, उसको जोड़ दिया जाए। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर फाइनेंसेज सीमित हैं। एक हजार की आबादी तक जोड़ने के लिए 356 करोड़ रुपये चाहिए, इसीलिए इसको जोड़ना अभी किसी योजनान्तर्गत नहीं है। एक बात आपने जरूर कही कि इसके बीच में एक गोटथला स्थान आता है जो पंचायत केन्द्र है। किन्तु उसकी आबादी 975 है, एक हजार से कम है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि इस पर ढाई लाख रुपये हर साल खर्च करते हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। इस सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि काज-वे आता है बीच में, 42 लाख रुपये की आवश्यकता है। इस कारण इस आठ किलोमीटर की सड़क को उन सब गांवों, जो आलरेडी जुड़े हुए हैं, से जोड़ना वर्तमान में सम्भव नहीं है। 1997 तक किसी योजना में कभी मौका मिलेगा, आवश्यकता हुई, सेविंग हुई तो निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री शान्तिलाल खोईवाल : मैंने अभी निवेदन किया था कि यह एक मिसिंग लिंक है फतेहनगर से आमेठ रोड के लिए, फतेहनगर से मारवाड़ जंक्शन रूट के लिए और फतेहनगर से देवगढ़ रूट के लिए। यह एक मिसिंग लिंक है आठ किलोमीटर कच्चा। इस रूट से गुजरना पड़ता है बसों को। यह रूट इतना खराब हो जाता है हर वर्ष कि वहां से बस मालिकों को अपना रूट ही परिवर्तित करना पड़ता है और इससे 30 गांव के लोगों को असुविधा हो जाती है। क्योंकि यह मिसिंग लिंक है तीन लम्बे रूट का, बहुत जरूरी है कि इसका डामरीकरण कर दिया जाए। कई स्थितियों में आपने इस तरह के निर्णय लिये हैं, मेरी भी आपसे अनुनय-विनय है कि आप इस बारे में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लें और इस सड़क पर डामरीकरण करवा दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी तक चार किलोमीटर का जो मिसिंग लिंक है वह हमारी योजनान्तर्गत आता है, जिस मिसिंग लिंक की चर्चा उन्होंने की है वह आठ किलोमीटर है इसीलिए योजना में अभी भी नहीं आता। फिर भी मैंने कहा, किसी वर्ष सेविंग होगी तो आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सड़क को बनाने पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विष्णु मोदी। आप पूछ रहे हैं, कुआंरिया का सवाल पूछ रहे हैं? पूछिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जहां तक मंत्रीजी ने बताया कि 975 की आबादी की वजह से हम उस गांव को जोड़ने में असमर्थ हैं। एक ओर तो सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी कोशिश की जा रही है कि फैमिली प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल किया जाए और दूसरी ओर महज इसलिए आबादी बढ़ानी जरूरी कर दी कि वहां पर 25 आदमी और पैदा करें तब जाकर के वहां की सड़क का निर्माण होगा। कम से कम ऐसी बातों को सरकार को सोचना चाहिए। एक ओर तो आबादी को कण्ट्रोल किया जा रहा है और दूसरी ओर सरकार केवल

Page No.17

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पाबन्दी लगा रही है कि इतनी आबादी नहीं होगी तो सड़क से नहीं जोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन को बहुत हल्केपन से मत लीजिये। देखिये, आपको मैंने सीरियल क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा किया था। आप सदन को बहुत लाइटली ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीरियस क्वेश्चन पूछा है। एक ओर आबादी पर नियंत्रण करने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन को बहुत लाइटली ले रहे हैं और सदन का बहुत कीमती समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का कीमती समय क्या फैमिली प्लानिंग की बात करने के लिए नहीं है ?....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बहुत लाइटली ले रहे हैं और मैं समझता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक : मतलब सदन में फैमिली प्लानिंग की बात नहीं करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भविष्य में सदन को इतना लाइटली नहीं लें और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस तरह से लाइटली लेंगे तो मैं कभी आपको सप्लीमेंटरी के लिए अलाऊ नहीं करूंगा।

I have got this right. I too have got this right to prevent you from asking any question.

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन में कोई बात पूछने का मेरा हक है। मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन सिर्फ इतना है कि यदि फैमिली प्लानिंग की बात करना सदन में असंसदीय है तो मुझे बताइये।

श्री अध्यक्ष : I can prevent you not to ask any question and I can fix a time limit so that you will not be allowed to ask any question. I tell you.

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आप सक्षम हैं। आप इस आसन पर बैठे हैं, मैं आपकी हर बात को शिरोधार्य करता हूं। मेरा अधिकार है और फैमिली प्लानिंग की बात करना सदन में....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य मत करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर कह रहा हूं, बाध्य मत करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। आप जो कुछ भी अधिकार रखते होंगे लेकिन मेरा भी यह अधिकार है कि सदन में मैं भी अपनी बात रखूं। मैं सिर्फ इतना-सा चाहता हूं यदि फैमिली

(श्री राजेन्द्र पारीक)

प्लानिंग की बात सदन में पूछना असंसदीय है तो आप मुझे बताइये।

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार सब्जेक्ट टू माई परमिशन है। आप लिखिये मत इनका।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार सब्जेक्ट टू माई परमिशन है।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, तो नहीं कर रहे हैं आप। यह आदेश की पालना नहीं कर रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं फिर आपको वार्न करता हूं कि आप सदन का समय व्यर्थ में जाया कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपके इस कथन के प्रति सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको फिर वार्न करता हूं जाइये। आप प्रिविलेज मूव करिये। Somebody will move the privilege nation against him. Some Privilege nation must be moved against him. Yes. Yes, privilege nation must be moved against him. I will tell you. क्या होता है इसका परिणाम, हां चलिये। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री विष्णु मोदी।

सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार

200. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारिता मंत्री की राय के अनुसार सहकारिता विभाग में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है? क्या इस विभाग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए?

(2) सहकारिता मंत्री ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनुभव किस-किस रूप में और किस-किस स्तर पर किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही करने का निर्णय किया है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि सहकारिता मंत्री के विचारों को सार्वजनिक रूप मे प्रकट करने के कारण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में अधिक रोष व्याप्त हो गया है।

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) सहकारिता विभाग में हर स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सही नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 में अंकित है। सहकारिता

× × × माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुजान सिंह यादव)

विभाग को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) सहकारी संस्थाओं में गबन व दुरुपयोग की विभिन्न शिकायतों, राजस्थान सरकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 में चल रहे प्रकरणों तथा विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों व अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों के आधार पर अनुभव किया गया है ।

(3) सरकार राजकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु दृढ़ संकल्प है । सहकारिता विभाग व संस्थाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं :—

1. अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक जांच अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों को तीव्र गति से निपटाना ।

2. संस्थाओं में धनराशि के गबन व दुरुपयोग के मामलों को सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के तहत अभियान के रूप में निपटारा व गबन की राशि की प्रभावी तरीके से वसूली ।

3. संस्थाओं की आडिट रिपोर्ट की अनुपालना निश्चित करने हेतु अधिक जोर दिया जा रहा है ।

(4) जी नहीं ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि राजस्थान पत्रिका के 16 जनवरी के अखबार में छपा है, मेरे विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार–सुजानसिंह । जयपुर, 16 जनवरी । सहकारिता मंत्री सुजान सिंह यादव का का कहना है कि सहकारिता विभाग में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है । सहकारिता मंत्री ने····

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : इतनी दिलदारी तो है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया । यह बहुत बड़ी बात है ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : इसका मतलब है तो सही है न· । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सहकारिता मंत्री ने यहां अलवर में रविवार को राजर्षि समाज की ओर से आयोजित एक समारोह में यह बात कही । उन्होंने अपने विभाग के बारे में यहां तक कहा कि वे तो, मुख्य मंत्री से कहते हैं कि इस विभाग को बन्द ही कर दो, इस विभाग की हालत यह है कि हर जगह भ्रष्टाचार है ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पुछिये ।

श्री विष्णु मोदी : मैं सवाल पूछ 'रहा हूं । एक मिनट, साहब । कर्जा माफ कराया सहकारिता मंत्री ने, विकास होगा कहां, विकास का पैसा तो हम खा गये ।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल है क्या ?

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट, साहब, मैं सवाल करने के लिए बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, Please ask the question.

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड । यह जानते हुए कि अभी सदन में कैसा माहौल था, मैं बिलकुल सदन की मर्यादाओं के अन्दर बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप यह पूछ लीजिये कि आपका यह स्टेटमेंट है क्या । उन्हीं से पूछते क्यों नहीं जो सामने बैठे हैं । आप उनको सीधा सवाल पूछिये ।

श्री विष्णु मोदी : मतलब नेताओं से है । तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस सदन में भी सहकारिता विभाग के कई लोग रहे हैं. माननीय रघुवीरसिंह जी कौशल हैं. कई लोग रहे हैं. तो उन नेताओं में कौन से नेता का तात्पर्य उनका इस स्टेटमेंट के माध्यम से है ।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम तो पत्रकार बन्धुओं का स्वागत करता हूं और इसलिए स्वागत करता हूं कि रोज अखबारों में मेरे खिलाफ यह बात निकल रही है कि मंत्री महोदय ने इस्तीफा दे दिया और मुख्य मंत्रीजी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया । तो यह बात सही है तो यह बात भी गलत है । पत्रकार बन्धु स्वतन्त्र हैं, जैसा वे ठीक समझें वैसा निकालें । अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने इस्तीफा दिया होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता । मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं । यह बात असत्य है । मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि विभाग में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूं और मैंने इस विभाग में आने के बाद 11 अधिकारियों व कर्मचारियों को बरखास्त किया है । अलग-अलग तरीके के गबन, घोटाले, अनुशासनहीनता की कार्यवाही देखते हुए । कर्मचारी व अधिकारियों को मैंने सर्विस से निकाला है ।

दूसरा, मेरे इस विभाग में आने के बाद क्या-क्या गति दी हैं इस विभाग को, मैं महीने के महीने सभी अधिकारियों को मेरे चैम्बर में बुलाकर विभाग की गतिविधियों की जानकारी लेता हूं और जानकारी लेने के उपरान्त मानीटरिंग करता हूं, किस स्तर पर क्या गलती है, कैसे है, क्या है । इसके आधार पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार महोदय और उच्च अधिकारियों को बुलाकर यह तय करता हूं । विभाग में सुधार की जहां तक बात है कभी भी··· (व्यवधान) मेरी बात पूरी होने दीजिये, मैं आपको एक ही पाइण्ट पर सैटिस्फाई कर रहा हूं । जब मैं जवाब दे दूं तब मेरे से प्रश्न पूछ लेना ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में सवाल कीजिये । जवाब दे रहे हैं ।

श्री सुजानसिंह यादव : तीसरा, राजस्थान में 22 हजार कोऑपरेटिव सोसायटीज हैं जिसमें 16 हजार कार्यरत हैं, 6 हजार कोऑपरेटिव सोसायटीज बिलकुल बन्द हो चुकी हैं, उनमे गबन और घोटाले हैं । इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि विभाग में भ्रष्टाचार है । दूसरा, संस्थाओं का आडिट टाइम पर नहीं होता है, 5-5 साल तक, 3-3 साल तक आडिट नहीं होता है । मैंने विभाग में आते ही यह

Page No.21

(श्री सुजान सिंह यादव)

ताकीद कर दी कि विभाग की कोई संस्था बिना आडिट के नहीं रह पायेगी। यदि उसमें कहीं कमी मिल गयी, कहीं कोताही बरती गयी मैंने एक आदेश निकाला है कि उनको सस्पेंड करूंगा।

चौथा, विभाग में कई हजारों केसेज लम्बित पड़े हैं। मैंने अपने स्तर पर···· (व्यवधान) आप बात सुनना नहीं चाहते हैं कि मैंने किया क्या है विभाग में 3 महीने में आने के बाद। मैंने विभाग में क्या गति लायी है तीन महीने में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने प्रश्न तो पूछ लिया, प्रश्न का जवाब दूंगा और दे रहा हूं। अब मैंने उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार को इस काम को निपटाने के लिए यह कहा है कि 5 केस महीने में उनको निपटाने पड़ेंगे नहीं तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। जोइंट रजिस्ट्रार को मैंने ताकीद की है कि 6 केस हर महीने में आप तय करेंगे, लेखा परीक्षक अधिकारी है वह 10 केस तय करेंगे। इसके अनुसार इस विभाग में 22 करोड़ रुपये का घोटाला है।···· (व्यवधान) आप बैठिये। 22 करोड़ रुपये का घोटाला जिस विभाग में हो तो मैं यह कह सकता हूं कि विभाग में भ्रष्टाचार है, यह मैं कब अस्वीकार कर रहा हूं। इस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूं और मैं भ्रष्टाचार को खतम करना चाहता हूं यदि आप लोगों का मेरे साथ सहयोग हो। यदि आप लोगों का मेरे प्रति सहयोग नहीं होगा तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। (व्यवधान)····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्षजी, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया था और उसमें भाषण तो आपके आदेशानुसार सुन लिया है। मेरा मतलब नेताओं से है, यह सभी जो भ्रष्टाचार का बखान किया उसमें किन-किन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, माननीय मंत्री उनके बारे में बतायें, बजाय इसके कि उन्होंने क्या किया है, किन-किन को सस्पेंड किया है, किन-किन को नहीं किया है। यह मैं जानकारी करना नहीं चाहता। मैं तो आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि किन नेताओं का भ्रष्टाचार आपने इस डिपार्टमेंट में देखा है ?

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का व्यक्तिगत नाम तो नहीं लिया है फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है। आपका नाम तो मैंने नहीं लिखा है। (व्यवधान) ···

एक माननीय सदस्य : आपकी तरफ बैठे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : + + +

श्री अध्यक्ष : आपका हो चुका है।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा अभी सैकण्ड सवाल नहीं हुआ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपके दो सवाल हो चुके हैं।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, कौन से सवाल हुए ?

श्री अध्यक्ष : आपके दो सवाल हो गये।

श्री विष्णु मोदी : आप जरा मुझे बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपालसिंह ।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय मंत्रीजी ने कोई नाम नहीं लिया है पर + + + ।

श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, वह कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प हूं, नागौर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने 18 लाख रुपये का गबन किया है जो रिकार्ड पर है मगर आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई क्या माननीय मंत्रीजी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ? जांच कराना चाहते हैं पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ ?

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यदि मेरी जानकारी में आया वह प्रकरण तो मैं कतई नहीं बख्शूंगा। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट सवाल, श्री राजेन्द्र चौधरी। (व्यवधान)....सवाल पूछिये.... (व्यवधान)....माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्रीजी। (व्यवधान).... आप बोलिये। इनका नोट मत करिये।

श्री घासीराम यादव : × × ×

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री राजेन्द्र चौधरी।

पूर्व स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय

201. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व कितने शिक्षा केन्द्रों को बन्द किया गया।

(2) क्या सरकार उक्त बन्द हुए प्राथमिक केन्द्रों को पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बन्द हुए विद्यालयों को सरकार कब से पुनः शुरू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह) : (1) जी हां। वर्ष 1988-89 व 1989-90 में 5601 शिक्षा केन्द्र खोले गये थे। इनमें स्थानीय अध्यापकों को संविदा पर रखा गया था

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.23

(श्री नाथू सिंह)

जिन्हें प्रशिक्षित अध्यापक को 700 व अप्रशिक्षित अध्यापक को रुपये 500 मानदेय दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा चन्दा तमोली बनाम सरकार रिट संख्या डी. बी. 2795/87 में निर्णय लिया गया कि संविदा अध्यापकों को भी अध्यापक का न्यूनतम वेतन दिया जावे। इसमें कानूनी व्यवधान उत्पन्न हो जाने से दिनांक 8-5-1990 को आदेश जारी कर शिक्षा केन्द्र समाप्त किये गये थे।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायत शिक्षा केन्द्रों के स्थान पर 1070 नियमित प्राथमिक शालाएं जहां 40 छात्र थे तथा एक वर्ष तक केन्द्र चला था एवं भवन उपलब्ध थे, वहां खोली जा चुकी हैं। शेष को चालू करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो अपना उत्तर दिया उसमें बताया कि 5601 शिक्षा केन्द्र वर्ष 1988-89 व 1989-90 में खोले गये थे और वह चल रहे थे। उत्तर में यह भी बताया कि 1987 में रिट लगी थी उसके कारण जो निर्णय हुआ था उससे कानूनी व्यवधान उत्पन्न हो गया और शालाएं बन्द कर दी गयीं। मैं मेरे प्रश्न के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जो शालाएं और प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र खोले गये थे, वह शिक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय क्या गलत था? अभी जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में पढ़ा गया है और उस पर सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया है उसके अन्दर ढाणियों में छोटे गांवों के अन्दर शालाएं खोलने की बात कही गयी है और कांग्रेस शासन के अन्दर जो शालाएं खोली गयी थीं उन 5601 शालाओं को बन्द कर दिया गया और कारण यह बताया है कि कोर्ट का निर्णय हो गया है। तो कोर्ट ने कौनसा निर्णय गलत कर दिया? नम्बर एक।

नम्बर दो, जो उत्तर दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि 1070 प्राथमिक शालाएं ही वापस खोली गयीं हैं, उस हिसाब से 4600 के करीब शालाएं बाकी हैं जो आपने नहीं खोली हैं। मैंने आपसे यह भी जानकारी चाही थी कि 40 छात्र पढ़ते थे, जहां पर भवन था, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ···

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : यह प्रश्न कर रहा हूं कि जो उत्तर दिया है वह उत्तर असत्य है, तथ्यों से परे हैं, मंत्री महोदय को गुमराह किया गया है। जिन शालाओं में छात्र थे, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की बात कर रहा हूं कि वहां भवन भी बना हुआ था, छात्र भी पढ़ रहे थे, उनमें से बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितनी वापस खोली गयी हैं, यह प्रश्न पूछा था। इसका जवाब जो दिया गया है इसमें खाली 1070 की संख्या बतायी गयी है। अपूर्ण उत्तर दिया गया है। आप इसकी जांच करें और यह जो शिक्षा केन्द्र बन्द किये गये हैं वे वापस नहीं खोलने के क्या कारण हैं और पहले खोलने के क्या कारण थे? यह बतायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली कुल मिलाकर गलत संशय पैदा हो रहा है कि स्कूल खोले गये थे। स्कूल नहीं खोले गये थे, यह शिक्षा केन्द्र थे जहां पर....(व्यवधान)....एक मिनट, सुन लीजिये आप।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : यह रेगूलर स्कूल थे।

श्री नाथूसिंह : यह रेगूलर स्कूल नहीं थे। हुआ यह था कि विद्यार्थियों को सायंकाल दो घण्टे....(व्यवधान)....

श्री नारायण सिंह : गलतबयानी मंत्री जी कर रहे हैं। उन स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे और यह कह रहे हैं कि सांयकाल के, जैसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी, रेगूलर स्कूल थे, आप गलतबयानी कर रहे हैं। दुबारा बोले ठीक करके अपने आपको।. (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : ठीक कर रहा हूं, सुनिये तो सही। अध्यक्ष महोदय, सब को साक्षर बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। रेगूलर स्कूल्स के अलावा भी दूसरी योजनाएं हैं और जो शिक्षा केन्द्र खोले गये थे यह रेगूलर स्कूल नहीं थे। दूसरी योजनाएं चल रही हैं उनके तहत कान्ट्रेक्ट बेसिस पर जो अध्यापक थे प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। (व्यवधान)....

श्री नारायणसिंह : कान्ट्रेक्ट बेसिस पर... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय, आप मिसइण्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसा नहीं है, आप ठीक करके अपने आपको बोलें। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था करें।... (व्यवधान) Let me finish first.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नारायणसिंह : मंत्रीजी गलत जवाब दे रहे हैं, साहब।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय गलत जवाब दे रहे हैं। बेसिक बात को ही गलत बता दिया, सायंकाल के शिक्षा केन्द्र बता रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी : गलत कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सैकण्ड सप्लीमेंटरी अभी नहीं पूछ रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : रिप्लाई ही गलत आया है, साहब।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्षजी, सायंकाल चलती थीं यह नहीं कह रहा हूं और इस तरह की योजनाएं हैं.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं सुनेंगे और एक शब्द, बोलते ही खड़े हो गये....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। वह नहीं सुन रहे हैं तो आप बैठ जाएं।

श्री नाथूसिंह : संविदा के आधार पर प्रशिक्षित अध्यापकों को 700 रुपये और अप्रशिक्षित अध्यापकों को 500 रुपये में रखा गया था। (व्यवधान)

कोई स्थगित की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका बजट में कोई प्रोविजन नहीं था। सरकार ने इनकी सारी प्रक्रियाओं को देखा और जांच करवाई कि कब-कब खोलीं। एक और जानकारी देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इनको खोलने का आधार क्या था। (व्यवधान)

(12.00)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित ....मंत्रीजी प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तीनों बातें ही गलत कही है।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना....

श्री राजेन्द्र चौधरी : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दे पा रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : हो सकता है विभाग ने आपको सारी गलत सूचना दी हो लेकिन यह तीनों बातें गलत कह गये हैं। दोबारा तैयार करवाइये प्रश्न का जवाब.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भूमि पंजीकरण का मूल्यांकन

251. श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिजौलिया क्षेत्र के नया नगर मोजा में जमीन की रजिस्ट्री का सरकारी स्तर पर कृषि व गैर कृषि प्रयोजनार्थ मूल्यांकन किस आधार पर होता है ?

(2) वर्तमान में उक्त भूमि के मूल्यांकन की प्रति बीघा क्या राशि है ? जिसके आधार पर पंजीकरण होता है ?

(3) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष (1991, 1992, 1993) में सरकारी स्तर पर प्रति बीघा पंजीकरण की क्या मापदण्ड राशि रही ?

(4) वर्ष 1991, 1992, 1993 में किस मापदण्ड के आधार पर कितने भूमि के क्रय-विक्रय के पंजीकरण, किन-किन व्यक्तियों के, किस-किस राशि के हुये ?

उत्तर

(1) मुद्रांक नियमावली के नियम-95 "बी" के अन्तर्गत बिजौलिया क्षेत्र के नया नगर मौजा में कृषि व गैर कृषि जमीन की रजिस्ट्रियां सूची संख्या 2 व जिला कमेटी अथवा महानिरीक्षक द्वारा अनुमोदित दरों में से जो भी अधिक हो उसके आधार पर मूल्यांकन कर की जाती है।

(2) वर्तमान में बिजौलिया क्षेत्र में मौजा नया नगर की कृषि एवं गैर कृषि भूमि की पंजीयन हेतु प्रभावी विक्रय दर निम्नानुसार है :—

भूमि का विवरण	सड़क आबादी के पास	सड़क आबादी से दूर	विवरण
कृषि प्रयोजनार्थ	रु. 20000/- प्रतिबीघा	19500/- प्रति बीघा	सिंचित
	रु. 18150/- प्रतिबीघा	17450/- प्रति बीघा	असिंचित
गैर कृषि प्रयोजनार्थ (खनन क्षेत्र)	रु. 121500/- प्रतिबीघा	विक्रय दर	

(3) विगत तीन वर्षों में सरकारी स्तर पर प्रति बीघा निम्नांकित मापदण्ड रहा है—

क्र.सं.	वर्ष	कृषि प्रयोजनार्थ	गैर कृषि प्रयोजनार्थ (खनन)
1.	1991	13000/- प्रति बीघा	105000/- प्रति बीघा
2.	1992	15000/- प्रति बीघा	115500/- प्रति बीघा
3.	1993	19500/- प्रति बीघा	121500/- प्रति बीघा

(4) वर्ष 1991, 92, 93 में बिन्दु संख्या-1 के प्रति उत्तर में दर्शाये गये मापदण्ड के आधार पर ही पंजीयन किया गया है। तथा जिन-जिन व्यक्तियों के हक में पंजीयन हुआ है, उनकी सूची संलग्न है।

(5) निर्धारित मापदण्ड के आधार से कम में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का कोई भी विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

सेवा निवृत्त राज्यकर्मियों को चिकित्सा पुनर्भरण

252. श्री विश्वेन्द्र सिंह (नदबई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों को औषधियां पेन्शन

(श्री विश्वेन्द्र सिंह)

विभाग द्वारा जारी पास बुक के आधार पर उपभोक्ता संघ की दुकानों से निःशुल्क प्रदाय की जाती हैं ? यदि हां, तो इसकी क्या सीमा है ?

(2) क्या यह सही है कि सभी प्रकार की औषधियां उपभोक्ता संघ की दुकान पर प्रदाय नहीं की जाती है ? यदि हां, तो ऐसी औषधियां जो उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए सरकार क्या अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र जारी करने व उसके पुनर्भरण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन नगरों व ग्रामों में उपभोक्ता संघ की दुकानें नहीं है, वहां पर सरकार की ओर से निजी दुकानों को इसके लिये अधिकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे पेंशन भोगियों को दवाई किस प्रकार उपलब्धत कराई जाती है ?

(4) राज्य सरकार उक्त दवाई निःशुल्क देने के लिए फण्ड की व्यवस्था कहां से करती है ? वर्तमान में इस फण्ड का आय व्यय विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ।

उत्तर

(1) जी हां । निःशुल्क एलोपैथिक दवाइयां दिये जाने की कोई सीमा नहीं है । रु. 1500/- से 3000/- तक और फिर 3000/- से ऊपर दवाइयां लेने के लिए जिला कलक्टर से सीमा में वृद्धि स्वीकृत करवानी पड़ती है ।

(2) जी नहीं । उपभोक्ता संघ की दुकान से सभी प्रकार की एलोपैथिक औषधियां सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिये जाने का प्रावधान है । जयपुर में यदि कोई दवाई उपभोक्ता संघ की दुकानों पर उपलब्ध नहीं हैं तो उपभोक्ता संघ की चुनी हुई दुकानों को यह निर्देश है कि वे ऐसी दवाइयां अपने स्तर से खरीद कर उपलब्ध करावेंगे । अतएव जयपुर स्थित उपभोक्ता संघ की चुनी हुई दुकानों का दायित्व है कि वे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को हर स्थिति में मुफ्त दवा उपलब्ध करावें । राज्य सरकार अन्य स्थानों पर भी इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करने हेतु प्रयत्नशील है ।

(3) जी हां । ऐसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर जहां उपभोक्ता संघ की कोई दुकान नहीं है अथवा किसी निजी दवाई विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है, वहां पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दवा बाजार से क्रय कर पेंशनरों को दिये जाने के लिए अधिकृत किया हुआ है । इस प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर द्वारा 1000/– रु. अग्रिम उपलब्ध करवाया जाता है ।

(4) दवाइयां निःशुल्क देने के लिए फण्ड की व्यवस्था सेवारत कर्मचारियों से अभिदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से की जाती है । वर्ष 1992-93 में फण्ड में आय-व्यय विवरण प्रस्तुत है :–

Page No.28

(वित्त मंत्री)

प्राप्तियां :

(1) प्रारंभिक शेष 1/4/92	2,09,35,038-80
(2) सेवारत कर्मचारियों से प्राप्त अभिदान	3,73,15,558-65
(3) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	1,46,65,000-00
(4) फण्ड में जमा राशि पर ब्याज	16,15,176-99
(5) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 91-92 के प्रशासनिक व्यय का पुनर्भरण	81,646-50
कुल योग रु.	7,46,12,420-22

भुगतान :

(1) पेंशनरों को निःशुल्क दी गई दवाइयों इत्यादि का भुगतान	5,48,21,376-79
(2) प्रशासनिक व्यय वर्ष 1992-93	65,728-00
(3) मेडिकल डायरियों पर व्यय एवं अन्य समायोजन।	2,54,793-88
योग :—	5,51,41,898-67
वर्ष के अन्त में दिनांक 31/3/93 को शेष।	1,94,70,521-55

राज्यकर्मियों के दीर्घकालीन ऋण का अदेयता प्रमाण-पत्र

253. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत दीर्घकालीन ऋणों के लिये अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये कोषाधिकारियों को अधिकृत किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकांश कर्मचारियों के वेतन से वसूली होने के पश्चात् भी कटौतियों के लुप्त होने के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने में कठिनाई आती है ?

(3) लुप्त कटौतियों के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? लुप्त कटौतियों के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व ऋणी कर्मचारी को प्रतिवर्ष कटौतियों के

Page No.29

(श्री कुबेर सिंह)

कोष कार्यालय से सत्यापन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई हुई है ?

(4) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि मूल ऋण व ब्याज की कटौती के पूर्ण होने पर आहरण वितरण अधिकारी या विभाग के लेखाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अदेयता की स्थिति मान ली जावे ?

(5) जयपुर कोषागार में कितने कर्मचारियों को अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने के कितने प्रपत्र व कब से व क्यों विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) कर्मचारियों से प्राप्त राशि सम्बन्धित लेखों में प्रविष्टियां नहीं होने से कितनी राशि जयपुर जिले में उचन्त खाते हैं ? राजस्थान के सभी जिलों की उचन्त राशि का यह कितना प्रतिशत है ? क्या सरकार इस राशि को जो दीर्घावधि से उचन्त खाते में हैं के समायोजन की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक व कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक : एफ. 7 (10) वित्त/ग्रुप/आर. एण्ड-1/80 दिनांक 30-5-88 के द्वारा भवन/वाहन ऋण के लेखे संधारण का कार्य महालेखाकार से 1 जुलाई, 1988 से कोषालय स्तर पर लिया गया है, महालेखाकार द्वारा इस कार्यालय को भेजे गये लेखों में कई कर्मचारियों के भवन/वाहन ऋण के लेखों में लुप्त कटौतियां दर्शाई गई थी। ऐसे कर्मचारियों द्वारा कोषालय में जी. ए. 55-ए या चालान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी पूर्ति कर अदेयता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

(3) लुप्त कटौतियों के लिये किसी अधिकारी / कर्मचारी का पूर्ण दायित्व सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। अधिकांश प्रकरणों में कटौती पत्र कोषालय बैंक आदि में ट्रांजिट के दौरान खो जाते हैं या कटौती पत्र में सही विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारी के खाते में इन्द्राज नहीं हो सकता। प्रत्येक वर्ष में एक बार जमा शेष राशि की सूचना परिशिष्ट-6 में भेजी जाती है।

(4) जी नहीं, किन्तु राज्य सरकार समस्त कटौतियों हेतु कर्मचारियों की पास बुक का संधारण करने का विचार कर रही है जिसको अधिकृत मानकर लुप्त कटौतियां पूर्ण कर ली जावेगी।

(5) कर्मचारियों की अदेयता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। 13 कर्मचारियों के आवेदन-पत्र विभिन्न कारणों से लम्बित है जिसकी सूची संलग्न है तथा जयपुर (सचिवालय) कोषागार में 4 प्रकरण लम्बित हैं जिसकी सूची संलग्न है।

(6) जुलाई 88 के पश्चात् उचन्त खाते का कोई प्रावधान नहीं है। जुलाई 88 के पूर्व के मामलों में उचन्त खातों में राशि का समायोजन होता था जो कि महालेखाकार द्वारा बुक किया जाता था। जुलाई 88 के पूर्व की लुप्त कटौतियों के

(वित्त मंत्री)

समायोजन हेतु सम्बन्धित ऋणी कर्मचारी के आहरण वितरण अधिकारी के प्रमाण-पत्र जी.ए. 55-ए चालान प्रमाणन उपलब्ध कराने पर उच्चंत राशि खाते से सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा समायोजन कर दिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

गांधीनगर (जयपुर) के राजकीय आवास

254. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) गांधीनगर जयपुर में विभिन्न वर्गों के सरकारी मकानों की कुल संख्या कितनी है वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी है जो अपने से कम वर्ग के आवास में निवास कर रहे हैं उनके वेतन वर्ग का आवास कब तक आवंटन करवा दिया जायेगा ?

(3) प्रत्येक संवर्ग के मकानों के अन्दर परिवर्तन/परिवर्धन कराने के क्या आधार हैं ?

(4) "जी" व "एच" टाईप क्वार्टर्स के कितने आवासों में टीन शेड व अतिरिक्त सुविधायें यथा पानी की टंकियां व अतिरिक्त कमरे इत्यादि का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार शेष आवासगृहों में भी समान सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जो अपने से कम वर्ग के आवास में निवास कर रहे हैं यदि वे अपने वेतन वर्ग के आवास हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें वरियता क्रम से नम्बर आने पर अपने वेतन वर्ग का आवास आवंटित कर दिया जाता है।

(3) राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्धन की स्वीकृतियां विभागीय पत्रांक संख्या प. 19 (1) साप्र./4/92 दिनांक 16-9-92 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित पालिसी के तहत जारी की जाती है। ये स्वीकृतियां आवास कर रहे कर्मचारियों की मांग तथा उपलब्ध बजट राशि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त पूर्वानुमानों के आधार पर जारी की जाती है।

(4) "जी" एव "एच" टाईप क्वार्टर्स में वर्ष 90-91 से अब तक टिन शेड पानी की टंकी तथा अन्य सुविधाओं के लिये जो स्वीकृतियां जारी की गई है उनकी सूची संलग्न की जा रही है। सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर समान सुविधायें यथा पानी की अतिरिक्त टंकियां तथा चार दीवारी एव छत के अतिरिक्त पंखे आदि सभी क्वार्टर्स में उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

देवालयों के समीप स्थित मदिरालय

255. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मान्यता प्राप्त मन्दिरों के 200 मीटर की परिधि में देशी एवं अंग्रेजी शराब की दुकानें होने की समय-समय पर विभाग द्वारा जांच की जाती है ? यदि हां, तो कितने स्थानों पर ऐसी दुकानें हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग की मान्यता प्राप्त सूची में व अंकित मन्दिरों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी किस्म के शराब की दुकान होने के बारे में जांच विभाग द्वारा नहीं करवाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) उपरोक्त मामलों में वर्ष 1990 से अब तक कितनी दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त मन्दिर से 200 मीटर की परिधि में देशी या अंग्रेजी शराब की दुकानें ने स्वीकृति आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के पश्चात् राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 (4) के अन्तर्गत उपयुक्त कारणों से शिथिलता देते हुए स्वीकृत की गई है। इन स्थानों पर चल रही दुकानों की सूची संलग्न है—(परिशिष्ट-अ)

(2) जी नहीं। नियमानुसार उपरोक्त वर्णित नियमों के अन्तर्गत शिथिलता के पश्चात् ही दुकानें चल रही है।

(3) राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 (4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दी गई शिथिलता के विपरीत कोई भी दुकान वर्ष 1990 से संचालित न होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5—देखें)

उदयपुर डिवीजन के अनुसूचित जाति/जनजाति के आशार्थियों को खनन पट्टे

256. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर डिविजन में कितने जन जाति के आशार्थियों को खनन पट्टे दिये गये हैं ? नाम पट्टाधारी, गांव, जिला तथा क्षेत्र जो इन्हें एलोट किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन जनजाति के आशार्थियों व अन्य पट्टाधारियों को कार्यशील पूंजी दी गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कब दी गई ? नाम, कार्यशील पूंजी, कब से दी गई है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या एलोट शुदा खाने बन्द भी है ? यदि हां, तो बन्द रहने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उदयपुर डिवीजन में जनजाति के "92" आशार्थियों को खनन पट्टे आवंटित किये गये। नाम पट्टाधारी, गांव, जिला तथा क्षेत्र का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जनजाति के आशार्थियों व पट्टाधारियों को कार्यशील पूंजी केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुदान के रूप में जनजाति विभाग द्वारा दी गई। आशार्थियों को पूंजी वर्ष 1989-90 से दी गई। जिन आशार्थियों को पूंजी दी गई, उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

(3) जी हां। एलोट शुदा खानों में से "3" खाने बन्द हैं, जिनमें से दो खाने वन विभाग से विवाद के कारण व एक खान एलोटी के निजी कारणों से बन्द है। विवरण परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दिया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ब्यावर क्षेत्र में अवैध खनन

257. **श्री उगम राज मेहता** (ब्यावर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में सहायक अभियन्ता (खनिज) कार्यालय खोलने का पूर्व में सरकार ने निर्णय लिया था? यदि हां, तो अभी तक कार्यालय क्यों नहीं खोला गया?

(2) ब्यावर व आस-पास के क्षेत्रों से खनन करने वाले व अवैध रूप मे बिना रॉयल्टी चुकाये माल ले जाने वालों की क्या कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 22·11·93 को निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान ने पट्टाधारियो के साथ विचार विमर्श किया एवं विचार विमर्श के आधार पर खनिज अभियन्ता, राजसमन्द, भीलवाड़ा एवं सहायक खनि अभियन्ता सोजत सिटी के साथ खनि अभियन्ता, अजमेर ने संयुक्त चैकिंग अभियान चला कर उक्त क्षेत्रों के आस-पास अचानक चैकिंग कार्य कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई। पकड़े गये मामलों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार है। जिसके फलस्वरूप अक्टूबर, 93 से फरवरी, 94 की अवधि में अवैध खनिज परिवहन से रु. 30,723/- वसूल किये जा चुके हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट—6 देखें।)

खनन पट्टेधारी के उत्तराधिकारी को खनन पट्टे का स्थानान्तरण

258. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमरचन्द मिढ्ढा)

(1) क्या यह सही है कि क्वेरी लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् यदि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी खनिज विभाग के नियमों के अनुसार एक निश्चित समय में उस लाइसेंस को अपने नाम हस्तान्तरण नहीं करावें तो वह लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जाता है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त निश्चित समय की अवधि एवं खनिज विभाग के सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि नहीं, तो क्वेरी लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् उसके लाइसेंस का क्या वैधानिक स्वरूप होगा ?

उत्तर

(1) नियमों व प्रशासनिक आदेशों के अन्तर्गत जिस अवधि के क्वेरी लिए लाइसेंस दिये जाते हैं, यदि उक्त अवधि में क्वेरी लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाये और उसके वैधानिक उत्तराधिकारी अपना नाम उसके स्थान पर दर्ज कराना चाहें तो विभाग द्वारा ऐसा किया जाता है। यद्यपि नियमों में इस प्रकार का कोई विशिष्ठ प्रावधान नहीं है परन्तु ऐसा सामान्य विधि एवं नैसर्गिक न्याय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है।

(2) इसका उत्तर प्रश्न संख्या एक के उत्तर में आ गया है।

(3) यदि मृतक लाइसेन्सधारी के वैधानिक उत्तराधिकारी अपने नाम उसे नामांतरित नहीं करवाते तो ऐसी स्थिति में विभाग की जानकारी में आने पर निरस्त कर दिया जाता है।

शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

259. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू एवं जयपुर जिले में पिछले तीन वर्षों में कितने शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया गया है ? उनमें से शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत अलग-अलग क्या है।

(2) क्या यह सही है कि इनमें शहरी शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत ज्यादा है जबकि ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या शहरी शिक्षित बेरोजगारों से अधिक है ? यदि हां, तो यह असमानता क्यों ?

(3) क्या आज तक दिये ऋणों का भुगतान समय पर हुआ है ? यदि हां, तो कुल दिये गये ऋण की कितने प्रतिशत राशि सरकार को वापिस प्राप्त हुई है ?

(4) स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत एक शिक्षित बेरोजगार को कितना व कितनी अवधि के लिये, किस दर से ऋण दिया जाता है ? क्या इसकी वर्तमान नीति दोषयुक्त है ? यदि हां, तो उसमें क्या सुधार किये जायेंगे और उन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर एवं चूरू जिले में गत तीन वर्षों में स्वरोजगार योजनान्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या तथा शहरी एवं ग्रामीण लाभार्थियों की सूचना निम्न प्रकार से है :—

जिला जयपुर

वर्ष	ऋण वितरण संख्या			प्रतिशत	
	शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी	ग्रामीण
90-91	154	102	256	60	40
91-92	100	96	196	51	39
92-93	119	83	202	59	41

जिला चूरू

90-91	50	55	105	47	53
91-92	62	49	111	55	45
92-93	60	54	114	52	43

(2) जी हां। यह सही है कि ऋण प्राप्त करने वालों में शहरी शिक्षित बेरोजगारों की प्रतिशत अधिक है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वित अभ्यार्थियों का प्रतिशत अधिक होने के कारण निम्न है :—

(अ) नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शिक्षित बेरोजगार अधिक संख्या में होना।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र के युवकों की अपेक्षा शहरी. युवकों का अधिक संख्या में आवेदन।

(स) नगरीय क्षेत्र में आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक उपलब्धि।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही अभ्यार्थियों को ऋण का भुगतान किया जाता है। चूंकि ऋण का भुगतान सम्बन्धित बैंकों के फण्ड्स से किया जाता है, अतः वसूली भी उन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंकों पर राज्य सरकार का नियन्त्र नहीं होने के कारण ऋण वसूली का प्रतिशत अवगत कराना सम्भव नहीं है।

(4) स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम 35,000/– रुपये तक का ऋण 3 से 7 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा अन्य जिलों में 12% वार्षिक है। योजना में यही दोष माने जा सकते हैं कि ऋण राशि कम है, प्रशिक्षण का सभी लाभार्थियों के लिये प्रावधान नहीं है और लाभार्थी का मार्जिन मनी के रूप में कोई योगदान नहीं है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना में जो 2 अक्टूबर, 93 से लागू कर दी गई है, उक्त तीनों प्रावधान सम्मिलित किए गए है। अब ऋण राशि की सीमा एक लाख रुपये कर दी गई है तथा इसमें 5 प्रतिशत मार्जिन मनी का प्रावधान रखा गया है। सभी लाभार्थियों के लिए वितरण से पूर्व

(उद्योग मंत्री)

प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। आगामी वर्ष 1994–95 से शिक्षित बेरोजगार योजना समाप्त होकर प्रधानमंत्री की रोजगार योजना में समाहित कर दी जायेगी।

"रीको" के माध्यम से उद्योगों की स्थापना

250. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 से जनवरी 1994 तक राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य में कितने-कितने उद्यमियों और किन-किन के माध्यम से कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए गये हैं ? प्रत्येक वर्ष नये उद्यमों के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि का विनियोजन राज्य में हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि रीको द्वारा बड़े औद्योगिक घरानों और कम्पनियों के माध्यम से राज्य में नई परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयास भी उक्त अवधि में किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप देश के बड़े औद्योगिक घरानों तथा कम्पनियों द्वारा राज्य में नई परियोजनाएं कितनी-कितनी धन राशि के विनियोजन के साथ स्थापित हो सकी हैं ?

(3) क्या रीको ने इन वर्षों में अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से भी राज्य में नई परियोजनाओं तथा विनियोजनों हेतु प्रयास किये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कितनी-कितनी राशि की परियोजनाएं अप्रवासी भारतीयों के सहयोग से राज्य में स्थापित की जा सकी है तथा उपरोक्त वर्षों में किये गये प्रयासों के फलस्वरूप भविष्य में कौन-कौनसी परियोजनाएं कितनी-कितनी लागत की किन-किन उद्यमियों के मार्फत स्थापित की जाएगी ?

(4) उपरोक्त अवधि में रीको ने नये उद्यमियों को, देश के बड़े औद्योगिक घरानों तथा कम्पनियों और अप्रवासी भारतीयों को राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए आकर्षित करने के प्रयोजन से क्या-क्या विशेष प्रयास किये गये हैं तथा ऐसे प्रयासों के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस रूप में व्यय की गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची "अ" व "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूची परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। सूची "द" सदन के पटल पर रख दी गयी है। भविष्य में सम्भावित परियोजनाओं के सम्बन्ध में, जिनके लिए रीको व विप से वार्ता चल रही है, की सूची "ई" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) विवरण की सूची "ठ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(उद्योग मंत्री)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

261. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किन-किन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए समूचे प्रदेश में 25% राजकीय अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में भारत सरकार द्वारा निम्न 16 जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है :—

1. अलवर
2. बांसवाड़ा
3. बाड़मेर
4. भीलवाड़ा
5. चूरू
6. डूंगरपुर
7. जैसलमेर
8. जालोर
9. झुन्झुनू
10. जोधपुर
11. नागौर
12. सीकर
13. झालावाड़
14. सिरोही
15. उदयपुर
16. टौंक

(2) जी नहीं। पूरे राज्य में लघु उद्योगों को 20% की दर से विनियोजन अनुदान उपलब्ध है तथा ट्राइबल सब एरिया तथा एन. आई. डी. में अनुदान की दर 30% है। उक्त स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश में 25% की दर से अनुदान देने का कोई औचित्य नहीं है।

मेहता वेजिटेबल उद्योग चन्देरिया (चित्तौड़गढ़)

262. श्री शांति लाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेहता वेजिटेबल्स उद्योग चंदेरिया (चित्तौड़गढ़) के पास कुल कितनी भूमि है? आराजी वाइज रकबा, मय नक्शा ट्रेस के सदन की मेज पर रखें।

(2) उद्योग लगाने की स्वीकृति किन-किन टर्म्स एवं कंडीशन पर राज्य सरकार द्वारा दी गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि में से कितना रकबा मय आराजी संख्या, उद्योग के लिए उपयोग में ली जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादन दिनांक 1-4-1992 से 31-1-1994 तक

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

प्रत्येक महीने में कितने-कितने टिन्स रहा तथा उसे कितनी-कितनी संख्या में किन-किन डिलर्स के माध्यम से विक्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मैसर्स मेहता वेजिटेबल उद्योग चन्देरिया के पास खसरा नम्बर 103/1 की 20 बीघा भूमि है। यह भूमि उद्योग निदेशालय के आदेश क्र. एफ. 18 (21)ओ. क्षे./दिनांक 21-11-80 के द्वारा आवंटित की गई है। आवंटन आदेश एवं नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्नक 1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

(2) भूमि का आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के अन्तर्गत किया गया है। आवंटन आदेश में दर्शायी गयी शर्तों पर ही उद्योग लगाने की स्वीकृति दी गई है, जिनकी प्रति संलग्नक 1 पर उपलब्ध है।

(3) ईकाई को आवंटित 20 बीघा में से 3.25 हैक्टेयर (15 बीघा) भूमि में फैक्ट्री निर्मित है तथा 1.07 हैक्टेयर (5 बीघा) रिक्त पड़ी है।

(4) मेहता वेजिटेबल द्वारा किया उत्पादन एवं बिक्री की सूचना केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क रेन्ज चित्तौड़गढ़ से प्राप्त की गई है, विवरण संलग्नक "3" पर उपलब्ध है। इकाई नवम्बर, 1993 से उत्पादनरत् नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जयपुर जिले के डार्क जोन

263. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की कई पंचायत समितियों के अनेक ग्रामों को डार्क जोन घोषित किये जाने से किसानों को कृषि कुएं बनाने के लिए ऋण व अनुदान सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति के कौन-कौन से ग्राम डार्क जोन में हैं ? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनः सर्वेक्षण कराना उचित नहीं समझती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले की पंचायत समितियां डार्क जोन श्रेणी में आती हैं। प्रत्येक पंचायत समिति के डार्क जोन में आने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

(2) पुनः निर्धारण किया जा रहा है। विभाग द्वारा वर्ष 1993 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया हुआ प्रतिवेदन भू-जल आंकलन समिति के स्तर पर विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

Page No.38

ग्राम पाल्या भेरू खेड़ा (चितौड़गढ़) में पक्की सड़क

264. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ग्राम पाल्या भेरू खेड़ा (सुथारी खेड़ा) तहसील भदेर जिला (चित्तौड़गढ़) जिसकी जनसंख्या 1400 है, राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 से तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पाल्या, भेरूखेड़ा (सुथारी खेड़ा) नाम का कोई ग्राम तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में नहीं है तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 8 चित्तौड़गढ़ जिले के किसी भाग से होकर नहीं गुजरती है।

खानपुर क्षेत्र में बाईपास मार्ग

265. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खानपुर कस्बे में होकर जाने वाला कोटा झालावाड़ तथा कोटा-अकलेरा मार्ग सदा कीचड़ व पानी से भरा रहता है ?

(2) क्या इस मार्ग को ठीक कराना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या कार्य प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार खानपुर में बाईपास बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दोनों उल्लेखित मार्ग खानपुर कस्बे से होकर नहीं गुजरते। यह सही है कि खानपुर कस्बे में पानी के निकास हेतु उपयुक्त व्यवस्था के अभाव में जो मुख्य मार्ग इस कस्बे से होकर गुजरते हैं उन पर पानी भरा रहता है।

(2) वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण कार्य अभी सम्भव नहीं है।

(3) खानपुर में बाई पास बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

गांधी चौक (आमेर) से नांगल सुसावतान मार्ग पर अतिक्रमण

266. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि (क) गांधी चौक, आमेर से पुलिस आऊट पोस्ट, कुण्डा तक (ख) जल महल घाटी, जयसिंहपुरा खोर से आउट पोस्ट कुण्डा तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 8 की तथा कुण्डा से नांगल सुसावतान सड़क की भूमि (रोड बाउण्डरी) पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने एवं नये अतिक्रमणों को सख्ती से रोकने का विचार रखती है ?

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त मार्गों पर गत दो वर्षों में अब तक हुए अतिक्रमणों (अतिक्रमणियों) की सूची हटाये गये अतिक्रमणों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि गांधी चौक आमेर से पुलिस आऊट पोस्ट कुण्डा तक। जल महल घाटी, जयसिंहपुरा खोर से आऊट पोस्ट कुण्डा तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं० 8 की रोड बाउण्ड्री पर कई अतिक्रमण हो रहे हैं।

रोड बाउण्ड्री से सटी वन विभाग की व अन्य राजकीय विभाग की भूमि पर अतिक्रमण है जो जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हैं। अतिक्रमण हटाने हेतु आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को तहसीलदार आमेर द्वारा लिखा जा चुका है।

(2) उपरोक्त उप मार्गों से सटी भूमि पर हुए अतिक्रमणों एवं हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।"

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

अजमेर जिले की भू-संशोधन कार्यवाही

267. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार अजमेर जिले की भू-संशोधन की समस्या से किसानों को राहत दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर जिले की भू-संशोधन समस्या से किसानों को राहत दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने के लिए जिला कलक्टर, अजमेर को दिनांक 24-11-92 को निर्देश दिये जा चुके हैं। निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

दानपुर क्षेत्र की राजस्व भूमि पर अतिक्रमण

268. **श्री दुलीचन्द** (दानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के अन्तर्गत दानपुर विधान सभा क्षेत्र में रेवेन्यू की सैकड़ों हैक्टेयर भूमि पर कृषकों ने कब्जा कर रखा है?

(2) क्या सरकार इस भूमि को उन कृषकों के नाम एलाट करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्वत् 2050 की खरीफ

(राजस्व मंत्री)

फसल में कुल 5393 कृषको द्वारा 2160 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के तहत जो अतिक्रमण-नियमितिकरण की परिधि में आते है, उन्ही अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रावधान हैं।

सूरतगढ़ क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में सुविधाएं

269. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) :-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की करेंगे कृपा:—

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़, श्री विजयनगर, अनूपगढ़ घड़साना तहसीलों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई शुरू होने पर कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है? गांवों की सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) इन गांवों में वर्ष 1971, 1981 व 1991 की जनसंख्या कितनी थी?

(3) उपरोक्त गांवों में मूलभूत सुविधाएं क्या-क्या उपलब्ध हैं?

(4) क्या कुछ ऐसी आबादियां भी विकसित हो गई हैं जो अभी तक मंजूर नहीं की गई हैं? यदि हां, तो इन आबादियों के चक का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ऐसी आबादियों को मंजूरी देकर मूलभूत सुविधायें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों? समस्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसीलवार घोषित राजस्व ग्राम/चक निम्न है :-

1.	तहसील सूरतगढ़	331
2.	तहसील विजयनगर	305
3.	तहसील अनूपगढ़	372
4.	तहसील घड़साना	432
	योग :	1440

क्षेत्र विस्तृत होने के कारण गांवों की सूची संकलित करने के लिए समय की आवश्यकता है। अतः सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(2) 1440 गांवों की जनसंख्या की सूचना संग्रहित करने में समय लगेगा। अतः सूचना बाद में प्रस्तुत की जावेगी।

(3) प्रत्येक गांव की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी संग्रहित करने में समय की आवश्यकता है। अतः उत्तर बाद में प्रेषित किया जा सकेगा।

(4) जी हां। कुछ आबादियां विकसित हुई है जो अभी तक मंजूर नहीं हुई है। संबंधित सूचना संकलित करने में

(राजस्व मंत्री)

समय लगेगा। संकलित होने के पश्चात् भेजी जा सकेगी।

(5) विस्तृत सूचना बाद में प्रेषित की जावेगी।

राज्य के भूमिहीन परिवार

270. श्री अमराराम (धोद):-विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कितने भूमिहीन परिवार हैं ? वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार के पास इन भूमिहीन परिवारों को स्थाई रोजगार देने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना में भूमिहीन परिवार की सूचना की गणना नहीं की गई थी। अतः सूची सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

(2) आई. आर. डी. योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित परिवारों को जिनमें भूमिहीन परिवार भी सम्मिलित हैं, को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से अतिरिक्त आय सृजन करने हेतु ऋण व अनुदान की सहायता से संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

सांगानेर एवं बगरू तहसीलों में उप-तहसीलें

271. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर):-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रशासनिक दृष्टि से क्या उप तहसीलें बनाने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या जयपुर जिले में भी उप तहसील बनाने के प्रस्ताव हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार सांगानेर तहसील बगरू में उप तहसील बनाकर किसानों को राहत देने के बारे में भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में कुछ नई उप तहसीलें स्थापित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

लघु उद्योगों हेतु विद्युत् कनेक्शन्स के विचाराधीन मामले

272. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट):-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.42

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) पंचायत समिति, लालसोट में ऐसे कितने आवेदन कार्यालय सहायक अभियन्ता (विद्युत्) में विचाराधीन हैं जिन्होंने छोटे उद्योगों के विद्युत् कनेक्शन के लिये एडवान्स दो-दो हजार रुपये जमा करवा रखे हैं। ऐसे आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे विचाराधीन आवेदकों के प्रार्थना-पत्र के मुताबिक तखमीना बनाकर मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) छोटे उद्योगों के लिये विद्युत् कनेक्शन देने की क्या नीति है ?

(4) छोटे उद्योगों के विचाराधीन आवेदनों के मांग पत्र सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट द्वारा अब तक जारी नहीं करने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट में सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग के कार्यालय के अन्तर्गत 97 आवेदन पत्र छोटे उद्योगों के विचाराधीन हैं। आवेदकों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) उक्त विचाराधीन आवेदन पत्रों में से 11 आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं। शेष की प्रक्रिया जारी है।

(3) छोटे उद्योगों को कनेक्शन देने के लिये आवेदकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तकनीकी साध्यतानुसार तखमीना बनाकर उनके मांग पत्र जारी किये जाते हैं एवं मांग पत्र की राशि जमा होने एवं मण्डल नियमानुसार सभी औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है।

(4) छोटे उद्योगों के विचाराधीन आवेदकों में से 11 को मांग पत्र जारी कर दिये गये हैं और शेष आवेदकों को मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया की जा रही है जिन्हें शीघ्र ही मांग पत्र जारी करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

ग्राम पाल्या भैरूखेड़ा (चित्तौड़गढ़) में कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रकरण

273. श्री रघुवीरसिंह (सराडा):-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पाल्या भैरूखेड़ा (सुथारी खेड़ा), तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ़ में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो पेन्डिग प्रार्थना पत्रों के प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, आवेदन पत्र प्राप्त होने का दिनांक एवं प्रार्थना पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1990 से अब तक उक्त ग्राम में वर्षवार कितने कृषि विद्युत् कनेक्शन आवंटित किये गये वर्षवार विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें ? इनमें से कितने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों को दिये गये ?

Page No.43

ुवीर सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांव के ही 22 आवेदकों में से 21 अनुसूचित जाति/जनजाति व एक पिछड़ा वर्ग है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर ऐसे प्रार्थियों को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि मदेसर में कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु भारी राशि की मांग सम्बन्धित अनुसूचित जाति के गरीब कृषकों से की गई जिसकी शिकायतें भी विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत की प्रति व उस पर की गई कार्यवाही के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें। यदि सबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों एवं अब तक कब की जायेगी?

उत्तर

(1) ग्राम पारलियाकोड नं. 21/6/35 मजरा भैरू खेडा (सुथारी खेडा) में कृषि कनेक्शन हेतु 29 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। प्राप्त हुये आवेदन पत्रों के बारे में वांछित सूचना प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक ग्राम पारलिया में 3 कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को दिये गये हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन/जाति के किसी व्यक्ति को कनेक्शन नहीं दिया गया। वर्षवार आवंटित लक्ष्य एवं दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण निम्नानुसार है :—

ए- वर्ष	आवंटित लक्ष्य	दिये गये	कृषि श्रेणी कनेक्शन
1990-91	कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।		
1991-92	2	2	सामान्य
1992-93	1	1	,,
1993-94	—	—	—

(3) ग्राम पारलिया में लम्बित 26 प्रार्थना पत्रों में से। अनुसूचित जाति तथा 7 अनुसूचित जाति के आवेदकों के हैं। इन सभी आवेदन पत्रों पर नीति अनुसार आवंटित लक्ष्यों के अनुरुप आगामी वर्षों में कनेक्शन वरीयता तथा प्राथमिकता के अनुसार दिये जा सकेंगे।

(4) कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा कृषकों से भारी राशि की मांग के सम्बन्ध में कोई शिकायत क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

राज्य का विद्युत् उत्पादन

274. श्री अमराराम (धोद):–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य में कुल कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है ? व कितनी बिजली अन्य राज्यों से प्राप्त हो रही है ?

(2) वर्तमान में राज्य में विद्युत् चोरी से होने वाले नुकसान का प्रतिशत क्या है ?

(3) राज्य में उद्योगों व कृषि जन्य कार्यों पर व्यय होने वाली विद्युत् का प्रतिशत क्या है ?

(4) वर्तमान में राज्य में उद्योगों एव कृषि ट्यूबवैल्स को कितने घण्टे बिजली दी जा रही है ?

(5) वर्तमान में राज्य में कितना उद्योगों में तथा कितना ट्यूबवैल धारक किसानों में बकाया है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन बिजली का उत्पादन लगभग 146.5 लाख यूनिट है। इसके अतिरिक्त भागीदारी स्त्रोतों से प्रतिदिन लगभग 78 लाख यूनिट व केन्द्रीय स्त्रोतों से 145.4 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है तथा अलग से लगभग 28 लाख यूनिट पंजाब से व लगभग 10 लाख यूनिट मध्य प्रदेश से प्राप्त हो रही है।

(2) राज्य में वर्ष 1993–94 में विद्युत छीजत 21.5 प्रतिशत अनुमानित आंकी गई है जिसमें विद्युत चोरी भी सम्मिलित है। विद्युत चोरी का प्रतिशत अलग से संकलित कर बता पाना संभव नहीं है।

(3) राज्य में कुल विद्युत खपत का अनुमानित 26 प्रतिशत उद्योगों पर व 45 प्रतिशत कृषि कार्यों पर होता है, लेकिन विद्युत उपलब्धि के अनुसार समय-समय पर यह परिवर्तित होता रहता है।

(4) वर्तमान में राज्य में कृषि कार्य हेतु 8 घन्टे प्रतिदिन तकनीकी एवं अपरिहार्य कारणों से हुई कटौतियों को छोड कर, व ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मझले व छोटे उद्योगों पर कोई कटौती नहीं की गई है। केवल एच. टी. उद्योगों पर पीक हावर्स में 75 प्रतिशत व शेष समय में 50 प्रतिशत की कटौती लागू की जा रही है। बिजली को उपलब्धि के अनुसार कटौती का प्रतिशत समय-समय पर परिवर्तित किया जाता है।

(5) राज्य में मार्च, 1993 तक उद्योगों पर लगभग 130.50 करोड रुपये एवं कृषि उपभोक्ताओं पर लगभग 35.20 करोड रुपये की राशि बकाया है।

खानपुर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

275. श्री भरतसिंह (खानपुर):–क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण किया

(श्री भरतसिंह)

जा चुका है ? तथा कब व कितने गांवों का अभी विद्युतिकरण करना शेष है ?

(2) क्या जिन गांवों का विद्युतिकरण किया जाना बतलाया गया है उन सभी गांवों में कृषि हेतु कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खानपुर विधान सभा क्षेत्र में खानपुर तहसील के 203 व अकलेरा तहसील के 63 ग्राम हैं। उनमें से अब तक 224 ग्रामों को विद्युतिकृत किया जा चुका है तथा शेष 42 ग्राम विद्युतिकृत करना शेष है।

(2) जी नहीं उक्त विद्युतिकृत ग्रामों में से 188 ग्रामों में ही कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। शेष ग्रामों में जिनमें आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनमें लक्ष्यों के अनुरूप कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही जारी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 276
(स्थगित)

रंगाई छपाई उद्योग से पाली शहर में प्रदूषण

277. **श्री भीमराज** (पाली):—क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली शहर में चल रही रंगाई–छपाई की फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से आज दिन तक कितनी कृषि भूमि खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो कन्सोलिडेटेड आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नदी में दूषित पानी के बहाव के कारण कुओं का पानी भी कृषि योग्य नहीं रहा है ? यदि हां, तो पीड़ित काश्तकारों को मुआवजा देने की सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कास्तकारों को यह मुआवजा किस आधार पर कितना-कितना निर्धारित किया गया है व यह मुआवजा कब तक काश्तकारों को प्रदान कर दिया जायेगा तथा सरकार द्वारा इस बारे में क्या प्रगति की जा रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है पाली शहर में चल रही रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से बांडी नदी के बहाव के निचली ओर की कृषि भूमि का उपजाऊपन प्रभावित हुआ है। मौजूदा उपलब्ध जानकारी के आधार पर 40 कि. मी. निचली ओर नदी के दोनों ओर 1/2 से 1 कि. मी. तक लगभग 24 ग्रामों के 1840 कृषकों की 5450 हैक्टेयर भूमि की उर्वरता प्रभावित होनी पाई गई। मिट्टी परीक्षण काजरी द्वारा कराया गया जिसमें भी मिट्टी का प्रभावित होना पाया गया।

(2) यह सही है कि दूषित पानी के बहाव के कारण उपरोक्त क्षेत्र में कुओं का पानी भी प्रभावित हुआ है। मुआवजे का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

Page No.46

केकड़ी क्षेत्र की ग्राम सेवा समितियों द्वारा ऋण माफी

278. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी):-क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की निम्नांकित ग्राम सेवा सहकारी समितियां :—

(1) विजयव्रत ऋणदात्री सहकारी समिति, केकड़ी,

(2) अजगरी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अजगरी,

(3) मोलक्या ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोलक्या,

(4) घूंघरी ग्राम सेवा सहकारी समिति, घूंघरी के कितने सदस्यों का ऋण माफ किया गया ? उनके नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में विजय वृहत कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लि. अजगरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मोलक्या ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., घूंघरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के कुल 630 सदस्यों के ऋण माफ किये गये हैं। समितिवार सदस्यों की सूची परिशिष्ट "अ" "ब" "स" एवं "द" में सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय चिकित्सालय, मालवीय नगर जयपुर में उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दुकान

279. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) :– क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया राजकीय चिकित्सालय मालवीय नगर, जयपुर में ऐलोपैथिक दवाईयों के लिए राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ की कोई दुकान नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस औषधालय के परिसर में या इसके निकट दुकान खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । रूकमणी देवी बेनीप्रसाद जयपुरिया राजकीय चिकित्सालय मालवीयनगर, जयपुर मे ऐलोपैथिक दवाइयां की दुकान खोलने हेतु राज्य सरकार ने जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. जयपुर को अधिकृत किया है । एलोपैथिक दवाइयों की दुकान प्रारम्भ करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सालय परिसर में दुकान प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा चुका है। दुकान मिलते ही बिक्री केन्द्र खोला जा सकेगा ।

भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के सेवामुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक

280. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं)– क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल धाकड)

(1) क्या यह सही है कि भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से पृथक किया गया है ? यदि हां, तो कितने ?

(2) ऐसे पृथक किये गये अध्यापकों का क्या सेवा काल की अवधि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन अध्यापकों का कितना-कितना भुगतान चकाया है ? तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में कार्यरत 74 अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से पृथक किया गया है।

(2) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार न्यूनतम वेतन पर देय भत्ते की राशि का भुगतान शेष है। अध्यापक का नाम व अन्तर की राशि की सूची संलग्न है। अन्तर की राशि का भुगतान हेतु बजट में प्रावधान किये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

शिक्षा प्रसार योजना

281. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :–क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार शिक्षा प्रसार की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 200-250 की जनसंख्या के राजस्व ग्राम एवं मजरे ढाणियों में वर्ष 1994 के शिक्षा सत्र से प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 में खुले प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षा केन्द्र पंचायत समिति जहाजपुर एवं कोटडी जिला भीलवाड़ा में बन्द किये हैं ? यदि हां, तो उसकी सूची मय कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इनको पुनः वर्ष 1994 की जुलाई से आरम्भ कर उन ग्रामों तथा मजरे ढाणियों की जनता को शिक्षा सुलभ करने की सुविधा देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय शिक्षानीति कार्य योजना के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

शिक्षा के प्रसार एवं विकास हेतु राज्य की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(2) जी हां, राज्य सरकार वर्ष 94-95 में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 250 से अधिक एवं मरुस्थलीय क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र में 150 से अधिक वाले विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है।

(3) जी हां, पंचायत समिति जहाजपुर के 26 तथा पंचायत समिति कोटड़ी में 18 शिक्षा केन्द्र बंद किये गये। बंद शिक्षा केन्द्रों की सूची मय कारण सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। इनमें से जो ग्राम निर्धारित मापदण्ड में आयेंगे उनमें वर्ष 94–95 में प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जावेंगे।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

मीडासरों की ढ़ाणी (लाडनूं) में प्राथमिक विद्यालय

282. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं)–क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मीडासरों की ढ़ाणी ग्राम सी. बा. पंचायत खामीयादा पंचायत समिति लाडनूं में प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने दी थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त विद्यालय खोल दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 3-2-89 को ग्राम मींडासरी की ढाणी (सीवा) में प्राथमीक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी नहीं, ग्राम मीडासरी की ढाणी (सीवा) के नाम से विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई थी, जिसे दिनांक 5-7-89 के द्वारा सीवा (कन्या) के नाम से संशोधित किया गया। दिनांक 4-10-89 को प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया। पंचायत शिक्षा केन्द्र योजना को दिनांक 8-5-90 के अनुसार समाप्त कर दी गई। बन्द पंचायत शिक्षर्थ केन्द्रों में जिनका अपना भवन हो 40 छात्र हो एवं एक वर्ष से अधिक अवधि तक चला हो, ऐसे पंचायत शिक्षा केन्द्रों में ही वर्ष 91-92 में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई। उक्त मापदण्ड में ग्राम मीडासरों की ढाणी नहीं आने के फलस्वरूप वहां प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला जा सका।

पंचायत समिति जवाजा सरपचों के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के प्रकरण

283. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर):–क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.49

(श्री उगमराज मेहता)

(1) पंचायत समिति, जवाजा के कितने एवं कौन-कौन से सरपंचों के विरुद्ध कब-कब गबन एवं भ्रष्टाचार के कारण 17 (4) की कार्यवाही की गई ? इनमें से कितने एवं कौन-कौन से सरपंचों के विरुद्ध ही कार्यवाही अमल में लाई गई ? साथ ही ऐसी कौनसी परिस्थितियां रही जिसके कारण दोषी सरपंचों को पद से नहीं हटाया गया ?

(2) उक्त पंचायत समिति में भ्रष्टाचार एवं गबन के मामले के अन्तर्गत किस-किस सरपंच के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, जवाजा में 16 पूर्व सरपंचों के विरुद्ध धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई गई। इनमें से पांच पूर्व सरपंचों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण कार्यवाही समाप्त की गई। शेष के विरुद्ध अन्तिम चरण में कार्यवाही चल रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति जवाजा में चार पूर्व सरपंचों के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।

रेफरल चिकित्सालय में महिला चिकित्सक

284. श्री महादेव सिंह (खण्डेला):– क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या खण्डेला रेफरल अस्पताल के प्रसूतिगृह में महिला चिकित्सक कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों व कब से यह पद रिक्त है? क्या सरकार वहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त चिकित्सालय में एक्स-रे मशीन की सुविधा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो एक्स-रे मशीन कितने रुपयों में कब व कहां से खरीदी गई?

(3) क्या इसके टेण्डर किये गये थे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह आज ठीक प्रकार से संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) एक्सरे मशीन उपलब्ध है। दिनांक 31-3-94 तक एक्सरे सुविधा प्रारम्भ होना संभावित है। एक्सरे मशीन मै. सीमेन्स लिमिटेड, जयपुर से वित्तीय वर्ष 1993–94 में (धनराशि रुपये 2,82,000/–मय 4 प्रतिशत केन्द्रीय कर की दर से) खरीदी गई।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(3) जी हां। एक्सरे मशीन दिनांक 31-3-94 तक संचालित हो पाना संभव है।

विदेशों में कार्यरत चिकित्सक

285. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में कौन-कौन डाक्टर ऐसे हैं जो छुट्टी लेकर विदेश चले गये हैं? क्या छुट्टी लेकर विदेश जाने के सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऐसे भी डाक्टर्स हैं जो स्वीकृत अवकाश अवधि से अधिक समय तक विदेशों में रह रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से, कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकारी सेवा में रहते हुये अवकाश पर विदेश चले जाने को सरकार उचित समझती है? यदि हां, तो कैसे? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जी नहीं, छुट्टी लेकर विदेश जाने के सम्बन्ध में अलग से कोई नियम नहीं बने हुए हैं, इस तरह के प्रकरण पर राजस्थान सेवा नियम ही लागू होते हैं।

(2) जी हां, वांछित सूचनाओं के उपलब्ध विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, जहां तक निर्धारित अवधि के लिए नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवा कर विदेश जाने का प्रश्न है, सरकार इसे उचित समझती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सहायक रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर एवं वरिष्ठ रेडियोग्राफर्स के वेतनमान

286. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सहायक रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर एवं वरिष्ठ रेडियोग्राफर्स के तीन वेतनमान हैं? यदि हां, तो विभिन्न वेतनमानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार में इन तकनीकी पदों के कितने वेतनमान हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के रेडियोग्राफर्स के वेतनमानों, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की अवधि एक ही है या भिन्न-भिन्न है? यदि भिन्न-

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

भिन्न हैं तो राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार की सूचना तुलनात्मक रूप से सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या केन्द्र सरकार में शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि कम होते हुए भी वेतनमान अधिक रखा गया है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस प्रकार की विसंगति के निराकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तीन वेतनमान हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

1. सहायक रेडियोग्राफर रु. 975-1720
2. रेडियोग्राफर रु. 1400-2600
3. वरिष्ठ रेडियोग्राफर रु. 1640-2900

(2) जानकारी के अनुसार सी.जी. एच.एस. तथा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली में रेडियोग्राफर का वेतनमान 1350–2200 है।

(3) जी नहीं, भिन्न-भिन्न है। तुलनात्मक विवरण संलग्न सूची में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) चूंकि राज्य में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सर्व प्रथम सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर नियुक्त किया जाता है, इसलिये वेतन विसंगति होना पाया जाता है। इस प्रकार की विसंगति के निराकरण का प्रकरण विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

इटावा (पीपल्दा) में रैफरल चिकित्सालय भवन

287. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के इटावा में रैफरल चिकित्सा का स्वीकृत शुदा भवन निर्माण कार्य किन कारणों से रुका हुआ है?

(2) इटावा चिकित्सालय को सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटावा के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

बिजली पानी के कनेक्शन एवं दरवाजे लगने शेष हैं।

(2) इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

आदिवासी क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था

288. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर भगोरा)

(1) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा के कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इन मानदण्ड के अनुसार सभी जन-जाति उप योजना क्षेत्र में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं व अब कब तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। स्वास्थ्य सबके लिए सन् 2000 तक के अन्तर्गत आदिवासी/जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थाए स्थापित करने हेतु निम्न मानदण्ड निर्धारित है:–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—	एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर एक
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—	20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक
उपकेन्द्र—	3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक

(2) जी नहीं। यह मानदण्ड सन् 2000 तक (स्वास्थ्य सबके लिए के अन्तर्गत) के लिए है। अतः निर्धारित समय में इस मापदण्ड के अनुरूप योजना मद में समुचित संसाधन उपलब्ध होने पर पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

अतारांकित प्रश्न संख्या 289

(स्थगित)

नागौर जिले के अकालग्रस्त ग्राम

290. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993-94 के दौरान नागौर जिले में कितने ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) डेगाना विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अकाल राहत कार्यों हेतु सरकार द्वारा नागौर जिले में कुल कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अकाल राहत कार्यों में कुल कितनी राशि किन-किन मदों पर व्यय करने का प्रावधान है ? किन-किन मदों को प्राथमिकता दी जायेगी ? क्या अकाल राहत कार्यों के दौरान तालाबों की खुदाई और सम्पर्क सड़कों को प्राथमिकता दी जावेगी ? पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 में नागौर जिले में कुल 1040 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

क.सं.	नाम तहसील	अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या
1.	नागौर	251
2.	जायल	49
3.	मेड़ता	168
4.	डेगाना	194
5.	नावां	149
6.	परबतसर	229
	योग :	1040

(2) डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कुल 194 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"क")

(3) अकाल राहत कार्यों के लिए जिलेवार राशि का प्रावधान नहीं किया जाता। आवश्यकतानुसार पेयजल, चारा, परिवहन, अनुग्रह राशि व श्रमिक सीमा का निर्धारण किया जाता है।

(4) राहत कार्यों पर विभिन्न मदों में खर्च की जाने वाली राशि का अलग-अलग प्रावधान नहीं किया जाता। प्रत्येक जिले की अभाव स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, और उस क्षेत्र में अन्य विभागीय योजनाओं, तथा जवाहर/रोजगार योजना आदि में उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार को ध्यान में रखकर प्रतिमाह राहत कार्यों के लिए श्रमिक सीमा का निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ चारा परिवहन, पेयजल की आवश्यकता, अनुग्रह सहायता आदि के लिए भी आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है। नागौर जिले को फरवरी माह में निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है :—

श्रमिकों को मजदूरी हेतु	50.00 लाख
पेयजल परिवहन हेतु	0.40 लाख
टैंकर्स की मरम्मत हेतु	0.20 लाख

राहत कार्यों के अन्तर्गत पूर्व के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना प्रथम प्राथमिकता है। यदि पुराने कार्य नहीं हों तभी नये कार्य लिए जा सकेंगे।

राहत कार्यों के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कार्य कराये जा सकते हैं :—

(i) वन-संरक्षण सम्बन्धी कार्य।

(ii) लघु सिंचाई के तालाब, गांवाई तालाब, नहर कार्य।

(iii) सम्पर्क सड़कें—

(अ) पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली,

(ब) 1971 की जनगणना के अनुरूप 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को जोड़ने वाली।

(vi) स्कूल भवन।

(v) आंगन बाड़ी भवन।

(vi) राजकीय भवनों की चार दीवारी।

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

(vii) पटवार घर/ग्राम सेवक क्वार्टर/उचित मूल्य की दुकान/तहसील भवन/अस्पताल भवन/पुलिस चौकी/पुलिस थाना भवन।

(viii) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या छोटे व सीमांत कृषकों के अधूरे कुओं को पूरा कराने का कार्य, बशर्ते कि सामग्री पर व्यय कृषक द्वारा दिया जावे।

(ix) सामुदायिक कुओं को गहरा कराने का कार्य।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–15 देखें।)

जिला भीलवाड़ा जिले की बाढ़ प्रभावित तहसीलें

291 श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह जुलाई-अगस्त, 1993 में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर, शाहपुरा, कोटड़ी तहसील में बाढ़ की स्थिति से भारी नुकसान व्यक्तियों तथा सार्वजनिक स्थल सड़कें, बांध एनीकट टूटने का हुआ था? यदि हां, तो पूरा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने घरों के गिरने तथा उनकी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त अथवा बह जाने का मूल्यांकन कराया था? यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता दी गई? क्या वह मापदण्ड के अनुसार पर्याप्त थी? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने टूटी हुई सड़कें, तालाब बांध व एनीकट का अनुमान पत्र तैयार कराकर उन्हें वापस मरम्मत करने की स्वीकृति प्रदान की है, यदि हां, तो क्या सरकार वर्षा से पूर्व अतिवृष्टि तथा बाढ़ से टूटे तालाब, बांध, सड़कें, एनीकटों की मरम्मत करायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पण्डेर, गन्धेर तथा अन्य ग्रामों में आने वाले पानी के बहाव को बदल कर इन बस्तियों की सुरक्षा के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां, माह जुलाई, अगस्त, 93 में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर, शाहपुरा, कोटड़ी तहसील में बाढ़ से हुए नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"क")

(2) जी हां। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए या गिरे मकानों के लिए निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। दी गई सहायता का विवरण (परिशिष्ट-"क" में) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। क्षतिग्रस्त सड़कों, तालाबों, बांधों तथा एनीकट के अनुमान पत्र तैयार करवाये गये हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों,

(अकाल राहत राज्य मंत्री)

तालाबों, बांधों, एनीकट के मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। वर्षा के पूर्व यह कार्य पूर्ण करवा दिया जाने की संभावना है। इन कार्यों के पुनरुद्धार हेतु बजट निम्न प्रकार से सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है :—

1. सिंचाई विभाग 156.77 लाख रु.
2. सा. नि. विभाग 405.00 लाख रु.

(4) जी नहीं। जिला कलक्टर को आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अलवर-भरतपुर की कस्टोडियन भूमि

292. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर-भरतपुर जिले की कितनी भूमि कस्टोडियन भूमि घोषित की गई ?

(2) क्या सभी क्लेमेज के अलावा अन्य को भी आवंटित करदी गयी है ? यदि हां, तो क्या सभी क्लेमेज की पूर्ति हो गयी है ?

(3) क्लेमेज को आवंटन नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की 3,33,906 बीघा 06 बिस्वा भूमि कस्टोडियन भूमि घोषित की गई। भरतपुर जिले की 2,51,504 बीघा भूमि कस्टोडियन भूमि घोषित की गई।

(2) अलवर तथा भरतपुर जिलों में क्लेमेन्ट्स के अलावा अन्य विस्थापितों को भी कस्टोडियन भूमि का आवंटन किया गया है। अलवर जिले के 6 दावेदारों के आंशिक क्लेम शेष हैं। भरतपुर जिले में नवीनतम सर्वे के अनुसार 787 व्यक्तियों के क्लेम बकाया हो सकते हैं, किन्तु अभी तक किसी क्लेमेन्ट ने अपना दावा जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) अलवर जिले के 6 क्लेमेन्ट्स को भूमि के आवंटन हेतु काबिल काश्त निष्क्रान्त भूमि की उपलब्धता का परीक्षण कराया जा रहा है। भरतपुर में 1975 तक के क्लेमेन्ट्स के दावों का निस्तारण किया जा चुका है।

चौरासी क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

293. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले के चौरासी विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने पशु औषधालय चल रहे हैं ? औषधालयों को खोलने का क्या आधार है ?

(2) क्या सरकार गंदवापाल, चारवाड़ा, महुड़ी, मोदर, मेवाड़ा, गेंजी, करावाड़ा, बोड़ामली थाप का तालाब आदि गांवों, जिनमें पशुओं की संख्या काफी है, पशु औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

Page No.56

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले के चौरासी विधान सभा क्षेत्र में 6 पशु चिकित्सालय क्रमशः बिछीवाड़ा, सागवाड़ा (माड़ा), देवल, पीठ, झोंतरी एवं सीमलवाड़ा तथा एक पशु औषधालय सावली में कार्यरत है। नया पशु चिकित्सालय खोलते समय पशु संख्या, क्षेत्र में पूर्व से कार्यशील पशु चिकित्सा संस्था से दूरी एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे भवन, डाक व्यवस्था, आवागमन के साधन आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(2) वर्तमान में पशु चिकित्सालय/औषधालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए गन्दवापाल, चारवाड़ा, महुड़ी, मोदर, मेवाड़ा, गेंजी करावाड़ा, बोड़ामली थाप का तालाब आदि गांवों में चिकित्सालय/औषधालय खोलने का विचार नहीं है। नया चिकित्सालय/औषधालय खोलते समय विचार किया जावेगा।

भरतपुर जिले की डेयरीज

294. श्री रामनारायण (नंनवां) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भरतपुर में कितनी राजकीय तथा निजी डेयरी हैं? उत्पादन क्षमता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डेयरियों में से स्वीकृत उत्पादन क्षमता से अधिक अथवा कम उत्पादन करने वाली कितनी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में भरतपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सहकारी अधिनियम के तहत एक सहकारी संस्था है। वहां सिर्फ दुग्ध संकलन एवं अवशीतन का कार्य होता है। दुग्ध संघ में वर्तमान में प्रतिदिन दो हजार लीटर दूध संकलन हो रहा है। राजकीय क्षेत्र में कोई डेयरी संयंत्र (प्लान्ट) नहीं है अतः उत्पादन क्षमता का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(2) भरतपुर जिले में निजी क्षेत्र में डेयरी संयंत्र स्थापित है जो कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत है अतः इसकी उत्पादन क्षमता से कम एवं अधिक उत्पादन से सम्बन्धित विवरण उद्योग विभाग से सम्बन्धित है।

राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ के अन्तर्गत संचालित इकाइयां

295 श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ के अन्तर्गत कितनी-कितनी इकाइयां (कैटल फीड फैक्ट्री आदि) कहां-कहां कार्यरत हैं?

(2) वर्ष 1990-91 से आज तक इनकी प्रति वर्ष उपयोगिता क्षमता कितनी रही तथा हानि/लाभ कितना रहा?

उत्तर

(1) राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के अन्तर्गत 4 पशु आहार संयंत्र

Page No.57

(डेयरी विकास राज्य मंत्री)

क्रमश: जोधपुर, बीकानेर, तब्बीजी (अजमेर) एवं नदबई (भरतपुर) में कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक इनकी प्रतिवर्ष उपयोगिता क्षमता एवं लाभ हानि का विवरण परिशिष्ट "क" पर सलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में श्रीनगर रोड पर दिनांक 2 मार्च, 1994 को श्री किशन चन्द नामक व्यक्ति की गोली मारकर की गयी हत्या से शहर में व्याप्त रोष एवं भय के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

(2) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर की बन्द पड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री को पुन: चलवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी में मण्डावरी बगड़ी सड़क पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के गांव ऊंझा के प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय झण्डे के स्थान पर केसरिया झण्डा फहराये जाने के सम्बन्ध में।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : केसरिया झण्डे को + + + है या राष्ट्र को....(व्यवधान)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, राइवल हैं, अत: इन पर मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य चाहे तो दो-दो मिनट इस पर अपनी बात रख सकेंगे।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से निम्न आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामेश्वरलाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के कुचामन सिटी में दिनांक 18-2-1994 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी मारपीट व अपहरण की घटना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राजस्थान सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि यह समस्त घटनाएं जाट एवं

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राजपूत छात्रों के बीच में एक पुरानी रंजिश को लेकर घटित हुई, जिनके सम्बन्ध में पुलिस द्वारा तुरन्त ही अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की गयी है। अब तक कुल 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा दोनों पक्षों के बीच शान्ति कायम करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों की वार्ताएं भी करायी गयी हैं। समस्त केसों में तफ्तीश जारी है। तफ्तीश समाप्त होने पर तथ्यों के आधार पर वैधानिक आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इस सम्बन्ध में दिनांक 28-2-94 को पुलिस की ज्यादतियों के सम्बन्ध में उठाये गये कतिपय प्रकरणों के समय सदन में इस पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है तथा गृह मंत्रीजी, राजस्थान द्वारा वक्तव्य भी दिया जा चुका है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं दिया गया है....सब नहीं बोलते थे।

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा हो चुकी थी। यह चर्चा में आया था।

श्री परसराम मदेरणा: हां, चर्चा में आया था।

श्री अध्यक्ष: इसलिए मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री हरिसिंह और बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोबनेर नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 1993 को दिन के 11 बजे एक व्यक्ति की कथित मारपीट की घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु होने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि इस मामले में मुस्तगीस पार्टी एवं अभियुक्तगणों की ओर से अलग-अलग परिवाद प्राप्त हुए हैं जिनमें स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाये हैं। अभियोग पत्रावली सी. आई. डी. (सतर्कता) शाखा द्वारा तलब कर, उनका परीक्षण कर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान के निर्देशानुसार निष्पक्ष अग्रिम अनुसंधान हेतु सी. आई. डी. अपराध शाखा को पत्रावली स्थानान्तरित की गयी है। दिनांक 22-2-94 से सी. आई. डी अपराध के अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है तथा अनुसंधान अधिकारी को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

दिनांक 28-2-94 को पुलिस की ज्यादतियों के सम्बन्ध में उठाये गये कतिपय प्रकरणों पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर तहसील के अधिकांश गांवों को अकाल की समस्या से निजात दिलाने हेतु कतिपय सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग किये से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती मीना अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में शराब की दुकानें मन्दिर, विद्यालय एवं बस्तियों से दूर खुलवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कतिपय गांवों में विद्युत आपूर्ति बराबर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से 132/33 के वी. सब-स्टेशन भवानी मण्डी जिला- झालावाड़ में 10/12.5 एम वी ए ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामेश्वरलाल भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नाहरी का नाका स्थित बांध की पाल पर हो रहे अनधिकृत निर्माण को हटाने तथा शिवाजी नगर एवं टाटा नगर में आने वाले पानी का निकास बंधे की ओर किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री आर. पी. शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर शहर में कन्या महाविद्यालय एवं संग्रहालय के पास स्थित आबकारी विभाग की शराब की लेबोरेट्री को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री बाबूलाल बछेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से दूदू विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री दुलीचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा के गांव बारी सजवानिया को माही बांध की आंशिक डूब में मानने से विद्युत कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील के ग्राम बिरदौल में धार्मिक तालाब पर मत्स्य पालन का ठेका देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री फतेह सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम मस्का महुड़ी में विद्यालय के विद्यार्थियों व ग्रामीण आदिवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले की पंचायत समिति दांतारामगढ़ के ग्राम चैनपुरा (खोरा) के अधूरे बांध को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर स्थित अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत खण्ड मुख्यालय को सलूम्बर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनायी गयी सड़कों की मरम्मत नहीं होने से यातायात में हो रही बाधा के सम्बन्ध में।

(15) श्री टीकमचन्द कान्त, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित पुलिस थाना मानसरोवर, सदर व सोडाला में कथित भूमि माफिया गिरोह के विरुद्ध दर्ज एफ. आई. आर. में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोली क्षेत्र के लकड़ेश्वर महादेव गांव में एक मन्दिर में गत मास हुई डकैती व कत्ल के मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, अभी 2–3 दिन पूर्व इसी सदन में चर्चा हुई थी, जयपुर में एक व्यापारी का अपहरण हुआ था और....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको उस पर बोलने की अनुमति दी है।

श्री किशन मोटवानी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आवश्यकता इस बात की है कि आज अजमेर बन्द पड़ा है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां है, 24 घण्टे में जवाब मांगते हैं हम, 24 घण्टे में जवाब मांग रहे हैं। आज आया है 24 घण्टे में जवाब मांग रहे हैं। जैसे और लोगों को दी है, बाकी को दूंगा। (व्यवधान) मैं आप सबको बुला रहा हूं। (व्यवधान) मैं एक-एक को बुला रहा हूं। माननीय चौधरी जी, एक-एक को बुला रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आप तो पहले....

श्री अध्यक्ष : सबको बुला रहा हूं मैं। आप बैठिये पहले, बैठिये। (व्यवधान) मैं सबको सुन लूंगा। मेरे पास चिट आयी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : अभी तो पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। मेरे पास चिट आयी हुई है। (व्यवधान) मैं सबको बुला रहा हूं। आपको भी बुला लूंगा। (व्यवधान) मेरे पास जिन्होंने पहले चिट लिखकर भेजी है, मैं उनका नाम बोल रहा हूं। उसके बाद बुला लूंगा मैं। (व्यवधान) श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट करें पहले ।

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका दूंगा । आपको भी बुला लूंगा ।

श्रीमती कमला : स्पष्टीकरण....

श्री अध्यक्ष : आपको भी बोलने का मौका दूंगा । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं इस पर नहीं बोल रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आप बैठिये । (व्यवधान) बोलते क्यों हैं फिर । दो मिनट बैठिये । आप इनको सुन लीजिये ।

श्रीमती कमला : मैं एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमला जी, व्यवस्था मत तोड़िये । पहले जिन्होंने चिट भेजी है— आपको मैं बुला रहा हूं । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : 295 के प्रस्ताव पर राज्य सरकार जो जवाब देती है....

श्री अध्यक्ष : आपको मैं बुला रहा हूं । मैं कह रहा हूं । मैं आपका नाम बुला रहा हूं । पहले जिन्होंने चिट भेजी है, उनको बोलने दीजिये ।

श्रीमती कमला : मैं उस पर नहीं बोल रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, जिस पर भी बोलना है, आपको जो कहना है कहिये । श्री घनश्याम जी । मैं सबको सुन लूंगा । मैं सबको सुन लूंगा । आप एक साथ क्यों खड़े हो रहे हो । देखिये, मैं तो अकेला हूं और मेरे से आप हाय-हाय करवा रहे हो, आप दस खड़े हो जाते हैं । मैं कह रहा हूं सुन लूंगा । (व्यवधान) आप बैठिये पहले । मैं सुन लूंगा । पहले आप बैठिये । मैं कह रहा हूं. सुन लूंगा ।....(व्यवधान) पहले बैठिये, आप । मैं कांग्रेस दल के नेता से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को अनुशासन में रहने के लिए कृपया निर्देशित करें । श्री घनश्याम तिवाड़ी । (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता । This is not a point of order. शून्यकाल में कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता । आप बैठिये । शून्यकाल में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो व्यवस्था दी है, उसी के सम्बन्ध में ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह व्यवस्था नहीं है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सिर्फ दो सैकण्ड....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुझाव दिया है, कोई व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सिर्फ दो सैकण्ड....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। श्री तिवाड़ी जी। श्री तिवाड़ी जी को नोट करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : × × ×

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केवल घनश्याम जी का अंकित करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : × × ×

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : हो जाएगा अपने आप। आप घनश्याम जी बोलिये। आपका ही नोट हो रहा है, अन्य का नोट नहीं हो रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस विषय पर इस सदन में दो दिन पहले भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय को उठाने के लिए यदि मुझे यह कहें कि आप इस विषय को बार-बार क्यों उठा रहे है तो मैं इस विषय को बार-बार उठाऊंगा। महात्मा गांधी ने कहा था, "गौ-हत्या का प्रश्न मेरे लिए स्वराज से बड़ा प्रश्न है।" संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में भी यह लिखा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी भरतपुर जिले के घिनोई गांव में गये थे तो वहां 100 गायों को मरी हुई देखा, वहां उनकी हड्डियों को देखा और उसके बाद उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि राजस्थान के लिए यह बहुत शर्मनाक काण्ड है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने से राजस्थान में जिस प्रकार के काण्ड हो रहे हैं वे हमारे लिए शर्मनाक हैं और दुःख की बात है।

कल माननीय सदस्य श्री विष्णु मोदीजी, और शांति धारीवाल जी ने तिजारा में तनाव का प्रश्न उठाया था। वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। वहां पर इस प्रकार की घटना हुई कि एक महीने पहले तिजारा तहसील के सैंकड़ों आदमी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास आये थे और माननीय मुख्य मंत्रीजी को उन्होंने ज्ञापन दिया कि इस प्रकार की गौ-हत्याएं रोज हो रही हैं। मुख्य मंत्रीजी ने उस पर आदेश दिया एम. पी. को कि एक महीने में वहां पर कड़ी कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद लगातार वहां पर चार घटनाएं हो गयीं और कम से कम 100 गायों का नृशंसतापूर्वक वध कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 4–5 ट्रक टपूकड़ा थाने से गायों को भर कर नूह और तावडू की तरफ हरियाणा में ले जाये गये। इसकी

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सूचना पुलिस को दी गयी। पुलिस ने वायरलैस से नूह और तावडू दोनों थानों में इस बात को खबर दी और पुलिस ने पीछा किया लेकिन पुलिस की उनसे मिली-भगत होने के कारण से बेरियर तक गयी और बेरियर तक जाने के बाद में पुलिस वापस आ गयी और पुलिस ने कोई कार्य-वाही नहीं की। उसके बाद डाकसिंह जाट एक व्यक्ति थे, उनकी गाय को मार कर डाल दिया गया। उन्होंने इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट की और इस रिपोर्ट के बाद में उनको गाय का सिर कटा हुआ मिला और लाश मिली। इसके बाद 6 हजार आदमियों ने जुलूस ले जाकर थाने में प्रदर्शन किया और थाने पर प्रदर्शन में सारा गांव शामिल था, सब सम्प्रदाय के लोग शामिल थे लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि थाने में कल उस डीवाई.एस.पी. की और थानेदार की लोगों ने पिटाई की, गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला और लोगों ने यह आरोप लगाया। यह सही बात है कि 300 रुपये में वहां गायें खरीदी जाती हैं और 1500 रुपये में बेची जाती हैं और गाय का जिस प्रकार का सीन वहां पर थाने में रिपोर्ट में दर्ज कराया है, उन्होंने कहा है कि गाय के खुरों में उन्होंने सरिये गाडकर उसके बाद जीवित गाय को लाठियों से पीट-पीटकर, जीवित गाय की खाल निकाल कर मांस को डिब्बा बंद करके ये चार थाने जो भरतपुर और अलवर जिले के हैं अन्तरराष्ट्रीय मांस के व्यापार का केन्द्र बन गये और हम इसको रोकने में असमर्थ रहे हैं और जिस प्रकार की नृशंस घटनाएं इसके बाद हुई हैं। अभी तक उस डीवाई. एस. पी. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुख्य मंत्रीजी के पास लिखित शिकायत आयी है कि 1500 रुपये लेकर डीवाई. एस. पी. और थानेदार वहां पर बेच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शर्म की एक बात और है कि चारों थानों के जो थानेदार हैं इन पर शिकायते हैं और चारों थानों के थानेदार यहां से गवर्नमेन्ट आर्डर से उन थानों पर लगे हैं। वे एस. पी. के अन्तर्गत नहीं है। आज इस प्रकार की स्थिति वहां पर हो रही है और वहां पर सब जगह अलवर और भरतपुर जिले में तनाव बनता जा रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा हो रहा है। इसलिए यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और गृह मंत्री का इस पर जवाब आना चाहिए।

मेरा एक प्रश्न और है कि 40 घटनाएं तीन महीनों में राजस्थान के भिन्न-भिन्न थानों में हुई हैं और नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। उन नामजद रिपोर्ट में सरकार ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की और कितने लोगों के खिलाफ चालान हुए? अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा था कि यह गौ-रक्षा मेरे लिए स्वराज से बड़ा प्रश्न है उसी प्रकार मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा की सदस्यता से गौ-रक्षा का प्रश्न मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए सरकार से क्लियर-कट नीति चाहेंगे, यह कह देने से कि केवल कानून ला रहे हैं, कानून लाने का स्वागत है। कानून लाया जाए लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जो क्षमता रही है, मैं चाहता हूं कार्यवाही हो। उस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

डीवाई. एस. पी. को, थानेदार को सस्पेंड करने की कार्यवाही की जाए और माननीय गृह मंत्री इस पर सदन में जवाब दें।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। गो-वंश समाप्त होता जा रहा है। इस प्रकार की गो-हत्या किया जाना धर्म के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : गृह मंत्री जी को कहें कि वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं। आप बोलिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : पहले आप कैलाश जी को सुनें। हां, आप बोलिये। कैलाश जी का ही नोट करना है।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कैलाश जी जो कह रहे हैं वह सुनिये।....(व्यवधान)....वे नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा। I am helpless. इस सदन में उन्होंने तय कर लिया है। कैलाश जी का नोट करिये, इनका नोट मत करिये। जिन-जिन का मैं नाम बोल रहा हूं उनका नोट करिये।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : × × ×

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं उनकी चिन्ता वास्तव में वाजिब है। चिन्ता के साथ न केवल मैं बल्कि इस सदन में आसन धारण किये हुए सभी माननीय सदस्य इस चिन्ता के साथ अपनी सम्मति व्यक्त करेंगे। हमारा एक समाज है (व्यवधान)... मैं बोल रहा हूं। आप महात्मा गांधी और अपने आपको बड़ा मान रहे हैं तो मैं भी उसके साथ जुड़ रहा हूं। मेरी बात भी तो सुनिये। आपकी बात तो हम पूरी तरह सुन लें और आप मेरी बात पूरी तरह सुनें।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आज आपने सुबह से ही मूड बना रखा है तो बोलने दीजिये। आसन की चले ही नहीं, आप ही कहें तो कहेंगे। आप कर रहे हैं वह कर रहे हैं। वे जिद कर रहे हैं कि वे बोलेंगे ही।........ (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चौमूं से आने वाले और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, बात यह है कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न आस्थाओं, विभिन्न विश्वासों का हमारा देश है लेकिन इन सब धर्मों में, सब आस्थाओं में, सब विश्वासों में भारतीय संस्कृति की मूल कुछ धारणाएं हैं-कि गाय के प्रति आदर और गाय को पूज्य माना जाता है। करीब-करीब सब की भावना उसके साथ है और यह जो घटनाएं हुई माननीय मुख्य मंत्री महोदय

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.65

(श्री कैलाश मेघवाल)

ने स्पष्ट कहा था कि कानूनी प्रावधानों को हम सख्त करने के लिए और किस तरह से ये घटनाएं कानूनन हम रोक सकें उसके लिए तो हम अलग से कानून लायेंगे । मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आज ही मैं आई. जी. स्तर के अधिकारी को इन सारी घटनाओं में जहां-जहां भी गो-हत्या हुई हैं उन सारी गो-हत्याओं की घटनाओं को एकत्र करके और उनकी 15 दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उस पर मैं कार्यवाही करूंगा ।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन कर दूं गवर्नमेंट आदेशों का आपने जिक्र किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान सरकार के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत के मुख्य मंत्री बनने के बाद यह गवर्नमेंट आदेश नहीं किये गये हैं । यह गवर्नमेंट आदेश राज्यपाल शासन के दौरान किये गये हैं । इनको भी मैं देख लूंगा कि ऐसे थानेदार जिनकी धार्मिक आस्था के प्रति विश्वास है या उनको किसी विशेष कारण से वहां किसी विशेष सिफारिश से लगाया गया है तो उनको भी वहां से हटाऊंगा और अगर वे इन प्रकरणों में जुड़े हुए हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और आई. जी. को मैं इस प्रकार के आदेश दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, कुचामन सिटी के माननीय सदस्य, आपकी बात मैं बोल दूं । आपसे मेरी बात हुयी थी....

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : आपको मैं अलाऊ नहीं करूंगा । उनको बोलना हो तो बोलें, आपको तो अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : हां, बैठ जाइये । मुझे कोई आपत्ति नहीं है । बैठिये । बैठिये । आपको अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय.... .

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Vishnoiji, I am very sorry. I am not going to be humble down like this.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : I would like to resign from this post. लेकिन मैं इस पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा । इस पद की गरिमा नही गिरने दूंगा । इस आसन की गरिमा रखूंगा । I will not allow. I am not going to be cowed down. मैं काउड डाउन नहीं होऊंगा ।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No.66

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिवनाथ सिंह जी, बोलिये। I wouldn't be cowed down.

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : बोलिये। मैं किसी एक माननीय सदस्य की मर्जी पर नहीं चलूंगा।

एक माननीय सदस्य : यह क्या तरीका है अध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोल रहे हैं, इनको बाहर निकालिये।

श्री अध्यक्ष : मैं हाउस चलाऊंगा, किसी एक माननीय सदस्य के निर्देशन पर काम नहीं करूंगा। आप बोलिये, बोलिये आप।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : ××× (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : बोल रहा हूं, साहब। अब यह बीच-बीच में....

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्या करूं, I am helpless.

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : ×××.

श्री अध्यक्ष : जिसका नाम बोलता हूं, आप केवल उसी का दर्ज करिये बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में अकाल को लेकर काफी चिन्ता व्यक्त की गयी है। प्रश्नों के द्वारा और दूसरों प्रकरणों के द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गयी है कि जो अकाल पीड़ित गांव हैं वहां के लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। मैं पूरे राजस्थान की नहीं, सिर्फ झुन्झुनू जिले की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज वहां 15 लाख की आबादी के जिले में और जहां 75 प्रतिशत गांव अकाल में हैं, मुश्किल से दो हजार आदमियों को अकाल राहत कार्यों में रोजगार मिला है और यह इसलिए हुआ है कि अकाल राहत कार्य खोले नहीं गये हैं। सरकार का प्रतिबन्ध है कि पिछली बार जो अकाल में काम बाकी रहे थे, अपूर्ण रहे थे, उन्हीं को हाथ में लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा अन्याय उन लोगों के साथ है जो अकाल पीड़ित हैं, काम के लिए दर-दर घूमते हैं और सरकार उनको मजदूरी नहीं दे पा रही है। इसके लिए मैं कहूंगा कि समुचित मात्रा में अकाल राहत कार्य खोले जाएं और इस प्रकार की जो सरकार की नीति है, छोटी-छोटी सड़कों के टुकड़े एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले, स्कूलों की बिल्डिंग्स और कोई छोटे बांध, इस प्रकार के काम हाथ में लिये जाएं और हर गांव में कम से कम छोटा-मोटा एक कार्य चालू हो, तभी जाकर इन लोगों को राहत मिल सकती है, मजदूरी मिल सकती है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां 15 लाख की आबादी में दो हजार आदमियों को भी मुश्किल से रोजगार नहीं मिल पाया है उस ओर सरकार ध्यान दे और समुचित मात्रा में मजदूरों को मजदूरी दिलाये और पूरा उनको काम मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करें।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। इसके बाद आपको बुलाऊंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में, टोडाभीम, नादौती, महावीर जी के अन्दर पिछली बार हमारे महंतों की हत्याएं हुई थी। एक तो नंगला वाली धूणी है महावीर जी के अन्दर, उसके महंत को मार दिया गया था। कोररा में हमारे शाद बाबा हैं उसका बहुत बड़ा स्थान है उसके महंत को मार दिया गया। कदम कुण्डी हमारे मीणा समाज का बहुत बड़ा स्थान है उसके महंत को मार दिया गया। तीनों महंतों की हत्या हो गयी लेकिन अभी तक हत्यारों का, एक का भी पुलिस पता नहीं लगा सकी, न किसी को पकड़ सकी। उसी का परिणाम है कि आज महावीरजी में, नादौती में, टोडाभीम में, तीनों जगह आतंक फैला हुआ है, लोगों का शाम के समय अपने घरों से से निकलना दुर्लभ हो गया है। माननीय गृह मंत्रीजी बातचीत में यहां लगे हुए हैं, मेरा निवेदन हैं कि बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : वह सुन रहे हैं, आपके पास ही तो बैठे हैं, दूर थोड़े हैं। आप इतना जोर से बोलते हैं कि उनके कान से ज्यादा + + + में घुस रही होगी बात। आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय कदम कुण्डी के महंत को मारने रात्रि में डकैत आये और बम के द्वारा उसकी हत्या की गयी थी। पूरा गांव देखता रहा, लोगों को घायल करके चले गये और गोली चलाते हुए वापस चले गये। लेकिन पुलिस में इस मामले की जब रिपोर्ट की गयी, छह घण्टे बाद पुलिस वहां पहुंची और इसके कारण हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गये। उसके बाद दूसरा काण्ड मेरे यहां पर हुआ। पदमपुरा के अन्दर वही हत्यारे, जिन्होंने दुबारा फिर वहां के महंत को जाकर मार दिया, उसका आज तक पता नहीं लगा। उसके बाद नंगले वाली धूणी के अन्दर रात्रि को गला घोट कर कमरे में बंद करके चले गये हत्यारे और उसको भी मार दिया। इन तीनों की रिपोर्ट हो चुकी है, तीनों ही मंदिरों के महंत हैं, मूर्तियां चोरी हो रही है। यही गुण्डा तत्व आज नादौती में, टोडाभीम में, महावीरजी के अन्दर सरे आम घूम रहे हैं, पुलिस ने आज तक किसी को नहीं पकड़ा। अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार महंतों की हत्या हो जाएगी, कोई आगे महंत बनना पसन्द नहीं करेगा तो इन देव मंदिरों को कौन चलायेगा ? हमारी हमारी सरकार मंदिरों के ऊपर, भगवान के ऊपर विशेष ध्यान देती है, राम का नाम लेती है हमेशा चुनाव में भी और इस प्रकार जब महंत मार दिये गये तो फिर हमारा यह खाली ढोंग है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे टोडाभीम, नादौती और महावीरजी में जो आतंक फैल रहा है पुलिस के द्वारा, उस भ्रष्ट पुलिस को बदला जाए और वहां के अधिकारियों

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

को चैंज किया जाए और इन हत्याओं का पता लगाया जाए और जो बदमाश सरेआम घूम-कर आम जनता को परेशान कर रहे हैं उसके बारे में मंत्री महोदय से जवाब दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री परसादी लालजी मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके विभाग को बार-बार कहने के बाद भी पी. डब्ल्यू. डी. की जो सड़क है मण्डावरी से बगड़ी, उस सड़क के दोनों तरफ जो नाले थे, बरसात का पानी निकलने के, गांव का पानी निकलने के, उन नालों पर अतिक्रमण कर लिया और आज स्थिति यह है मंत्रीजी, वहां दो दो फीट पानी ऊपर जमा हो गया है। मैंने आपके एक्स. ईएन. से भी कहा, कलक्टर साहब से भी चिट्ठी लिखायी, फिर भी आपका विभाग जैसे बिल्कुल सो रहा है। स्थिति यह है कि सड़क पर दो-दो फीट पानी है। वहां पर मंडी है, मंडी में लोग कैसे आयें, कैसे जाएं। मेरा आपसे निवेदन मात्र इतना ही है, आप अपने अधिकारियों से कहकर जो अतिक्रमण किया है और जो सड़क पर पानी भरा है, सड़क के अतिक्रमण की हालत यह है कि जो पक्की आपकी सड़क थी उसको भी खोद कर उस पर नींव भर कर वहां पर बरामदे वगैरह बना लिये। स्थिति यह है कि वहां आने-जाने में समस्या पैदा हो गयी, पानी दो-दो फीट सड़क पर भरा हुआ है, किसी भी अधिकारी को भेज कर आप उसे दिखा लें और मेरा निवेदन है कि उस अतिक्रमण को आप तुरन्त हटायें।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, घटना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की है। जिस दिन पूरे राष्ट्र में एकता-अखण्डता के लिये और सभी स्कूलों में प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। उस दिन जान-बूझ कर एक अध्यापक ने यह कुकृत्य किया है, घृणित कार्य किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। 26 जनवरी, राष्ट्रीय पर्व के दिन स्कूल में भगवा झंडा फहराया और गांव में भी भगवा झंडा घुमाया गया और फिर ऐसे गांव की घटना है जो गांव अल्पसंख्यक बाहुल्य है, वहां सबसे ज्यादा आबादी अल्पसंख्यकों की है ताकि उनकी भावना भड़क सके और इसी कारण से उन्होंने एकता के लिए खतरा पैदा किया है। इसलिए ऐसे अध्यापक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति न हो और सदन यह बताये, सरकार से मांग करूंगा कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में अगर दोषी पाया जाए तो उसको निलम्बित किया जाना चाहिए, बरखास्त किया जाना चाहिए अध्यापक को। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

(12.28)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

लूणकरणसर तहसील के गांवों में अकाल की समस्या

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत अपना विशेष उल्लेख निम्न प्रकार से पढ़ रहा हूं :-

लूणकरणसर तहसील का अधिकांश भाग अकाल-सामान्य क्षेत्र है। जहां आम तौर पर अकाल के कारण ग्रामीणों का जीवन कष्टमय बना रहता है। भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा जिनकी नियति बन गयी है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को अकाल से मुक्ति दिला कर उनका जीवन स्तर सुधारने के प्रयास युद्ध स्तर पर किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में लिफ्ट नहर की क्षमता बढ़ाकर नहर के दोनों किनारों की भूमि का सर्वे करा कर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लिफ्ट नहर की आर. डी. 110 के बांये किनारे, आर. डी. 145, आर. डी. 151 से सर्वे करके ग्रनीटेशन से सिंचाई सुविधा का प्रबन्ध करके पुलमेरा माइनर चारणा वाला वितरिका एवं माइनर से दिये गये काल्स को हटा कर तथा मलकीसर पम्पिंग स्टेशन किया. आर. डी. 301 से पानी लिफ्ट करके सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करके व लाडेरा माइनर, कानासर वितरिका मगासर व हुसनसर माइनर्स का कार्य सम्पन्न करा कर लूणकरणसर तहसील के अधिकांश गांवों के लोगों को अकाल समस्या से निजात दिलायी जा सकती है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस भू-भाग के अकाल के स्थायी समाधान हेतु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की योजना तैयार करा कर कार्यान्वित की जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम जी बुरडक।

आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक दवाओं का उपयोग

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं, आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित मामले पर नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा की बड़ी दुर्दशा हो रही है और सारे वैद्य आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बजाय एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के संरक्षण की कोई योजना नहीं है, आयुर्वेद चिकित्सक खुले रूप से एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं जिसको रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और नयी-पुरानी औषधियां (आयुर्वेदिक) चिकित्सालयों में सप्लाई की जा रही हैं। आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत वैद्यों के अलावा अन्य कर्मचारी भी एलोपैथी के डाक्टर बने बैठे हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि ग्राम गौराऊ तहसील जायल जिला नागौर के औषधालय में एक

(श्री हरजीराम बुरडक)

चपरासी एलपैथिक का डाक्टर बना हुआ है जिसकी प्रैक्टिस आज वैद्यों और डाक्टरों से भी ज्यादा है। इसकी शिकायत होने पर जांच हुई....

श्री सभापति : अचला रामजी, ध्यान से सुनिये, आपके विभाग का ही है।

श्री हरजीराम बुरडक : तथा एलोपैथिक पद्धति से चिकित्सा करना सिद्ध हुआ और उसको निलम्बित कर दिया। अपने प्रभाव का प्रयोग करके वह वापस बहाल हो गया और आज वह उसी स्थान पर तनख्वाह उठा रहा है। एक दिन भी अपनी नौकरी पर नहीं जाता है और खुले रूप से ग्राम निम्बी जोधा में प्रैक्टिस कर रहा है। शानदार बंगला बना रखा है, कई वाहन उसके पास हैं और एक दिन भी अपनी नियुक्ति स्थान ग्राम गौराऊ नहीं जाता है, केवल तनख्वाह उठाने के लिए ही वहां जाता है। जिला आयुर्वेद अधिकारी से सांठ गांठ कर रखी है।

इस प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के साथ सरकार की ढीली नीति का फायदा उठाकर इसी विभाग में कार्यरत कर्मचारी, वैद्य इस पद्धति को बदनाम करने पर तुले हैं। जहां यह पद्धति शुरू हुई वहां पर इसका बुरा हाल हो रहा है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए इसे पूरा संरक्षण दिया जाए तथा चिकित्सालयों में पूरी दवाइयां उपलब्ध करायी जाएं तथा इस विभाग में कार्यरत वैद्यों व अन्य कर्मचारी, जो एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती मीना अग्रवाल। यह संवेदनशील है, इसे दिखवाइये आप।

श्री अचलाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : सभापति महोदय, सूचना प्राप्त करके मैं उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति : श्रीमती मीना अग्रवाल।

शराब की दुकानों का नियत स्थान

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि विधि के अनुसार शराब की दुकानें मन्दिर, विद्यालय, बस्ती से दूर बनाने का नियम है ? लेकिन देखने में आता है कि शहर में बस्तियों के अन्दर और मन्दिर, विद्यालयों के पास ही दुकानें खोली जाती हैं। सरकार ने इन्हें रोकने और हटाने के लिए क्या व्यवस्था की है ? कृपया बतावें।

दूसरा प्रश्न यह है साहब, नित्य टी.वी. और अन्य मीडिया से यह बताया जाता है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बावजूद धड़ाधड़ शराब बिकती है। व्यक्तिगत रूप के अलावा उस व्यक्ति का सारा परिवार जैसे पत्नी और बच्चे भी इसकी हानि उठाते हैं। चाहे अतिरिक्त खर्च के रूप में हो या स्वास्थ्य हानि के रूप में हो। यह हानि पत्नी और बच्चे ही उठाते हैं। अतः परिवार के हित को देखते हुए

Page No.71

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना) : यह + + + से मिली हुई सरकार है ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : आपकी ही बनायी हुई है । आप थोड़े शान्त रहियें, यह सब आपकी बनायी हुई है, हमारी....

श्री मोहनलाल मोदी : मुकदमे पर लगे हैं, जिन लोगों ने आन्दोलन किया है शराब की दुकानें बन्द कराने के लिए, उनके खिलाफ भी मुकदमे आप ही तो कर रहे हैं ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : आप थोड़ा शान्त....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मोदी जी आप महिलाओं के बीच में क्यों आ रहे हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, यह महिलाओं को सुनना ही पसन्द नहीं करते ।

श्री मोहनलाल मोदी : सुनना नहीं, आपको सपोर्ट कर रहा हूं । आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : आप शान्त रहिये । मौका दीजिये महिलाओं को बोलने का । कितनी महिलाएं हैं विधान सभा में ? आप देखिये 9 महिला गिनती की है सही । फिर महिलाओं की बात को अटका रहे हैं, महिलाओं के बीच में रूकावट अटका रहे हैं । आप शान्त बैठिये, कृपा करके शान्त बैठिये ।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं इनकी बात का सम्मान कर रहा हूं ।

श्री सभापति : मोदीजी बैठिये आप । माननीय सदस्या बोलिये आप ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : तो मैं साहब, यह कच्ची शराब, देशी शराब जो बन रही है, उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगी कि उसके लिए सतत् कार्यवाही या जांच करके, दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए, जिससे महिलाओं और बच्चों के शोषण में कमी आये ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : शराब का उत्पादन क्यों किया जाता है और यह काम क्या आती है ? पीने के अलावा दूसरे कोई काम आती हो तो वह बताइये ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : यह आप ज्यादा जानते हैं ।

श्री सभापति : मेरे से अच्छा आप जानते है इसको श्री महादेव सिंह जी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं ।

श्री महादेव सिंह : मैं तो जानता हूं, लेकिन आप तो बताइये इनको । क्या काम आती है यह ? क्यों किया जाता है इसका

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री महादेव सिंह)

उत्पादन ? मैं कहता हूं इसका उत्पादन ही मत करो आप। जब यह बुरी है तो इसका, उत्पादन ही मत करो और यदि इसका उत्पादन किया जाता है तो इसका क्या उपयोग होता है यह मेरे को यह बताओ ?

श्री सभापति : बैठिये-बैठिये। आपकी भावना आ गयी है। श्री रिछपाल सिंह।

डेगाना में अनियमित विद्युत आपूर्ति

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में व्याप्त विद्युत् आपूर्ति की अव्यवस्था के बारे में।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेकों गांवों में विद्युत की आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है। किसानों को आठ घण्टे बिजली सप्लाई करने के राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद क्षेत्र के किसानों को मात्र पांच-छह घण्टे बिजली सप्लाई हो रही है जिसकी वजह से किसानों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों को विद्युत की आपूर्ति मेरूंदा में निर्मित एक 132 के. वी. जी. एस. एस. के मार्फत हो रही है। वहां पर केवल एक ट्रांसफार्मर 20 एम. वी. ए. का है जिससे विद्युत की आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है तथा ट्रान्सफार्मर ओवरलोड होने की वजह से ट्रिपिंग ज्यादा होती है और किसानों को अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से किसानों की फसल की सिंचाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पायी है और उनकी लाखों रुपये की खड़ी फसल सूख गयी। क्षेत्र के ग्राम नीमड़ी कलां, ढाढरियां, कलां नीमड़ी कोठारियां और नीमड़ी चांदावता में 33/11 के. वी. के दो जी. एस. एस. बनाने हेतु प्रस्ताव भी राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाये जा चुके हैं, परन्तु इनकी स्वीकृति में विलम्ब होने की वजह से भी क्षेत्र के किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपके माध्यम से, मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि 132 के. वी., जी. एस. एस. मेरूंदा में एक अतिरिक्त 20 एम. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर शीघ्र लगवायें अथवा क्षेत्र में अन्यत्र एक और 132 के.वी., जी.एस.एस. की स्वीकृति प्रदान करावें तथा नीमड़ी कलां–नीमड़ी कोठारियां एवं नीमड़ी-चांदावता-ढाढरिया कलां के 33/11 के.वी. जी. एस. एस. बनाने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कर कार्य अविलम्ब शुरू किया जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों को विद्युत आपूर्ति बराबर की जा सके।

श्री सभापति : मंत्रीजी, सुनें आप।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली विधान सभा में भी विद्युत आपूर्ति के लिए कई बार यह मुद्दा उठाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इस मामले पर ध्यान दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप देखिये। एक महीने का टाइम है फसल

(श्री सभापति)

का। आप खुद किसान हैं, आप जरा देख लें। रिछपाल सिंहजी आप बाद में इनसे मिलें। आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं इस पर आज ही जानकारी लूंगा।

श्री सभापति : सरकार संवेदनशील हो गयी, देखिये आप। श्री कन्हैया लाल पाटीदार।

भवानी मण्डी झालावाड़ में 10/12.5 एम.वी.ए. के ट्रान्सफार्मर की स्थापना

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, भवानी मंडी (झालावाड़) में 132/33 के. वी. सब स्टेशन में 10/12.5 एम. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर लगभग 12 माह पूर्व से स्वीकृत है मगर अभी तक विद्युत बोर्ड, जयपुर द्वारा यह ट्रान्सफार्मर उक्त स्वीकृत सब स्टेशन भवानी मंडी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस ट्रान्सफार्मर को लगाने हेतु सब स्टेशन द्वारा फाउण्डेशन आदि का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है।

मान्यवर, इस ट्रान्सफार्मर के अभाव से पिड़ावा और डग विधान सभा क्षेत्रों के किसान प्रभावित हो रहे हैं और विद्युत आपूर्ति की समस्या से ग्रस्त हैं। इस ट्रांसफार्मर के लग जाने से इन दो विधान सभा क्षेत्रों के किसानों को काफी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त 10/12.5 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर विद्युत मण्डल, जयपुर द्वारा 132/33 के. वी. सब स्टेशन भवानी मण्डी को तुरन्त उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें, ताकि किसानों को विद्युत आपूर्ति में राहत मिल सके। इस सम्बन्ध में मैंने बड़े अधिकारियों से दो-तीन बार मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इस बाबत ध्यान नहीं दिया। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि आप तुरन्त पैरवी कर उक्त ट्रांसफार्मर को शीघ्र दिलाये जाने की कृपा करें। मेरा यही निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी सुन रहे हैं, आपकी बात। श्री रामेश्वर भारद्वाज।

नाहरी का नाका स्थित बांध की पाल पर अनाधिकृत निर्माण

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : मान्यवर महोदय, निवेदन है कि नाहरी का नाका पहाड़ के नीचे राज्य सरकार ने पानी के बहाव को रोकने के लिए एक एनीकट (बांध) बनाया था क्योंकि पूर्व में 1964–65 एवं 1981 में सही निकास नहीं होने की वजह से पानी घनी आबादी वाले क्षेत्र से गुजरा और चांदपोल के अन्दर तथा बाहर भयंकर तबाही मचा दी जिससे लाखों की सम्पत्ति एवं जन-धन का नुकसान हुआ भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठा कर बांध का निर्माण कराया तथा पानी के निकास के लिए एक पैनल (पक्का नाला) बनवाया जिससे पूर्व में हुई घटना को पुनः होने से रोका जा सके।

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

अब इस बांध की पाल से पत्थर हटा कर वहां पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे पाल पर पत्थर का बना हुआ बांध कमजोर जीर्ण स्थिति की ओर बढ़ रहा है और पूर्व में घट चुकी 1964–65 व 1981 की पुनरावृत्ति होने की आशंका है। यही नहीं, बांध के पानी भराव क्षेत्र में लोग अवैध रूप से निरन्तर बसते जा रहे हैं जो भविष्य के लिए खतरे का स्पष्ट सूचक है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए पाल पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को अविलम्ब हटवाने के साथ पाल की मजबूती की पुख्ता व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे संभावित हानि से जन-धन की सुरक्षा हो सके।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् से निवेदन है कि नाहरी का नाका क्षेत्र के निवासी एवं टाटा नगर क्षेत्र में पानी का बहाव सीधे घनी आबादी वाले क्षेत्र से आता है जो पर्वत के नीचे बने बांध के चेनल में मिलता है इससे घनी आबादी क्षेत्र में हमेशा नाले में पानी के कारण मच्छरों और गंदगी का प्रकोप बना रहता है तथा इस क्षेत्र में गरीब कच्ची बस्ती वासी लोग रहते हैं जो हमेशा ही हानि के शिकार होते रहते हैं।

इस आबादी क्षेत्र में पुलिस द्वारा आये दिन चांदमारी का अभ्यास किया जाता है इससे क्षेत्र के निवासियों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है जिसे यहां से हटा कर अन्यत्र स्थापित किया जाना जनहित में अपेक्षित है।

अतः टाटा नगर एवं शिवाजी नगर में और इस क्षेत्र के पहाड़ों से आने वाले पानी के बहाव का निकास एक तरफ जो बांध बनाया गया है उस ओर से किया जाता है तो यह यहां के निवासियों के लिए लाभप्रद भी होगा, साथ ही बांध की उपयोगिता भी सिद्ध होगी और घनी आबादी के मध्य से निकलने वाले गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियों में से भी सुरक्षा मिल सकेगी।

आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि पानी के निकास को बन्धे की ओर कराने का कार्य जनहित में करने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : श्री आर. पी. शर्मा।

भरतपुर कन्या महाविद्यालय एवं संग्रहालय के समीप स्थित शराब की लेबोरेट्री का स्थानान्तरण

श्री आर पी. शर्मा (भरतपुर): सभापति महोदय, निवेदन है कि भरतपुर शहर के बीचों बीच गर्ल्स कालेज एवं संग्रहालय के पास एक देशी शराब की लेबोरेट्री है। इस लेबोरेट्री पर कार्यरत कर्मचारी एवं अन्य व्यक्ति शराब पीकर घूमते रहते हैं जिससे लड़कियों के साथ छेड़-छाड तथा गुण्डागर्दी हो रही है तथा यहां पर संग्रहालय देखने हेतु देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं उनको भी असुविधा का सामना पड़ता है। यहां पर गायत्री माता का मन्दिर, बिहारी जी का मन्दिर, मोहन

(श्री आर. पी. शर्मा)

जी का मन्दिर नेहरू पार्क तथा बदनसिंह विद्यालय भी है ।

अतः जनहित को ध्यान में, रखकर मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो सरकारी शराब की लेबोरेट्री है उसको किले में से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री बाबूलाल बछेर ।

दूदू में पेयजल की समुचित व्यवस्था

श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा नियम 295 के तहत आपके माध्यम से जलदाय विभाग मंत्री महोदय का ध्यान दूदू विधान सभा क्षेत्र को पेयजल समस्या समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं ।

यह बिडम्बना ही है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जयपुर जिले का हिस्सा होकर भी काफी पिछड़ा हुआ रहा है और शुरू से ही उपेक्षित भी रहा है । यहां की सबसे प्रमुख और विकराल समस्या पेयजल की है जिससे यहां का जनमानस बड़ा त्रस्त है । इसके दो मुख्य कारण हैं । पहला तो यह कि जिन कुओं से पानी की व्यवस्था थी उनका जल स्तर काफी नीचे चला गया और दूसरा यह कि यहां का 80 प्रतिशत जल खारा है । इस खारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों ने लोगों को जकड़ रखा है और लोग-बाग, बच्चे बेहद पीड़ित हैं ।

दूदू विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव आज भी इस हालत में हैं कि महिलाएं दूर दरज से सिर पर पानी लाकर पीने की व्यवस्था करती हैं और कुछ गांव के लोग आज भी उन बावडी और तालाबों का पानी पीने को मजबूर हैं जहां मवेशियों को भी पानी पिलाते हैं और उनको नहलाते हैं । साथ ही दूदू क्षेत्र के बड़े-बड़े कस्बे मसलन बिचून, नरेना, मौजमाबाद आदि में आबादी के हिसाब से पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है । इनमें पानी की बडी टंकियां, ट्यूबवैल आदि साधन कराये जाये जिससे पानी की व्यवस्था हो सके । खेड़ी सेवा से दूदू के लिए जो पाइप लाइन की स्कीम प्रस्तावित हुई थी, कई सालों से मात्र प्रस्तावित ही है जबकि खेड़ी में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करने में सरकार ने लाखों रुपये खर्च किये हैं । मैं चाहूंगा कि इस स्कीम को तुरन्त पूरी करायी जावे ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि मेरे पूरे दूदू विधान सभा क्षेत्र के हर गांव, हर ढाणी तक मीठा पानी पहुंचाने की व्यवस्था कराकर जन-मानस को राहत दिलयी जाए ।

श्री सभापति : दलीचन्द ।

बारी सजवानिया ग्राम: बांसवड़ा जिला में विद्युतीकरण एवं अन्य विकास काय

श्री दलीचन्द (दानपुर) : सभापति महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा

Page No.76

(श्री दलीचन्द)

क्षेत्र दानपुर में बारी सजवानिया नामक एक गांव है जिसकी जनसंख्या करीब 1500 की है। यह गांव माही बांध के किनारे बसा हुआ है जिससे उस गांव की केवल 148 बीघा जमीन डूब में चली गयी है और शेष सारा गांव पानी से बहुत दूरी पर बसा हुआ है और यह गांव पंचायत मुख्यालय का गांव भी है। लेकिन सरकारी रिकार्ड के अनुसार उसे डूब में मान लिया गया है। जिससे इस गांव में विद्युतीकरण का कार्य रुक गया है। यही नहीं, अन्य विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है और गति भी धीमी हुई है।

इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि दानपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव बारी सजवानियों को विद्युतीकृत करने के साथ अन्य विभाग के कार्य भी कराये जाएं।

मैं सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि इस गांव में बिजली की लाइन है, डी. पी. लगी हुई है। इसके बावजूद भी कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं जबकि वहां पर एक फैक्ट्री है उसको कनेक्शन दे रखा है। वह भी अभी बन्द पड़ी है, उसके चालू करवाने का आदेश करवायें ताकि वहां के मजदूरों को रोजी रोटी मिल सके।

इसलिए सरकार बारी सजवानिया के निवासियों को, जो कि आदिवासी बस्ती है, कनेक्शन देने की तत्काल कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

बिरदोल ग्राम कोटड़ी तहसील में धार्मिक तालाब पर मत्स्य पालन का ठेका देने से व्याप्त जनाक्रोश तथा उत्तेजना पैदा करने के सम्बन्ध में

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के ग्राम बिरदोल आबादी से लगे तालाब जो कि धार्मिक तालाब घोषित न करने से विभाग द्वारा जब चाहे मत्स्य पालन एवं ठेके देकर जनता में आक्रोश और उत्तेजना पैदा करना कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकता है।

इस तालाब पर 27-2-89 को भी धार्मिक स्थल पाल पर देवस्थान श्री तेजाजी महाराज, जुझारजी महाराज पीर महाज, महादेवजी, श्री देवनारायणजी, शीतलामाता, हनुमानजी, नालूसिहजी, माताजी आदि के अनेक स्थानों के पाल पर होते हुए मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य पालन एवं ठेके लिए निषेधाज्ञा देने के बाद पुनः तीन-चार वर्ष बाद मत्स्य पालन, आखेट खेलने एवं ठेके देने की कार्यवाही करना जनता की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करना है और जनता में इन दिनों व्याप्त असंतोष का कारण बना हुआ है। ग्राम की आबादी से जुड़े तालाब जहां पाल पर एक दर्जन से अधिक देवी-देवताओं के स्थान होने पर इसको धार्मिक तालाब घोषित कर सदैव मत्स्य और अन्य पशु-पक्षियों के शिकार को रोककर और निषेध कर धार्मिक तालाब घोषित न करने को

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लेकर जनता में आन्दोलनात्मक रूख लिये हुए है।

ग्राम के कतिपय असामाजिक तत्व एवं शिकार के शौक रखने वाले तत्वों द्वारा विभाग के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली-भगत से इसे धार्मिक तालाब घोषित न करना और 27-2-89 को इस तालाब पर मत्स्य पालन का ठेका निरस्त कर निषेधाज्ञा दी गयी उसके बाद उस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी तथा 27-2-89 को दिये गये आदेशों को पुनः शिथिल कर वहां पर मत्स्य पालन और अन्य पशु-पक्षियों का शिकार एवं आखेट आरम्भ कर जनभावना एवं धार्मिक भावना के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। इससे वहां की जनता में गहरा आक्रोश है और कभी भी बड़ी घटना घटित होने की स्थिति बन सकती है।

इस बाबत बड़वा मोडीलाल, पिता छोगालाल निवासी बड़ा चार भुजा, घड़बोर हाल मुकाम गणेशपुरा तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा की पोथी में विस्तृत विवरण अंकित है। जिसके सम्बन्ध में ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र मय प्रमाण माननीय मुख्य मंत्रीजी. को दिया जा चुका है।

अतः मैं उक्त प्रकरण में विशेष उल्लेख के जरिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि बिरदोल तहसील कोटड़ी का आबादी के पास स्थित तालाब को धार्मिक तालाब घोषित कर वहां मत्स्य पालन, आखेट, शिकार का स्थायी निषेध कर भविष्य में ठेका न देने, मत्स्य पालन न करने के प्रभावी आदेश देकर जन आक्रोश समाप्त किया जाए।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, थोड़ा-सा और बता दूं, दो मिनट। उस गांव में करीब डेढ़ सौ घर तो ब्राह्मणों के हैं जो सब पूजा-पाठ करने वाले लोग हैं और वे कई बार बसें भर-भर के जिला प्रशासन में और सब जगह इस बात की मांग करते हैं..

श्री सभापति : आरक्षण के बताओ कितने घर हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : वह तो दो-चार हैं।

श्री सभापति : सरकार उस पर ज्यादा विचार करेगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि न तो अभी इस विभाग के मंत्री महोदय कहीं नजर आ रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि इस मामले पर सरकार पूरी अटेंशन दे कर रही है सीरीयसली, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य, सरकार गम्भीरता से, पूर्णतया....

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां गम्भीर है, साहब, कोई पता ही नहीं लग रहा मुझे।

श्री समापति : आप बिराजिये, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद।

श्री फतेह सिंहजी

मस्का महुडी ग्राम में पेयजल समस्या

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : विधान सभा के प्रक्रिया तथा सचालन के नियम 295 के अन्तर्गत कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम मस्का महुडी में मान्यता प्राप्त विद्यालय के विद्यार्थी व ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख द्वारा निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के मस्का महुडी में मान्यता प्राप्त विद्यालय चर्च संस्था द्वारा चलायी जा रही है।

यह है कि उक्त विद्यालय में 700 (सात सौ) विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये विद्यार्थी आदिवासी समाज के हैं।

यह कि मस्का महुडी गांव की सामूहिक आबादी अधिक तथा विद्यार्थियों व ग्रामीण आदिवासियों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, महुडी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पानी हेतु कई बार राज्य सरकार को निवेदन करने के बावजूद भी राहत नहीं मिली है।

मान्यवर, अनास नदी से जल योजना द्वारा डूंगरा छोटा, बड़ा को अनास नदी से पानी दिया जाता है। मेरी मांग है कि नल योजना स्कीम से मस्का महुडी गांव को पानी दिया जावे।

डूगरा छोटा से मस्का महुडी की दूरी एक किलोमीटर है। वहां विद्यार्थी व ग्रामीणों को पानी नहीं मिलने से आक्रोश व्याप्त है। अतः मेरी मांग है कि उक्त गांव को जल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

श्री समापति : बिराजिये।

श्री फतेह सिंह : समापति महोदय, एक विद्यालय मस्का महुडी गांव में चल रहा है उसके अन्दर 500 लड़के तो उस होस्टल में रहते हैं और दूसरी गांव की भी आबादी है। अब दिक्कत वहां पर यह आ रही है कि उस जगह, उस गांव में ट्यूबवैल लगाये गये, हैंडपम्प भी लगाये गये, कुए खोदे गये लेकिन वहां पानी नहीं मिल रहा है।

श्री समापति : आप बिराजिये आपको जवाब मिल जाएगा।

श्री फतेह सिंह : इतने सारे लड़के वहां रहते हैं, उनको नहाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है तो मेरी सरकार से मांग है कि उनको डूगरा गांव है...

श्री समापति : आपने बात रख दी अब बिराजिये आप।

श्री फतेह सिंह : अनास नदी से जो योजना बनी हुई है उसको इससे जोड़ा जाए।

श्री समापति : श्री नारायण सिंह।

ग्राम चैनपुरा (खोरा) के अधूरे बांध का निर्माण

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : समापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचा-

(श्री नारायण सिंह)

लन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये ग्राम चैनपुर (खोरा) पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) के अधूरे बांध को पूरा करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को धनराशि स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

यह बांध पिछले सालों में स्वीकृत हुआ था तथा इस पर अब तक दस लाख रुपये के करीब खर्चा हो चुका है। यह बांध यदि पूरा किया जाता है तो आस-पास के सिंचाई के कुओं में पानी का स्तर बढ़ेगा। इस बांध के पास नदी के पेटे के आस-पास काफी कुएं हैं जिनसे सिंचाई का कार्य होता है। इस स्थान पर ऐसे कुए भी हैं जिनसे कई गांवों में रीजनल स्कीमों के जरिए पीने का पानी दिया जाता है। आज इन कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है जिसके कारण पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। करीब तीन साल से इस बांध का कार्य बन्द पड़ा हुआ है। कीमतों के बढ़ने से लागत बढ़ती है। सन् 1990 से इसका तकमीना साढ़े नौ लाख रुपये का था लेकिन इस साल तकमीना बढ़कर बीस लाख रुपये के करीब हो गया है। बांध की स्वीकृति जवाहर रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत करवायी जाए क्योंकि सिंचाई मद में सीकर विकास प्राधिकरण द्वारा धनराशि सिंचाई विभाग को आवंटित की गयी है वह पूर्ण नहीं हो रही है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सीकर को दस लाख रुपये की स्वीकृति करने के अधिकार हैं। उसे बढ़ा कर बीस लाख रुपये करने का आदेश प्रदान करवायें जिससे ऐसे अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री फूलचन्द मीणा (अनुपस्थित)।

श्री कन्हैयालाल मीणा।

कृषि उपज मण्डी बस्सी द्वारा बनायी गयी सड़कों की मरम्मत

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत कृषि उपज मण्डी द्वारा बनायी गयी सड़कों की 20 वर्षों से अब तक एक बार भी मरम्मत नहीं करने से यातायात में आ रही बाधा के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से श्रीमान् कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि उपज मण्डी द्वारा आज से 15–20 वर्षों से बनी इन सड़कों की जो हालत हो रही है, लोगों को उसको छोड़कर कच्चे रास्तों से जाना पड़ रहा है जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। सड़कों में जगह-जगह डामर उखड़ जाने से गड्ढे ही गड्ढे होकर रोड़ी निकल आयी। ऐसी स्थिति हो गयी है कि जब तक उन पर दुबारा डामर नहीं होगी तब तक लोगों को आने-जाने हेतु कच्चा रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सड़कें टूट जाने के कारण अनेक जगहों पर तो रोडवेज की लगी बसें भी सड़क सही नहीं होने के कारण बन्द कर दी गयी हैं।

(13.00)

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

अतः सरकार से निवेदन है कि निम्न सड़कों पर डामरीकरण करने की व्यवस्था करें जिससे आम जनता को हो रही समस्या दूर हो सके। मुख्य-मुख्य सड़कें इस प्रकार हैं :—

1. बांसखो रोड से भटेरी वाया पाटन।

2. बस्सी से सांमरिया वाया पालावाला जाटान।

3. श्रीजी महाराज के मन्दिर बैनाड़ा से नायला कानोता रोड वाया कुन्थाड़ा।

4. नेशनल हाई-वे आगरा रोड से दूधली वाया सुजानपुरा।

5. रोजवाड़ी से तूंगा वाया माधोगढ़।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समूह बनाकर बातचीत नहीं करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उक्त के अलावा भी जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी टूट-फूट गयी हैं। अत: इन सबका सर्वे करवा कर मरम्मत का कार्य करवाया जावे या इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भला दी जावे तो जिस प्रकार आज राजस्थान में सड़कों का रख-रखाव हो रहा है, इन सड़कों का भी हो सके।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द कान्त।

भूमि-माफिया गिरोह के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) ; माननीय सभापति महोदय, जयपुर शहर में पिछले समय में भूमि माफिया जिस प्रकार से सक्रिय हो रहा है उसके कारण भले लोगों को जीने में बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है। श्रीमान्, आजकल कई प्रकार के भूमि माफिया शहर में छाते जा रहे हैं। एक वे माफिया गिरोह हैं जो लोगों की खरीद/पट्टेशुदा जमीन पर उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कब्जे करता है। दूसरा गिरोह सरकारी खाली पड़ी भूमियों पर कब्जे करता है अथवा कब्जे करवाता है। तीसरा वह गिरोह है जो लोगों के एक प्लाट को कई बार बेच देता है। एक प्लाट पर अनेक लोग दावेदार बन जाते हैं और अपने पक्ष में सभी लोग जमा रकम की रसीदें, पट्टे आदि दिखाते हैं। और भी कई प्रकार के गिरोह शहर में जैसे-जैसे भूमि के दाम बढ़ते जा रहे हैं वैसे-वैसे सक्रिय होते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछली बार ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों पर हाथ डालकर ऐसे गिरोहों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है लेकिन आज भी इन गिरोहों पर अनेक प्रकार के मुकदमे विचाराधीन हैं जिन पर गर्भित कारणों से पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है। इससे भूमि माफिया की शक्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।

श्री सभापति : ग्रहित है या गर्भित।

श्री टीकमचन्द कान्त : जिसने लिख कर दिया वह गलत लिखा था। मेरी हिन्दी बहुत शुद्ध है वैसे। बाकी सुधार कर लें। मैं जो पढ़ रहा हूं वह उसी हिसाब से पढ़ रहा हूं।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

इसके कारण गरीब जनता बड़ी त्रस्त है। एक छोटा-सा प्लाट खरीदने के लिए गरीब मजदूर अपने घर के जेवर गिरवी रखता है। कर्मचारी अपने वेतन, भविष्य निधि आदि को दांव पर लगा देता है लेकिन उसको इन गिरोहों के चक्कर के कारण पैसे जमा कराने पर भी प्लाट उपलब्ध नहीं होते, पट्टा होते हुए भी कब्जा नहीं दिया जाता।

श्रीमान्, मैं जयपुर शहर के लम्बे मामलों में जाना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए श्री धर्मचन्द सैनी, जो शिवा-को-आपरेटिब सोसायटी के सचिव हैं, पर बने उन आठ पुलिस मुकदमों के सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री धर्मचन्द सैनी के विरुद्ध दर्ज एफ. आई आर. 137/92 थाना मानसरोवर, आई. पी. सी. धारा 307, श्री रूपनारायण बनाम श्री धर्मचन्द सैनी।

श्री सभापति : क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मुकदमे बने हैं उन मुकदमों के नाम हैं। वे वैसे आरोप नहीं हैं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, क्या सदन में ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि सदन में बैठे हों या बोल रहे हों तो कोई भी माननीय सदस्य पान वगैरह नहीं खाएं। यह शालीनता के बहुत विपरीत बात है। बहुत से मेम्बर्स मैंने देखा है कि यहां पर बैठे हुए पान खाते रहते हैं और उगाली करते रहते हैं और वह बहुत भद्दा लगता है।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सभापति महोदय, यह जुगाली शब्द निकाल दें। जुगाली बोल रहे हैं क्या?

श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : जो बात यहां पर कही है न, आप मेहरबानी करके उस पर कोई निर्णय मत ले लेना। आपके इसमें अध्यक्ष महोदय भी इन्वाल्व हैं और मुख्य मंत्रीजी भी इन्वाल्व हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, यह जुगाली शब्द, तो कम से कम निकालें। जुगाली तो पशु किया करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने नियम बने हुए हैं और पान कोई खाए तो दिखाये नहीं। वैसे नियम बने हुए हैं पान के बारे में, खान-पान के बारे में।

श्री टीकमचन्द कान्त : कमला जी, अब मैं पढ़ूं क्या?

श्री सभापति : आप पढ़िये, आपको कौन रोक रहा है।

श्री टीकमचन्द कान्त : उनसे पूछ लें, साहब। वे बोल रही थीं।

2. 214/92 थाना मानसरोवर आई. पी.सी. धारा 420, 467, 468, 120 (बी) हनुमान सहाय/धर्मचन्द सैनी।

3. 174/92 थाना सदर धारा 420, 467, 468, 471 व 120 (बी) राजेन्द्र

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कुमार बनाम श्री धर्मचन्द सैनी, 3 निरीक्षक (डी. आर. व 5 प्र. का. सदस्य)।

4. 42/93 थाना सोडाला धारा 420 वेद प्रकाश बनाम धर्मचन्द सैनी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पढ़ दीजिए इसको आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : 5. 186/88 थाना सोडाला धारा 408, 420, 467 व 120 (बी) श्री रमेश आजाद बनाम धर्मचन्द सैनी।

6. 69/93 श्री नरेन्द्र कुमार बनाम धर्मचन्द सैनी, खाली आबंटन पत्र बरामद करने, थाना सोडाला।

7. 70/93 श्री राजेन्द्र कुमार बनाम धर्मचन्द सैनी, खाली पट्टे बरामद करने, पी. एस. सोडाला।

8. 401/93 श्री जितेन्द्र कुमार बनाम धर्मचन्द सैनी, थाना सोडाला।

उपरोक्त रिपोर्टों से लगता है कि 307, 420, 408, 120 (बी) जैसे संगीन मामलों में कोई कार्यवाही नही हुई। महोदय, 1988 में जब प्रथम बार 408, 420, 467, 120 (बी) रिपोर्ट नं. 186/88 दर्ज हुई तब ही उचित कार्यवाही हो गयी होती तो बाद के मुकदमे नही होते और गरीब लोगों को न केवल पैसे जमा कराने के बाद पट्टे ही मिल जाते अपितु वे अपने प्लाट के कब्जा-शुदा मालिक भी होते। लेकिन पुलिस कार्यवाही न होने के कारण वे दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। मेरा गृह मंत्री महोदय से आग्रह है कि क्या ऐसे संगीन अपराधों में लिप्त भूमि माफिया के सरदार पर पुलिस हाथ डाल सकेगी और क्या ईमानदारीपूर्वक कोई कार्यवाही करेगी। यदि एक पर कार्यवाही होगी तो इसका परिणाम अन्य भूमि माफिया पर भी होगा। श्रीमान्, भूमि माफिया बहुत सशक्त है। मैं आशा करता हूं कि बलवती इच्छा शक्ति के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री शांति कुमार धारीवाल।

लकड़ेश्वर महादेव गांव एवं मंदिर में हुई डकैती एवं कतल के मुलजिमों की गिरफ्तारी

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। महोदय, हिण्डौली क्षेत्र लकड़ेश्वर महादेव गांव में एवं महादेव के मन्दिर में गत मास हुई डकैती व कतल के मुलजिमों को अभी तक जिला पुलिस नहीं पकड़ पायी है। 15–20 डकैतों ने मन्दिर के बाहर बनी दुकानों को लूटा। एक व्यक्ति का कतल किया तथा कई व्यक्तियों को चोट पहुंचाई एवं मन्दिर के कलश, छत्र व नकद राशि को उठा ले गये। पुलिस की कार्यवाही को अभी तक सन्तोषप्रद कार्य नहीं कहा जा सकता। जनता के आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर त्वरित गति से ध्यान दें।

लकड़ेश्वर महादेव के आस-पास के गांवों में जबरदस्त भय व्याप्त है। शाम के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बाद ग्रामवासी अपने मकान बन्द कर बैठ जाते हैं, सारा आवागमन बन्द हो जाता है क्योंकि अभी भी उनको पूरा डर है कि डकैत फिर से डकैती डालने आ सकते हैं।

अतः मैं पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लेकर जनता के हित में कार्यवाही करने का कष्ट करें अन्यथा जनता आन्दोलनात्मक रुख अपना सकती है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीया सदस्या, क्या कह रही हैं?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : हमारे जो सांगानेर के पास एक बागड़ों की ढाणी में डकैती हुई है, डेढ़ महीना हो गया, उसके बारे में अभी कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई, न कोई पकड़ा गया जिसमें 15 आदमी....

श्री सभापति : आपने इसकी सूचना दी है?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं इसीलिए बोल रही थी।

श्री सभापति : नहीं, यह तो अलग विषय है। 295 में आप देंगी तो आपको बोलने की अनुमति मिल जाएगी। बिराजिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राजेन्द्र गहलोत। ध्यानाकर्षण कीजिये माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : हो गया।

श्री सभापति : नहीं, उनको करने दो आप।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर के 16 ग्रामों का नियमन

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति जी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय सभापतिजी, जोधपुर में 16 गांव जो पंचायत क्षेत्र में थे, वर्ष 1992 में सर्वे के आधार पर नगर परिषद् क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए गये थे। उस क्षेत्र की सिवायचक भूमि के नियमन करने हेतु जिला कलक्टर जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30-11-85 को बैठक का आयोजन कर सम्बन्धित गांवों का सर्वे करने का निर्णय लिया गया। सर्वे के आधार पर नियमन करने हेतु राज्य सरकार को जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/33-ग्रुप 478, दिनांक 3-2-86 के द्वारा निवेदन किया गया था। बी.जी.एस. कालोनी को नियमित करने के लिए राज्य सरकार के नगरीय क्षेत्रों की कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक स्थानान्तरण एवं नियमितीकरण के आदेशों के अन्तर्गत वर्ष 1993 में तीन कैम्प लगाये जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, भूमि रूपान्तरण के द्वारा जिन भूखण्डों में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भूमि रूपान्तरण आवासीय किया गया उनके नियमितीकरण एवं विकास शुल्क की राशि न्यास ने जमा करने की स्वीकृति दी। उक्त कालोनी में अब तक 150 भूखण्डों का भूमि रूपान्तरण किया जाकर विकास शुल्क जमा कराया गया। इसके अतिरिक्त उक्त कालोनी में कुछ क्षेत्र मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट व अन्य उपयोग में होने से उक्त कालोनी को अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के द्वारा आवासीय में परिवर्तन नहीं किया जा सका। इस कारण न्यास में विकास शुल्क जमा नहीं कराया जा सका है। इस कालोनी में राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों का भूमि रूपान्तरण भू-उपयोग आवासीय में किया गया उसमें शेष बचे प्रकरणों को निपटाने के लिए माह फरवरी, 1994 के तीसरे सप्ताह में कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया गया था परन्तु अब अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर नहीं होने के कारण यह मार्च, 1994 में कैम्प लगाया जाकर निपटाने की कार्यवाही की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार न्यास क्षेत्र मे 1981 की जनगणना के आधार पर कच्ची बस्तियों का सर्वे कराया गया था। उक्त सर्वे के आधार पर पट्टे, लाईसेंस जारी किये गये। वर्ष 1981 तक सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में अधिकांश प्रकरणों में लाईसेंस जारी किये जा चुके हैं। इस हेतु माह मई व जून, 1993 में विशेष कैम्प भी आयोजित किये गये थे। कुछ मामलों में, जिनमें कच्ची बस्तियों में मौके पर रहवास नहीं पाया गया था या भूखण्ड के स्वामित्व के बारे में विवाद होने के कारण लाईसेंस जारी नहीं किये जा सके। जोधपुर न्यास क्षेत्र में 117 कच्ची बस्तियां हैं, जिनमें न्यास अपने सीमित आर्थिक साधनों द्वारा पानी, बिजली, सीवर लाइन को सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्ष 1993-94 में न्यास द्वारा कच्ची बस्तियों में सड़कों, पानी एवं बिजली हेतु कुल एक करोड़ रुपये खर्च किये गये तथा वर्ष 1994-95 में बजट में इतनी राशि का प्रावधान रखा गया था। नगर परिषद्, जोधपुर के चार दीवारी क्षेत्र में बसी हुई 1-1-81 से पूर्व की कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण जिला कलक्टर के कार्यालय से नहीं करवाया गया था। परिणामस्वरूप बहुत से कब्जाधारियों के नियमन का कार्य लम्बे समय से नहीं किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा शहरों में नगर विकास शिविरों के आयोजन की घोषणा करने पर जन-प्रतिनिधियों ने कब्जाधारियों को पट्टे जारी करने की मांग जिला कलक्टर महोदय से की। सर्वश्री राजेन्द्र गहलोत, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों के अनुरोध पर जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर ने दिनांक 13-9-93 को नगर निगम अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर इस समस्या पर विचार किया एवं निर्णय लिया कि 1-1-81 से पूर्व के ऐसे कब्जाधारियों का, जिनके कब्जे का प्रमाणीकरण राशन कार्ड मतदाता या अन्य किसी पुष्टि या साक्ष्य से होता हो, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 8479 दिनांक 21-1-82 के अनुसार नियमन कर दिया जाए। उक्त निर्णय की अनुपालना में नगर निगम द्वारा 1-1-81 से पूर्व के कब्जेधारियों को पट्टे दिये जा रहे हैं। पानी, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं नगर

Page No.85

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निगम द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस प्रकार इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार सजग है।

श्री सभापति : प्रश्न पूछेंगे ? स्पष्टीकरण (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : हां, प्रश्न पूछूंगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जब यह प्रकरण मेरे सामने आया तो वास्तव में इसमें बड़ी गम्भीर समस्या थी और यह सन् 1962 से चली आ रही है और इसमें कई कानून भी उलझे हुए हैं। यू. आई. टी. है, नगर निगम है, पंचायत भी है व रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है। इस प्रकार कई प्रकार के कानूनों का बीच में मसला अड़ता है। मेरा सुझाव होगा अगर माननीय सदस्य उससे सहमत हों तो जिला कलक्टर, जो इसको देख भी रहे हैं, की अध्यक्षता में नगर निगम और यू आई. टी. के अधिकारी और रेवेन्यू के अधिकारी बैठ कर और मैं समझता हू कि माननीय सदस्य भी उसमें रहें और वहां बैठकर इसका निर्णय करलें। जो कानून में परिवर्तन करना है वो कानून में परिवर्तन हो जाएगा, किसी किस्म का परिवर्तन करना है तो वो हो जाएगा, रेवेन्यू लायक कोई बात होगी तो वो भी हो जाएगा। वरना किसी एक संस्था या नगर निगम को या यू. आई. टी. को देंगे तो, मैं समझता हूं, यह मामला जो पुराना पड़ा है और उलझ जाएगा। आप सहमत हैं तो इसकी हम यह व्यवस्था कर सकेंगे।

श्री सभापति : कहिये, माननीय राजेन्द्र सिंह जी, यह सुझाव कैसा है माननीय मंत्रीजी का ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो सुझाव दिया है वह एक अच्छा सुझाव है। मैं आशा करता हूं कि इससे समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री सभापति : यह तो मिनी आकर्षण में बदल जाएगा आपका ध्यानाकर्षण।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी को जितनी आशा है और समस्या को सरल मान रहे हैं -- (व्यवधान) नहीं-नहीं आगे सुनिये, मैं आगे बता रहा हूं....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं कहां मान रहा हूं। आप मेरे शब्दों से मत कहो। जटिल मान रहा हूं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बात तो सुनिये।

श्री सभापति : हां, बात सुनाइये लेकिन मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कठिन समस्या है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जिस आसानी के साथ कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान चाहते हैं उतनी आसान और सरल बात यह नहीं है। माननीय सभापति

Page No.86

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जी, 1971 के अन्दर राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला था उसके अन्तर्गत इन 16 गांवों के अन्दर जो किसानों की भूमि है, पशुओं के बाड़े हैं, बाड़ियां हैं और मकान हैं उनका नियमन कर दिया जाय। उसमें 500 वर्गगज के भूखण्ड थे उनका निःशुल्क नियमन कर दिया जाए। 500 से ज्यादा वर्गगज के जो भूखण्ड हैं, हजार वर्ग गज तक के, उनसे 25 पैसे प्रति गज के हिसाब से लेकर उनका नियमन कर दिया जाए। इसके बाद उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। उसके बाद 1977-78 के अन्दर राज्य सरकार ने एक आदेश और निकाला। उसके अन्तर्गत भी यह भावना दर्शायी गयी, आपने 36 हजार लोगों का सर्वे किया था, आज वो एक लाख से ऊपर हो गये हैं, परन्तु उस समय भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। 1985-86 के अन्दर राजस्व सचिव वहां आये थे और यू. आई. टी. सचिव आये थे और जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग जोधपुर में हुई थी उसके अन्दर यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करे। मेरा, माननीय सभापति जी, यह निवेदन है कि यह जो 16 गांव की समस्या है, इसमें शहर के चारों तरफ बसे हुए किसानों की बस्तियां है, जब नगर परिषद के चुनाव होते हैं, वार्ड भी हैं, वहां पार्षद चुनकर जाते हैं परन्तु इस क्षेत्र के अन्दर विकास कार्य का जब सवाल होता है तो कहते हैं, गैर योजना क्षेत्र है, यहां विकास कार्य नहीं हो सकते हैं और जहां मकान बनाने की स्वीकृति का सवाल आता है तो नगर सुधार न्यास भी बनाने नहीं देती, नगर परिषद भी बनाने नहीं देती और इसके बीच फिर भी वह मकान बनाते जा रहे है। तो इस तरह से नागरिकों को असुविधा हो रही है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर रियासत के समय जोधपुर की राजधानी आज से 500 वर्ष पूर्व बसी हुइ बस्ती है मण्डोर, उसके बाद जो भी बस्तियां हैं, वह इन 16 गांवों की है। 100 वर्ष से कम की कोई भी बस्ती नहीं है। यहां साधारण किसान परिवार रहते हैं जो खेती-बाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, जीने के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता है, उतनी जमीन उनके पास है। परन्तु आज स्थिति इस प्रकार की हो गयी है कि वो स्वयं अपने मालिक होने के बाद आज न तो उसे बेच सकते हैं, न उसमें कुछ कार्य कर सकते हैं। माननीय सभापति जी, यह 16 गांवों की समस्या है। 16 गांवों के साथ-साथ उसमें 17 गांव और आ गये, अब 33 गांवों की समस्या है। मास्टर प्लान में किसानों की बस्तियां बसी हुई हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इसमें क्या चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, इसमें भवन बनाने की स्वीकृति दें। किसान जो चाहते हैं, जितनी आवश्यकता जमीन की है उस हिसाब से वहां पर योजनाएं लागू होनी चाहिए, मेरा एक निवेदन यही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप एक तरीका बतायें कि मंत्री महोदय यह

(श्री सभापति)

चाहते हैं ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इस पर ही आ रहा हूं। माननीय सभापति जी, यह बता रहा था कि यह कितना गम्भीर मामला है। कम से कम एक लाख परिवारों का सवाल है। इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है उसको मानने को तैयार हूं, समयबद्ध अपना एक टाइम तय कर दें कि इस समय के बीच में सारे मामले विचार कर लिये जाएंगे।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि किसानों की जो बस्तियां थीं उसके तो नियमन का मामला मंत्रीजी कर लेंगे परन्तु उसके साथ ही उनके जो खेत थे और जब शहर का विस्तार हुआ, भूमि रूपान्तरण का नियम आया उसके अन्तर्गत भूमि रूपान्तरण के मामले होंगे, खेतों की जमीन थी उस पर आज 50 हजार भू-खण्ड इस क्षेत्र के अन्दर कटे हुए हैं परन्तु जो 18 फरवरी का नियम आया है उसके अन्तर्गत जोधपुर को कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसानों ने निजी तौर पर अपने भू-खण्ड काटे हैं या अपने किसी को बेच कर निजी तौर पर भू-खण्ड काट चुके हैं। आज भू-खण्ड की समस्या 1990 से, तीन साल से चल रही है। उन पर न तो उनके नक्शे स्वीकृत होते हैं.. न भवन बनाने की परमीशन दी जाती है। यह मामला भी इसके साथ जटिल होता जा रहा है। जितनी देर इस मामले में की जाएगी यह और अधिक जटिल होता जाएगा इस संदर्भ में माननीय मंत्रीजी के सुझाव का स्वागत करता हूं, वह कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनायें ताकि उस हिसाब से यह कार्यक्रम हो जाए।

अब सवाल आता है मेरी दूसरी कच्ची बस्तियों का।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके 16 गांवों का है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : नीचे और भी है, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसमें है।

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बी. जी. एस. कालोनी। यह बस्ती कम से कम आज से 70 वर्ष पूर्व बसी हुई है, यहां पूर्व सैनिक रहते हैं। माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मई, 1992 के अन्दर इस पूरी बस्ती का नियमन करने का एक आदेश दिया। उसके अन्तर्गत दो बार प्रशासन ने शिविर लगाये। शिविर में 150 पट्टे दे दिये गये थे। 1981 के अन्दर कृषि भूमि रूपान्तरण के अन्तर्गत 57 लाख रुपये सोसायटी के जमा हुए हैं और यह पूर्व सैनिकों के हैं। मैं, माननीय सभापतिजी, मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले को इस ढंग से लें कि 1981 में जिनके पैसे जमा हैं उसके साथ ग्रीन बैल्ट के अन्दर तीन खसरे जो आये हुए हैं उनको आप क्लियर करें और उसके साथ ही जो 57 लाख रुपये जमा हैं वह उसके विकास कार्य में लगें, ऐसी व्यवस्था करें। परन्तु जो आपका 18 फरवरी का नियम

Page No.88

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

आया है उसके अन्तर्गत अब यह होगा कि अतिक्रमण बता कर उसमें तीन गुना विकास शुल्क लेंगे। हम तो यह कह रहे हैं कि 70 साल पुरानी बस्ती है, तीन गुना विकास शुल्क का पैसा हम उसका लेंगे तो कोई भी विकास शुल्क का तीन गुना पैसा देने को तैयार नहीं है। इस बारे में मंत्रीजी क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे, क्या जवाब देंगे, मैं यह चाहता हूं।

इसके साथ ही आज से 100 वर्ष पुरानी एक गांधीपुरा बस्ती है। यह बस्ती भी बहुत पुरानी बसी हुई है। यह कच्ची बस्ती है लेकिन आज तक उसको कच्ची बस्ती की सुविधा नहीं मिली है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, गांधीपुरा कच्ची बस्ती को भी नियमित किया जाए। इसके साथ ही मण्डोर और मगरा क्षेत्र के अन्दर राजीव गांधी कालोनी बसी हुई है। राजीव गांधी कालोनी 80 से पहले की बसी हुई है। 1980 के चुनाव में वोटर लिस्ट में उन सब के नाम थे परन्तु 1981 के सर्वे में किस कारण से उनके नाम नहीं आये? वहां पर बंजारे जाति के लोग बसे हुए हैं। उस क्षेत्र के अन्दर बाद में कीर्ति नगर एक योजना लागू कर दी गयी और उस योजना में कुछ क्षेत्र कीर्ति नगर क्षेत्र में चला गया, कुछ कच्ची बस्ती क्षेत्र में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस संदर्भ में जिला कलक्टर के साथ बैठकर ऐसी कोई समिति बनायें ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1980 से बसे हुए हैं पानी, बिजली और सड़क, यह तीन आवश्यकता उस बस्ती में मिलनी चाहिए।

इसी के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जोधपुर में जो कच्ची बस्ती बसी हुई हैं, एक करोड़ रुपये का आपने आंकड़ा दिया है, एक करोड़ का कार्य हुआ, एक करोड़ की आगे योजना और लेने वाले परन्तु एक करोड़ रुपये की राशि बहुत ही कम है। कम से कम 300 कच्ची बस्तियों के अन्दर यदि काम होता है तो एक करोड़ का तो उसमें कुछ भी असर नहीं होगा। माननीय सभापतिजी, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, ध्यानाकर्षण के माध्यम से आपने मुझे इसके लिए समय दिया और मंत्रीजी की सहानुभूति है कि समस्या का समाधान होना चाहिए, तो, मंत्रीजी, जो सुझाव हैं, इस बारे में भी कुछ न कुछ बतायें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, समयबद्ध कार्यक्रम बता दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, जैसे मैंने निवेदन किया और माननीय सदस्य ने जानकारी दी कि समस्या बहुत पुरानी है, बड़ी जटिल है, बहुत बड़ी है। मेरा माननीय सदस्य को यह सुझाव होगा कि नियमों में आकर जिनका निपटारा हो सकता है उनको कम से कम उनके साथ मत लगाइये। जो कानून में उलझे हुए हैं, अलग-अलग चरणों में इसको कर लिया जाए। तो जिनको नियमों से फायदा मिल सकता है आज ही उनको दे दें। एक समस्या बी. जी. एस. कालोनी की बतायी। वह रूपान्तरण की है ग्रीन बैल्ट में आ गयी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसलिए वह नियमित नहीं हो सकती। तो मैं यह आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको हम परिवर्तन कर देंगे और 1981 से पहले जिनके पैसे जमा हैं, उनको वह लाभ मिल जाएगा, यह आपकी समस्या निपट जायेगी और बाकी समस्या के लिए तो यह इतना जटिल है, जब तक आप इसमें बैठ कर काम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं यहां से कोई आदेश चाहे तो मैं दे सकता हूं लेकिन यहां से कोई आदेश दें (व्यवधान) कइयों के पास पट्टे नहीं हैं ...(व्यवधान) कइयों के पास सबूत नहीं है, कइयों के कब्जे बाद में हुए हैं, यह भी जानकारी दी कि कइयों के सर्वे में नाम नहीं आए। तो एक कमेटी बैठ कर जाच कर ले। उसमें चाहे गलती से नाम रह गया होगा उसका जो वास्तव में अधिकार हैं। तो यह भी जांच हो जाएगी। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि इसमें आप बता दें। मेरा सुझाव तो यह है कि कलक्टर की तो अध्यक्षता हो जाए और किन-किन अधिकारियों को जोड़ने से लाभ होगा, वह मुझे सलाह दे देंगे तो वह अधिकारी जोड़ कर एक कमेटी बना देते हैं। कितने समय में हो सकता है, यह भी आप रीजनेबल बता दीजिये मुझे कि यदि यह समिति काम करे तो कितने समय में हो सकता है। तो समय निर्धारित कर दूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समस्या का समाधान होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं। तो आप मुझसे मिलें बाद में।

श्री सभापति : माननीय मदेरणा साहब।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, सर्वे क्या हुआ?

श्री सभापति : मदेरणा साहब बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सर्वे क्या चीज हुई? जो आदमी वहां रह रहा है, जैसा मंत्रीजी और माननीय सदस्य बता रहे है कि 80 से पहले के हैं, उनका नाम कहीं सर्वे में या नहीं लिखा तो उसको उजाड़ देंगे क्या? सर्वे क्या चीज है? जो आदमी को वहां पर रेगूलर करिये। अगर आपके नियमों में नहीं आता तो नियम तो मैन मेड हैं। सरकार में आप बैठे हैं, किसलिए बैठे हैं? कोई आपने, हमने ठेका ले रखा है जिन्दगी भर का कि हम यहां बैठे रहेंगे? उसको बदल दीजिये कि यह ठीक नहीं है। इसको रेगूलाइज कीजिये। कोई वैसी व्यावहारिक बात नहीं है। नियमों में नहीं आता। क्या नियम हुए? नियम कोई भगवान के भेजे हुए नहीं हैं। नियम मैन मेड हैं। वह सरकार चली गयी, आपकी सरकार आ गयी, आप जिन्दगी भर नहीं रहने वाले हैं, दूसरी सरकार भी आएगी, बदलिये आप नियमों और लोगों को सुविधा दीजिये। आपकी पार्टी के आदमी हैं और हम भी साथ देते हैं। क्या नियम हैं? बदलिये उन नियमों को और लोगों की मदद कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा और आपने उसका ऐसा अर्थ निकाल लिया...(व्यवधान) ....एक सैकण्डा वर्तमान में जो नियम हैं उन नियमों में बहुतों को लाभ मिल जाएगा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और जिनको लाभ नहीं मिलेगा उनके लिए क्या नियम बनाये जाएं, तो मैं कह रहा हूं कि बैठकर विचार करके ...

श्री रामनारायण चौधरी : क्या नियम हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : रेग्यूलराइज के लिए कोई नियम तो बनाने ही पड़ेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं बनेंगे सात साल तक।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों नहीं बनेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो आदमी जहां पर बैठा है, 10 साल से बैठा है, 5 साल से बैठा है, 3 साल से बैठा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो देखना पड़ेगा ना।

श्री रामनारायण चौधरी : या तो आप करिये, अगर आप नहीं करेंगे तो हम जन-आन्दोलन चलायेंगे। (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो देखना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कोई बात हुई। भगवान ने भेजा है धरती पर और आप उसका साथ देना नहीं चाहते। आप उसको उजाड़ देना चाहते हैं। यह नहीं होगा।

श्री सभापति : रामनारायण जी, बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह किसने कहा, यह कहां से जोड़ रहे हो आप ? इसको राजनैतिक क्यों बना रहे हो ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप इसको रुटीन में मत लीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई रूटीन नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जवाब दे दिया, यह रूटीन नही चलेगा विधान सभा में। एक डिसीजन होगा, निर्णय कीजिये। जो नियम हैं उनको बदलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बता दीजिये क्या बदलना है। क्या बदलना है, जरा नियम बता दीजिये आप।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने जो समस्या सुझायी है उसके बारे में आपने कहा कि जो नियमों में आते हैं उनको तो हम फायदा देंगे।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण जी, एक मिनट बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आप बहुत बडे हैं।

श्री सभापति : मैं आपको समय दे रहा हूं, एक मिनट बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोलने की चेष्टा करेंगे तो हम सबको बैठना पड़ता है। हमारी सुनिये। माननीय सदस्य ने, एक बात कही उस पर आपने कहा, ठीक कहा कि जो नियमों में आते हैं उसको तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

हम कर देंगे पर जो नियमों में नहीं आते, ग्रीन बैल्ट में आ गया उसमें मैं आपसे सलाह लेता हूं कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको मदद कैसे करें ? यह मत कहिये .. (व्यवधान)—

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं कहा मैंने ।

श्री रामनारायण चौधरी : कहा है, मैंने सुना है । आप तो जो नियमों में आते हैं उनको मदद कीजिये और जहां आपके नियम बाधक हैं, गरीब आदमी यहां जमीन पर बैठा है उसको आप रेगूलराइज नहीं कर सकते तो उन नियमों में आप संशोधन कर दीजिये और उनको मदद पहुंचा दीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने कब मना किया ? मैंने कहां मना किया इसमें ?

श्री सभापति : यही बात माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जबरदस्ती इश्यू बना रहे हैं इसको । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, मैं समय दूंगा आपको । माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं । माननीय मदेरणा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, समस्या बड़ी जटिल है और पुरानी है, यह बात मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं । नियमों में आती है और नियमों के अन्तर्गत आप उसका समाधान कर देंगे तो निदान हो जाएगा । अब जो नियमों में नहीं आता है, आप कह रहे हैं बहुत पुरानी बस्तियां हैं, 1982 के सर्वे में वह नहीं आयी हैं, लोगों ने प्लाट काट दिये क्योंकि वहां भी विरोधाभास है माननीय सदस्य के कथन में, एक तरफ तो वह कह रहे हैं किसान हैं, तमाम चीजें हैं, वह किसान थे, सोलह गांव तो आ गये म्यूनिसिपल एरिया में, सत्तरह आ गये मास्टर प्लान में, जिन लोगों की खातेदारी थी उन्होंने प्लाट काटकर भूखण्ड तो तैयार कर दिये लेकिन वह भूखण्ड रेगूलराइज नहीं हो रहे हैं क्योंकि आवासीय भूखण्ड बेचने का किसी को अधिकार तो है नहीं, जब आपने अन्त में कहा कि जटिल समस्या है लेकिन मैं अफसरों की एक कमेटी बना दूंगा और आप नाम दे दीजिये । आप यहां बैठे-बैठे क्या कर रहे हैं ? कोई भी मैम्बर जब प्रश्न उठाते हैं और वह कह देंगे आप लगाओ आबकारी अधिकारी को, तो आप लगा देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे कैसे कह देंगे ? समझदार हैं वह ।

श्री परसराम मदेरणा : वह नहीं कह देंगे तो आप कन्सर्ड डिपार्टमेंट के लोग, आप यह समझते हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए मैंने कहा जिलाधीश....(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कौन नियमन कर सकता है ? मैं समझता हूं कि इसमें दो लोग ही नियमन कर सकते हैं । एक तो राजस्व के लोग, क्योंकि इसका

(श्री परसराम मदेरणा)

सीधा सम्बन्ध राजस्व मे है, दूसरा लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट । जहां बहुत पुरानी कच्ची बस्तियां हैं, सौ साल पुरानी है, उनको रेगूलराइज करना है । सर्वे के ग्राधार पर करना है । सर्वे से रह गये हैं, रहे है तो कितने रह गये हैं, यह सब प्रश्न तो ग्रापसे सीधा, डायरेक्ट सम्बन्ध रखने वाले हैं । कमेटी तो ग्रापको अपाइन्ट करनी चाहिये । यह तो ग्रापका विवेक है कि किन लोगों को कमेटी का मैम्बर रखने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा । ग्राप दे दीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय नेता महोदय, मैंने सुझाव दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह उत्तर जो आप दे रहे हैं, सहानुभूति वाला तो ठीक है, ऐसी सहानुभूति ग्रापने पहले भी माननीय सदस्य को दी है । इसका मतलब सहानुभूति तो है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने यह सुझाव दिया है किला....(व्यवधान)....

श्री सभापति : ग्राप बिराजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने जिलाधीश महोदय की ग्रध्यक्षता में नगर निगम, यू. ग्राई. टी. रेवेन्यू वालों के नाम दिये हैं । मैंने यही कहा था ।

श्री रामनारायण चौधरी : सारी बातें मंत्री महोदय ऐसे कर रहे हैं, 'जिलाधीश महोदय' । क्या महोदय हैं ? यहां सरकार बोल रही है राजस्थान की ग्रौर यह विधान सभा है । जिला कलक्टर कह दीजिये ।

श्री सभापति : जिलाधीश शब्द का प्रयोग न करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रौर सरकार क्या रेवेन्यू सरकार हुई कि यह रेवेन्यू भी भी ग्राएगा, फलां भी ग्राएगा । ग्राप सरकार को रिप्रजेण्ट करते हैं, जोइण्ट रेस्पांसिबिलिटी है, जोइण्ट रेस्पासिबिलिटी के ग्रन्दर मुख्य मंत्री जी ग्रापके बराबर में बैठे हैं, ग्राप उनसे सलाह करके जमीन माफियों ने जयपुर ग्रौर दूसरी जगहों पर, सारे राजस्थान के ग्रन्दर लोगों के लिए प्राब्लम पैदा कर दी है, माननीय मुख्य मंत्री जी ग्रा गये हैं, मुख्य मंत्रीजी, ग्राप यहां से इतना बोलते थे, ग्ररबों रुपये की ग्रामदनी ग्राप सरकार के लिए बताते थे, मैंने ग्रापका एक भाषण सुना उसमें ग्रापने कहा कि मैं राजस्थान सरकार को एक सुझाव देता हूं कि इस जमीन का इस तरह से नियमन कर दीजिये ग्रापके पास लाखों रुपये ग्रा जाएगा, करोड़ों रुपये ग्रा जायेंगे, ग्राज ग्राप स्वयं सक्षम हैं, ग्राज ग्राप कोई मंत्री नहीं हैं, ग्राप तो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं ग्रौर मुख्य मंत्री की हैसियत से ग्राज ग्राप इन जमीन माफियों को नियन्त्रित करना चाहते हैं, ग्राज इनको नियंत्रित नहीं करोगे ? ऐसी इजाजत दोगे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, छोड़ें ।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रौर मंत्री जी कह रहे हैं, मैंने सुझाव दिया है ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

सुझाव दे करके आप हमें निर्णय बताइये। आप तो अपना निर्णय बताइये कि मेरा यह निर्णय है।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय रामनारायण जी। आपकी बात आ गयी है। आप बिराजिये। मोटवानी साहब।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): सभापति महोदय, मैं तो एक रास्ता बताने का प्रयास कर रहा था। आपने बड़ी वाहवाही ली है। कच्ची बस्तियों में आपने जल कनेक्शन का उदारीकरण किया है। आपने जल कनेक्शन खोल दिये जहां अनियमित बस्तियां हैं। जब आप ऐसा कर सकते हैं तो उन अनियमित बस्तियों को नियमित करने के कानून बने हैं क्या? आप कर सकते हैं। यह आज ही घोषणा कर सकते हैं उनको कर देंगे। जैसे 1981 तक हैं, 1981 के बाद की कर दीजिये। उनको नियमित कर देंगे, उसमें कहने में क्या दिक्कत है। ऐसी बस्तियां कई शहरों में है, आप कर दीजिये।

श्री सभापति : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, जोधपुर का प्रश्न था। जोधपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर के की बात करना चाहती हूं।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, वह नहीं होगा। इस ध्यायाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित बात कहिये। यह सोलह गांव जो सम्बन्धित हैं ध्यानाकर्षण से, उसके अलावा नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : चारदीवारी के अन्दर जितने भी एनक्रोचमेंट वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे।

श्री सभापति : वह नहीं होगा इनमें। जोधपुर जनरल की चर्चा नहीं होगी इसमें।....(व्यवधान)....रामनारायण जी, बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : कोई गांव का ही सवाल नहीं है। जोधपुर का सवाल आ रहा है। यह क्या बात हुई?

श्री सभापति : इससे सम्बन्धित नहीं है, आप बिराजिये। आप मेरी बात सुन लीजिये। जोधपुर के नियमन से सम्बन्धित जो मामले हैं, उसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजेन्द्र जी गहलोत ने उठाया है उससे सम्बन्धित मामले में आप प्रश्न पूछना चाहे तो मैं आपको इजाजत दे रहा हूं लेकिन जोधपुर शहर की जनरल चर्चा का विषय इसको मैं नहीं बनने दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सारे राजस्थान का मामला है।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, सारे राजस्थान का नहीं है, यह पर्टिकूलर है और पर्टिकूलर इस विषय पर राजेन्द्र गहलोत ने....

श्रीमती सूर्यकान्त व्यास : सभापति महोदय, कच्ची बस्तियों के बारे में बात कही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : आप पूछिये । प्रश्न पूछिये ना आप ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां तो मैं वही निवेदन करना चाहती हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न पूछिये आप ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : शहर के अन्दर कच्ची बस्तियां हैं । वहां कच्ची बस्ती बना ली मगर वहां पर किसी को पट्टा नहीं मिलता है । आये दिन एनक्रोचमेंट करते जा रहे हैं इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं । जोधपुर शहर के अन्दर एक गंगलाव तालाब है उसके अन्दर तक लोगों ने मकान बना दिये हैं । एक बाईजी महाराज का आश्रम है उसको भी चारों तरफ से घेर लिया है और आये दिन एनक्रोचमेंट होते हैं । इसके बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं, 82 के अन्दर वहां पर अरविन्द मायाराम जी सिटी मजिस्ट्रेट थे, तब उन्होंने एक-एक को वहां से निकाल कर उसको मैदान कर दिया था लेकिन आज वह सारे वापस बसने शुरू हो गये है। या तो उनकी व्यवस्था की जाएं, नहीं तो ऐसे ही वह बसते जाएंगे । ऐसे धार्मिक स्थानों के पास····

श्री कालूलाल गुर्जर : नियमन करा देंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं नियमन करने का नहीं है । जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उस पर तो रोक लगायें। बाद में नियमन की बात आएगी। नियमन करें, न करें वह बाद में बात आएगी। जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको तो रोकिये ना ।

श्री सभापति : बिराजिये । श्री राजेन्द्र गहलोत ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरा निवेदन यह है कि आज कच्ची बस्तियों में ·· (व्यवधान) हां, मैं संतुष्ट हूं ।

श्री सभापति : तो चर्चा समाप्त करते हैं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इसमें मेरा सुझाव है, 81 के सर्वे के अन्दर जो कच्ची बस्तियां चयनित नहीं की गयी हैं तो अगला सर्वे मंत्रीजी पता नहीं कब करवायेंगे इसलिए जब तक सर्वे नहीं हो तब तक जो पुरानी बसी हुई बस्तियां हैं उनको वहां से नहीं हटाया जाए और उनको पानी, बिजली, सड़क की सुविधा दी जाए । दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि सोलह गांवों के अन्दर जो विकास कार्य रूके हुए हैं उन विकास कार्यों को नगर सुधार न्यास और नगर परिषद् दोनों में से कौन करेगा या दोनों ही करेंगे इसकी भी व्यवस्था माननीय मंत्री जी दें । मंत्रीजी ने सहानुभूतिपूर्वक हमारी समस्या की ओर ध्यान दिया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने पहले निवेदन किया कि समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता निकालना होगा और उसके लिए जिलाधीश महोदय तो नहीं कहना चाहिये····

श्री सभापति : जिलाधीश नहीं, कलक्टर नाम है उसका। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई बात नहीं है। पुरानी-आदत पड़ी हुई है कहने की।

श्री सभापति : आदत सुधार लें। कलक्टर, जिला कलक्टर।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनकी अध्यक्षता में यू. आई. टी. के चेयरमैन····

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : राज्य सरकार ने आदेश निकाल रखा है।

श्री सभापति : हां, जिला कलक्टर ही कह रहे हैं। जिला कलक्टर ही कहा जाना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगर निगम के अध्यक्ष या एडमिनिस्ट्रेटर (व्यवधान)

श्री सभापति : उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : भूमि रूपान्तरण के जो अतिरिक्त जिला कलक्टर हैं उनकी एक समिति बना देंगे और जोधपुर के दोनों विधायक को भी इसका सदस्य बना देंगे और 6 महीने में इसके समाधान की कोशिश करेंगे। फिर कोई बात होगी तो और देख लेंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : हर जिले में ऐसी समिति क्यों नहीं बनवा देते।

श्री सभापति : हर जिले का सवाल नहीं है।

श्री किशन मोटवानी : जहां-जहां यह कच्ची बस्तियां हैं वहां बनाने की मन्शा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा राज्य में एड्स रोग के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

एड्स की रोकथाम हेतु उपाय

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना। भारत में एड्स के रोग का प्रसार निरन्तर बढ़ता जा रहा है····

श्री सभापति : आप ध्यान आकर्षित कर दें फिर मंत्रीजी बोलेंगे फिर स्पष्टीकरण कर लीजियेगा मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, एड्स की समस्या पूरे विश्व के समक्ष एक गम्भीर चुनौती बन गयी है। यह एक ऐसा रोग है जिसका बचाव तो सम्भव है परन्तु इलाज सम्भव नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को कि उन्होंने इस अति गम्भीर और सामयिक समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया। एड्स की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करें यह तो बहुत

Page No.96

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ठीक है परन्तु इसकी ओर स्वयं आकर्षित हो जाएं यह बड़ा संकट का विषय हो जाएगा।

सभापति महोदय, भारत में 31 जनवरी, 1994 तक 20,02,304 खून के नमूनों की जांच एच. आई. वी. संक्रमण हेतु की गयी उनमें से 14,439 व्यक्तियों में वेस्टर्न ब्लड जांच द्वारा संक्रमण पाया गया। इस प्रकार प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में 7·21 व्यक्ति एच. आई. वी. संक्रमण से ग्रसित पाये गये। इनमें से 31 जनवरी, 94 तक प्राप्त. आंकड़ों के अनुसार 707 रोगियों में एड्स के लक्षण पाये गये हैं।

अक्टूबर, 1993 के अन्त तक कोटा के अतिरिक्त राज्य के पांच मेडिकल कॉलेज में कुल 46010 व्यक्तियों की जांच की गयी जिसमें से कुल 188 रोगी एच. आई. वी. संक्रमित पाये गये। पांचों मेडिकल कॉलेज व एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज स्थित सर्वेलेन्स सेण्टर द्वारा किये गये रक्त परीक्षण व संक्रमित पाये गये रोगियों की संख्या निम्न प्रकार है।

		रक्त के नमूने	एच. आई. वी. संक्रमण
1.	माइक्रोबॉयोलोजी विभाग, जयपुर	16971	41
2.	एस. एम. एस. हास्पिटल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय, जयपुर	16774	66
3.	जे. एल. एन. हॉस्पिटल, अजमेर	2225	26
4.	पी. बी. एम. हॉस्पिटल, बीकानेर	3 39	3
5.	उम्मेद हॉस्पिटल, जोधपुर	3409	42
6.	सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर	3494	10

इसके अतिरिक्त राज्य में और भी एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों का पाया जाना सम्भव है।

एच. आई. वी. संक्रमण मुख्यतया निम्न तरीकों से फैलता है :—

(1) संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन सम्बन्धों से।

(2) संक्रमित व्यक्ति के रक्त द्वारा।

(3) संक्रमित मां के नवजात शिशु को।

एड्स के रोग हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन के निर्देशानुसार एक सात सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है जो निम्न प्रकार है और निदेशालय स्थित एड्स सैल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है :—

(1) प्रोग्राम मैनेजमेंट।

Page No.97

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) सर्वेलेन्स एवं रिसर्च।

(3) सूचना शिक्षा एवं संचार द्वारा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन से।

(4) रक्त सुरक्षा।

(5) यौन रोग नियन्त्रण।

(6) कण्डोम प्रोग्रामिंग।

(7) कौंसिलिंग द्वारा।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य में निम्न कार्य किये गये :—

(1) प्रोग्राम मैनेजमेंट :—(1) मई, 92 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में एड्स प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी।

(2) सचिवालय स्तर पर एक सक्षम समिति का गठन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में किया गया।

(3) स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया।

(4) जोनल स्तर पर जोनल तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में किया गया है।

(5) प्रत्येक जिला स्तर पर जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया जिनकी बैठकें समय-समय पर निर्धारित समयानुसार आयोजित की जाती है व लिए गये निर्णयों की अनुपालना भी की जाती है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक भी नहीं हुई आज तक।

श्री सभापति : बोलने दें, माननीय सदस्य, बाद में पूछ लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (1) सर्वेलेन्स एवं रिसर्च : एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलोजी विभाग में सर्वेलेन्स कम जोनल ब्लड टेस्टिंग सेण्टर की स्थापना 1987 में की गयी। यह सर्वेलेन्स सेण्टर दिसम्बर, 93 के अन्त तक अस्पताल में भर्ती व बाह्य रोगियों के खून की जांच एच. आई. वी. संक्रमण हेतु करता रहा तथा जनवरी, 94 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार यौन रोगियों व गर्भवती महिलाओं में भी एच. आई. वी. संक्रमण की सम्भावना ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(3) रक्त सुरक्षा : सर्वप्रथम राज्य के पांचों मेडिकल कॉलेजों में एच. आई. वी. संक्रमण की जांच हेतु जोनल ब्लड टेस्टिंग की स्थापना की गयी। जहां रोगियों को खून देने वाले रिश्तेदारों व स्वेच्छा से रक्त दान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के रक्त के जांच एच. आई. वी. संक्रमण हेतु की जाती है। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालय स्थिति चिकित्सालयों में ब्लड बैंक में कार्यरत चिकित्सकों व तकनीशियनों को एच. आई. वी. जांच का प्रशिक्षण देने का कार्य हाथ में लिया गया है व मार्च, 94 के अन्त तक जिला चिकित्सालयों में रक्त दाताओं के रक्त का एच. आई. वी. परीक्षण किये जाने के प्रयास जारी हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 14 जिला मुख्यालयों स्थित चिकित्सालयों में रक्त में एच. आई. वी. संक्रमण की जांच प्रारम्भ की जा चुकी है।

(4) सूचना, शिक्षा एवं संचार : चूंकि यह रोग मुख्यतया यौन सम्बन्धों मे फैलता है अतः ऐसे जोखिम पूर्ण व्यवहार वाले व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार माध्यमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक एड्स रोग फैलने के कारणों व उनसे बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं व इसके लिए समुचित बजट प्रावधान केन्द्र सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाया जा रहा है। निदेशालय का सूचना शिक्षा एवं संचार प्रकोष्ठ इस हेतु पूर्ण रूप से प्रयासरत है।

(5) यौन रोग नियन्त्रण : चूंकि एड्स रोग भी मुख्यतया यौन सम्पर्क द्वारा फैलता है इसलिए राज्य में यौन रोग नियन्त्रण हेतु सभी मेडिकल कॉलेज स्थित चर्म एवं रति रोग विभाग को व जिला चिकित्सालयों में स्थित चर्म व रति रोग विभागों को यौन रोगों की जांच व नियन्त्रण हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। वर्तमान में 6 मेडिकल कालेज व बाड़मेर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, अलवर के जिला चिकित्सालयों को इस हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार के प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है।

(6) कण्डोम प्रोग्रामिंग : चूंकि इस रोग का कोई उपचार नहीं है, मात्र बचाव ही सम्भव है इसलिए चिकनाई युक्त निरोध प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा व चिकित्सालयों में स्थित चर्म एवं रति रोग विभाग द्वारा मुफ्त वितरित किया जा रहा है। सभी लोगों में एड्स के बचाव हेतु निरोध की उपयोगिता के बारे में निदेशालय के सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रकोष्ठ के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जागरूक किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(7) कौंसिलिंग : माह दिसम्बर, 93 में राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन भारत सरकार द्वारा भेजे गये प्रशिक्षण दल द्वारा राज्य के कुल 35 चिकित्सकों को एड्स रोग के निदान के सम्बन्ध में मेनेजमेंट व कौंसिलिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह प्रशिक्षित चिकित्सक अब क्रमबद्ध कार्यक्रम के द्वारा मार्च, 95 के अन्त तक राज्य के सभी चिकित्सकों को व पैरा मेडिकल स्टाफ को इस हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि जांच के दौरान पाये गये एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों को कौंसिलिंग के माध्यम से रोग को फैलने से रोकने के प्रयास कर सकें।

यह सही है कि अफ्रीका में यह रोग भयंकर रूप से फैला हुआ है। मगर एशिया महाद्वीप में लोगों के जीवन आचरण व जीवन शैली को देखते हुए तथा वर्तमान मे चलाये जा रहे बचाव व नियंत्रण कार्यक्रमों के कारण इस रोग के विकराल रूप धारण करने की सम्भावना कम प्रतीत होती है।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी, 222 आदमियों के लिए इन्होंने ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। आप पूछिये।

Page No.99

श्री विष्णु मोदी : आपने पूछ लिया। सभापति महोदय, मेरा इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का यह तात्पर्य कतई नहीं है कि मैं इस सरकार की इस पर आलोचना करूं। मेरा मकसद नहीं ...

श्री सभापति : इसमें खुद को सावधान होने की जरूरत है।

श्री विष्णु मोदी : धन्यवाद आपको। लेकिन इस सदन के माध्यम से इस गम्भीर बीमारी के बारे मे राजस्थान की जनता को जानकारी मिले और इसके फैलने पर रोक लगे, मेरा यह मकसद है। सर्वप्रथम तो, सभापति महोदय, मैं खुद अपनी जानकारी के लिए मंत्री महोदय से एड्स का फुल फार्म क्या है और एच. आई. वी. का फुल फार्म क्या है वह पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एड्स का फुल फॉर्म और एच. आई. वी. का फुल फॉर्म, यह तो वही व्यक्ति बता सकता है जिसको मेडिकल का ज्ञान है। अब एड्स के बारे में चिन्ता रहती है इसका कारण तो मुझे नहीं मालूम लेकिन इस बारे में आपको मेडिकल ज्ञान प्राप्त है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मुझे बता दें तो शायद मेरा भी ज्ञान वर्द्धन होगा।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : एक्वायर्ड इम्यून डैफिशियन्सी सिण्ड्रोम।

श्री विष्णु मोदी : मैं तो बता ही दूंगा लेकिन मैंने स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सभापति : यह रमाकान्त बता रहे हैं उसका नाम पूरा।

श्री विष्णु मोदी : मैं खुद बता देता हूं, साहब, आपको लेकिन....

श्री सभापति : यह कोई मतलब नहीं है। आप तो इस बारे में प्रश्न पूछें इस बीमारी से सम्बन्धित।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीरता से इस विषय को ले रहा हूं और मैंने यह बात गम्भीरता से पूछी है और मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि जितना लम्बा-चौड़ा भाषण अभी पढ़ा है, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने इस पर एक सेमिनार बुलाई. पिछले दिनों दिल्ली में भारतीय चिकित्सकों की संस्था की एक कांफ्रेन्स हुई जिसमें लगभग 2 हजार डाक्टर थे, जिनमें 50 प्रतिशत डाक्टरों को उसकी जानकारी नहीं थी। मैं कोई मंत्रीजी का आई क्यू. टेस्ट नहीं कर रहा हूं और न मेरा इरादा है लेकिन, मान्यवर, जो गम्भीरता रोग की है वह इसलिए है कि इसका अभी तक कोई उपचार नहीं है और अगर इसका सबसे बड़ा उपचार है तो वह है प्रिवेन्टिव। इस शताब्दी के अन्त तक दुनियां में एड्स का शिकार होने वाला हर तीसरा और चौथा व्यक्ति भारतीय होगा। माननीय सभापति महोदय, Africa was caught unaware, so was America but here in India, we allowed this manmade disease and government sponsored calamity to grow unchecked. अफ्रीका और अमेरिका में जब बीमारी आई तब अनअवेयर थे लेकिन हिन्दुस्तान में पिछले 8 साल में सबसे पहले मद्रास के अन्दर एड्स का रोगी पाया गया और हमने इस 8 साल

(श्री विष्णु मोदी)

में जिला स्तरीय कमेटियां बना दीं या एक बोर्ड यहां पर लगा दिया कि एड्स लाइलाज है इससे हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते।

श्री सभापति : आप सुझाव दें, माननीय सदस्य। एड्स की रोकथाम के लिए आप सुझाव दें।

श्री विष्णु मोदी : मैं वही कर रहा हूं, मान्यवर।

श्रीमती कमला (बैराठ) : मैं यह कहना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय, कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि संसार में हर तीसरा और चौथा आदमी जो एड्स से ग्रसित है वह भारतीय है....

श्री सभापति : यह कहा नहीं है। होगा। यह भविष्यवाणी कर रहे हैं।

श्रीमती कमला : सन् 2000 में।

श्री सभापति : हां।

श्रीमती कमला : सन् 2000 तो आया। लेकिन आप यह कौन-सी आथेन्टिक अथारिटी की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं?

श्री सभापति : यह भविष्यवाणी है।

श्री परसराम मदेरणा(नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, यह अखबारों में भी बात आयी है। आप जो बात कह रहे हैं यह पेपर में भी आयी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पूछें लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं कि इसका प्रचार ज्यादा हो रहा है और हिन्दुस्तान की जो जीवन शैली है इसमें यह रोग इतनी जल्दी नहीं फैल सकता। आप पूछिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : क्यों नहीं फैल सकता?

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैंने शुरू में कहा कि मेरा इस मामले में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता में इसकी गम्भीरता की बात जाए वही खाली मेरा मकसद है और अगर हम इसको नान-सीरियसली ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। एक संस्था है सेवाधाम ट्रस्ट जो कि एड्स के ऊपर काम कर रही है बम्बई में, डा फड़भरकर का यह कहना है कि हर तीसरा और चौथा आदमी इसका शिकार भारतीय होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप राजस्थान सरकार से इसके बारे में वह क्या रोकथाम के उपाय कर रही है वह पूछने का कष्ट करें। उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगें। यह तो सब लोगों का अखबार में पढ़ा हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : राजस्थान में तो एच आई. वी. टेस्ट के लिए तो कोई बजट ही नहीं है। यह सारा का सारा बजट भी सेण्टर का दिया हुआ है....

श्री सभापति : पूरा इनका जवाब आ जाएगा सेण्टर से बजट आता है तो जवाब आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : और करीब 2 हजार रुपया एक टेस्ट पर खर्च होता है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्रीजी ने एक कमेटी बनाई थी चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत यही उनको कन्वे करना चाहता हूं कि इतनी इम्पार्टेण्ट कमेटी है, किसी भी प्रदेश के मुख्य सचिव को मरने की फुरसत नहीं मिलती और राजस्थान के मुख्य सचिव की व्यस्तता का तो कोई अन्दाजा ही नहीं है, एक महत्वपूर्ण कमेटी जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय मंत्री महोदय को करनी चाहिए, वह मानीटरिंग करते तो कोई बात होती। चीफ सैक्रेटरी को अध्यक्ष बनाकर आपने अपनी जिम्मेदारी टाल दी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको अध्यक्ष स्वयं मेडिकल एण्ड हैल्थ मिनिस्टर होना चाहिए। उनको, मानीटरिंग करनी चाहिए और उनको देखना चाहिए और राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री शिवनार्यसिंह जी।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, मैंने बात खतम नहीं की है और अपनी। बीच में बोलने लग गये थे इसलिए बैठ गया था। जहां तक, माननीय सभापति महोदय, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि सरकार प्रिवेन्टिव हो उसके लिए मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें साइकोलाजीकली, इथीकली और सोशली बाधाएं आती हैं, तो भारत सरकार ने कुछ जगह कार्यक्रम भी शुरू किया है कि हम हमारी स्कूलों में इसका पाठ्यक्रम रखें और इसकी शिक्षा दें, नम्बर एक।

नम्बर दो यह है कि हम शिक्षा के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और यह जो नाको इन्स्टीट्यूट बना हुआ है उसको भी यह कहना चाहता हूं कि जहां छोटे पत्र हैं और जिनका पेनीट्रेशन रूरल एरिया में ज्यादा है और आज जो मंत्रीजी के स्टेटमेंट से बात आयी है कि हमारे मेडिकल कालेजेज में यह सुविधा टेस्टिंग की करेंगे लेकिन आज जो आंकड़े हैं उनके अनुसार यह बीमारी गांवों में और इन्टीरियर एरिया में ज्यादा फैल रही है ...

श्री सभापति : फैल कहां रही है? 14 हजार सारे हिन्दुस्तान में हैं और 222 राजस्थान में है। फैल कहां रही है? इसको हव्वा क्यों खड़ा कर रहे हैं?

श्री विष्णु मोदी : 222 की तो जानकारी आपके पास है और कितनी जानकारी नहीं है। जब यह स्थिति भयंकर रूप धारण कर लेगी, मैं उसी बात की तरफ आपकी मार्फत निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : आप इसके उपचार के लिए पूछें।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपको बता रहा हूं, सभापति महोदय ! आप तो खुद + + + नजर आ रहे हैं....

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : नहीं, नहीं मैं + + + नहीं हूं।

श्री विष्णु मोदी : अगर आपकी ओपीनियन यह है कि यह गम्भीर विषय नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : यहां आने वाला हर विषय गम्भीर है। लेकिन इसका ज्ञान सब माननीय सदस्यों को है इसलिए आप जो सरकार से चाहते हैं कि यह काम होना चाहिए वह पूछिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, आप तो यह व्यवस्था करें कि सारे एम. एल. ए. का एच आई. बी. टेस्ट करवा लिया जाए ताकि मामला शांत हो। यह टेस्ट फ्री आफ चार्ज है वैसे भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आपकी तरफ से तो एक आश्वासन आ जाना चाहिए।

श्री सभापति : मंत्री महोदय उस पर आप ध्यान देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छा सुझाव है। सभापतिजी, आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री सभापति : मेरा नहीं है। उनकी मांग है।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह चाहता हूं कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस बात की जानकारी हो।

नम्बर दो, जितने लड़के स्कूलों में जाते हैं उनके ब्लड के टेस्ट की कोई व्यवस्था हो सके वह की जाए। तीसरा, समाचार पत्रों के माध्यम से व दूसरी एजेन्सीज से इस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए। मैं यह समझता हूं कि इसमें जो काम हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है और हम इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और जिस वक्त हमको पता लगेगा उस समय हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं होगा। जितने स्टेटिस्टिक्स हैं, जितने सर्वे हैं आज उसमें आपको 222 आदमी तो पता लग गये, वह आप खाली फिगर्स बता रहे हैं लेकिन इसमें यही कमी है कि जिस आदमी में यह पाजीटिव है उसको खुद को पता नहीं होता है और आज पाजीटिव इतना ग्रीन-अप हो गया है प्लेयर-अप हो गया है कि अगले दो साल में यह संख्या बड़े भयंकर रूप से बढ़ने जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्कूलों में इसका पाठ्यक्रम हो और इसका जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके तो हम उसकी रोकथाम में सफल होंगे।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह जी एक प्रश्न पूछेंगे उसके बाद मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, एड्स के मामले में काफी कुछ कहा गया है और यह पीड़दायक भी है। माननीय मंत्रीजी ने कुछ उपाय बतलाये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर यह जो परीक्षण कार्यक्रम है वह सब जिलों में हो, यह प्रबन्ध आपको करना चाहिए।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने सैक्स को इसका प्रमुख कारण बताया है। मेरी राय दूसरी है। माननीय सभापतिजी, हम हास्पिटल्स में जाते हैं और इलाज करवाते हैं, वहां इंजेक्शन लोगों को लेने पड़ते हैं और वह इंजेक्शन और सुई मेरे ख्याल से वैल स्ट्रेलाइज्ड नहीं होती है। तो क्या माननीय मंत्रीजी इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं? आजकल दवाइयों के साथ नयी सुइयां भी आती हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो जो एक आदमी एड्स से ग्रसित है वह दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाये। इन सुइयों को अच्छी तरह से स्ट्रेलाइज्ड कराने की व्यवस्था आप करवा सकें तो अच्छी बात है।

एक बात प्रचार के लिए आपने कही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रचार होना चाहिए, अखबारों में भी होना चाहिए, रेडियो पर भी होना चाहिए, टी. वी. पर भी होना चाहिए। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो फैमिली प्लानिंग का आप टी. वी. के माध्यम से प्रचार करवा रहे हो, चिकना कण्डोम और क्या-क्या होता है, बच्चों के साथ बैठकर हम नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते। ऐसे कार्यक्रम से तो प्रचार मत करिये।

श्री सभापति : महादेव सिंह जी।

(14.00)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष जी, एड्स के बारे में चर्चा हो रही है। शिवनाथ सिंह जी ने अभी यह कहा कि फैमिली प्लानिंग में बारे में टी.वी. में जो प्रोग्राम आते हैं वह हम बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। इनकी बात ठीक हो सकती है लेकिन एड्स के बारे में तो अगर और प्रचार किया जायेगा तो इससे भी आगे जाना पड़ेगा। अगर एड्स की जानकारी लोगों को देनी है कि एड्स कैसे होता है, एड्स से कैसे बचा जा सकता है तो फैमिली प्लानिंग वाले से भी आगे जाना पड़ेगा। सैक्स एजूकेशन जो इस मुल्क में हीन भावना से देखी जाती है वह आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी नहीं है। है। इन सब चीजों को हाई लाइट करने के लिए हमें सैक्स को समझाना पड़ेगा सभी माध्यमों से। एड्स के फैलाव का सबसे बड़ा कारण सैक्स है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन natural transmission from one person to another person, which is how it is called 'Acquired immune deficiency syndrome'.

श्री शिवनाथ सिंह : आप एक ट्रेनिंग कालेज इसका भी खोलकर चलाओ इसको।

डा. हरिसिंह : नहीं, मेरे को खोलने की बात नहीं है लेकिन अगर मनुष्यों को कुछ ऐसी चीजों से बचाना है तो उसके बारे में नालेज भी लोगों को बतानी है कि कैसे बचा जा सकता है। उसमें आप यह सोचो कि सैक्स की बात आ गयी तो सैक्स के थ्रू ही यह ट्रांसमिशन होता है, वह बात तो करनी पड़ेगी। हकीकत से दूर भागना कोई अच्छी बात थोड़े ही है। एड्स के मामले में इस सदन में यही हाई लाइट

(डा. हरिसिंह)

करना चाहिए कि पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि इससे बचा कैसे जाए, यह बीमारी नहीं लगे इसके लिए क्या-क्या सतर्कता बरती जाए। वर्ना इसका जो इलाज है....

श्री रामनारायण चौधरी : अकेले सैक्स का नहीं है, दूसरे पक्ष भी आप जानते हो।

डा. हरिसिंह : मैंने बता दिया न ब्लड ट्रांसफ्यूजन, निडल। हां, सोडोमी से भी होता है। यह तो मैंने सैक्स बता दिया, बैड सैक्स और गुड सैक्स, उससे क्या लेना-देना। सब आ गया। इसके इलाज में साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। यह विश्व के लिए एक गम्भीर प्राब्लम है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जैसे पारीक जी ने कहा कि दो हजार रुपये इसकी एक टैस्टिंग में लगते हैं। ऐसी बात नहीं है। इतने रुपये तो नहीं लगते हैं, 50-60 में ही काम चल जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : पिछले दिनों मेरे किसी रिश्तेदार ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया था तो मुझे वहां की अधीक्षिका ने यह जानकारी दीथी।

डा. हरिसिंह : आपके अनुभव का पता नहीं, हम तो राजधानी क्लीनिक में एड्स की रोजाना टैस्टिंग करते हैं। Now-a-days we don't operate any patient without testing for 'australian antigen' and AIDS virus.

क्योंकि आस्ट्रेलियन एण्टीजेन से भी सर्जन को खतरा है और एड्स से भी सर्जन को खतरा है इसलिए हम तो चाकू ही नहीं लगाते, किसी पेसेंट के एड्स की टैस्टिंग करे बिना। छोटी-मोटी पाइल्स वगैरह की बात हो तो वह अलग बात है। इसका इलाज तो साइंटिस्ट खोज रहे हैं, सरकार को तो एक ही काम करना है। इसके पता करने के जो तरीके हैं, कि हास्पिटल में यह बीमारी एक-दूसरे के ट्रांसफर नहीं हो जाए उन उपायों के ऊपर थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए ताकि इसका पता भी लग जाए और हर आदमी जो हास्पिटल में एडमिट हो उसके लिए अगर कम्पलसरी कर दिया जाए सर्जरी में या प्रोसीजर्स में तो एक सर्वे भी हो जाएगा। आजकल क्या करते हैं अस्पतालों में कि सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वालों का करते हैं because blood transfusion is a very definite soure of transfer of this disease. More definite than sex.

इसलिए अगर रुटीन में ही खास तौर पर बड़े अस्पतालों में, मेडिकल कालेजों में हर पेशेन्ट जो एडमिट हो उसका हो जाए तो स्क्रीनिंग वाइटर सैंस में आ जाएगी। दूसरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का है, I don't know, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट क्लीनिक तो करते हैं। कोई भी इंजेक्शन आप लो और प्री-स्टरलाइजेशन अगर डिस्पोजेबल मैटीरियल आप यूज करो तो चांसेज और मिनिमाइज हो जाते है। आप जो कह रहे हैं कि एक ही निडल को दस दफा, एक ही सीरिंज को पचास दफा तो that is done because of economy. डिस्पोजेबल मैटीरियल डैफिनिटली महंगा आयेगा लेकिन महंगा अपने को भुगतना पड़ेगा अगर अपन

(डा. हरिसिंह)

को इस सीरियस डिजीज से बचना है। इसमें हाई लाइट पब्लिक को यह करना है कि इंस्टीट्यूशंस में आप यह व्यवस्था कर दीजिए और थोड़ा-सा प्रचार कर दीजिए कि कैसे बचा जा सके। इलाज साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, जब मिल जाए। ज्यादातर पासिबिलिटी है कि some solution will be found out.

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया कि राजस्थान में जो नमूनों के परीक्षण किये गये उनमें एच आई वी. संक्रमण 222 या 223 आदमियों में पाया गया। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि वे जो 222 या या 223 एड्स के नमूनों में पाये गये उनमें यौन सम्पर्क से कितने मामले आये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कितने मामले आये, नियोनेटल के किनने मामले आये और प्रैग्नेंण्ट लेडी के कितने आये? दूसरा मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में लाइसेंसशुदा प्रोस्टीट्यूट्स या राज्य सरकार की निगाह में वेश्यावृत्ति में लिप्त पायी जाने वाली जो महिलाएं हैं उनका कम्पलसरी एड्स का परीक्षण करने के लिए सरकार की कोई योजना है? इस वारे में भी बताइये क्योंकि चिन्ता का मुद्दा तो यही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग एड्स से ग्रसित हैं उनका इलाज तो सम्भव है नहीं लेकिन अब उन लोगों के परिवार में यह बीमारी बढ़ न जाए, फैल न जाए इसके लिए सरकार ने कोई ऐसा इन्तजाम किया है कि उनको अलग स्थान पर रखा जा सके?

श्री अध्यक्ष : इन्फैक्शंस नहीं है न यह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्फैक्शंस तो नहीं है लेकिन यह पाबन्दी तो लगानी पड़ेगी। कोई आदमी एड्स से ग्रसित है उसके बावजूद भी वह अपनी पत्नी के साथ सहवास करना चाहता है, जबर्दस्ती करना चाहता है तो फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ऐसे रोगियों को जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : वह तो बताया ही जाता है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह बताया तो जाता है लेकिन रोकने के लिए सरकार को पाबन्दी तो लगानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : जबर्दस्ती अलग कर दें पति-पत्नी को?

श्री शांति कुमार धारीवाल : दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार ने इसके अनुसंधान के लिए कोई बजटरी प्रोविजन किया है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि एड्स के जो रोगी पाये जाते हैं उनके लिए आगे क्या किया जाता है। राजस्थान में 222 रोगी एच. आई. वी. पाजीटिव पाये गये, परन्तु उसमें कन्फर्म सिर्फ 48 रोगियों का हुआ कोई टैस्ट होता है उसके द्वारा। जिन रोगियों पर संक्रमण वास्तव में होना पाया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गया, हम अपने चिकित्सा अधिकारियों को यह कहते हैं कि वे उसकी निगरानी रखें। यह तो सम्भव नहीं है कि उनको हम किसी एक जगह या अस्पताल में भर्ती कर लें। जिस भी जगह वे हैं वहां हर पखवाड़े हमारे अधिकारी जाकर उनको देखते हैं उनसे काउंसलिंग भी करते हैं। अभी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान सरकार इसके प्रचार-प्रचार के लिए क्या कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आई. ई. सी. ब्यूरो द्वारा राज्य में एड्स की रोकथाम के लिए, ग्राम जनता को जागृत करने के लिए रेडियो प्रसारण कराया जाता है और हर सोमवार को चौपड़ कार्यक्रम में एड्स सम्बन्धी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : चौपाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थानी में जो समाचार आते हैं उसके बाद भी प्रचार-प्रसार किया जाता है। विभाग ने इस हेतु पिछले वर्ष दो लाख सत्रह हजार रुपये व्यय किये हैं। टी. वी. के माध्यम से भी विभाग इस तरह का प्रचार-प्रसार कर रहा है और एक लाख तियासी हजार रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान इस बार है। इसके अलावा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर ग्राम जनता तक इस बारे में जानकारी पहुंचायी जा रही है और लगभग अस्सी हजार रुपये इसके ऊपर व्यय किये गये। इसके अलावा स्वयसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी ग्राम जनता को जागृत करने के लिए यह कार्य हाथ में लिया गया है। नेहरू युवा केन्द्रों, भारत स्काउट एण्ड गाइड और महिला विकास अभिकरण के माध्यम से और लगभग 2400 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस रोग की जानकारी ग्राम जनता को पहुंचायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विभाग एक "निरामया" पत्रिका निकालता है उस पत्रिका को सभी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों व उप केन्द्रों में भेजा जाता है ताकि वहां जो स्वास्थ्यकर्मी या स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित हैं वे लागों को इसके बारे में जानकारी दे सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी में जैसलमेर में और नवम्बर में माननीय सदस्य के खुद के निर्वाचन क्षेत्र में पुष्कर मेले के दौरान भी इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की गयी और इसके अलावा आम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचे इसके लिए लोक कलाकारों के माध्यम से गावों में इस तरह का नुक्कड़ नाटक या इस तरह की संरचना करके लोगों को जानकारी पहुंचाई जाती है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो रेड लाइट एरिया है, उसके अन्दर सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा रोग है जिसके बारे मे किसी का ज्ञानवर्धन किया जा सकता है, किसी को जागृत किया जा सकता है। इस बार विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जो इस तरह के देह व्यापार के अड्डे हैं, वहां इस व्यापार में संलग्न लोग हैं उनको जाकर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको दूसरे के लिए नही तो कम से कम अपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जीवन के लिए तो इस एड्स से बचने का प्रयास करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, 1992-93 में लगभग 24 लाख रुपये इस हेतु व्यय किये गये और आगामी वर्ष में 63.52 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा 6 मेडिकल कालेजों में एलिसा जांच की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। जयपुर में यह सुविधा चार स्थानों पर है। सवाई मानसिंह, जनाना, महिला चिकित्सालय एवं सन्तोकबा दुर्लभ जी अस्पताल में। इसके अलावा 10 जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां रेपिड टैस्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसमें कोई शक नहीं, माननीय डाक्टर हरिसिंह जी ने कहा कि इसकी इस तरह की व्यवस्था रहे कि ब्लड ट्रांस्फ्यूजन से पहले कम से कम इस तरह का टैस्ट हो जाय, तो 16 जिले जो रह गये हैं, अध्यक्ष महोदय, आगामी मार्च तक यह प्रयास किया जाएगा कि उन सभी जिला अस्पतालों में एड्स की जांच के उपकरण दे दिये जायें। इसके लिए नाको द्वारा भी कुछ धनराशि दी गयी है, पर अगर वह धनराशि कम पड़ी तो राज्य सरकार अपने संसाधन से भी इसके लिए कार्य करेगी। और, अध्यक्ष महोदय, एक आदेश जारी किया गया है कि प्रदेश भर में बिना जांच के किसी भी स्थान पर अथवा सरकारी केन्द्र पर रक्त ट्रान्सफ्यूजन नहीं किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में गम्भीर विषय है। मैं चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, अगर आप भी सहयोग करें और आम व्यक्ति तक इस बात की जानकारी पहुंचाएं तो शायद जो बहुत-बड़ा संकट आने वाला है उससे बचाव किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आ गया, वह सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरा पहला प्रश्न केवल यह था कि एड्स के लिए डिक्लेयर 48 केसेज में कैरियर कौन रहा है, कितने-कितने रहे हैं किस केस लिए नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वहां इंडिविजुअल मालूम नहीं पड़ता उसका। वह आ गया, जवाब पूरा आ गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि विदेशी स्टूडेण्ट्स आते हैं पढ़ने के लिए, उदयपुर में आते हैं, यहां भी आते हैं, उन सब का एच. आई. वी. टैस्ट इमीजियेटली किया जाता है और इस प्रकार के 11 स्टूडेण्ट्स के केस पाये गये हैं उदयपुर कॉलेज में एडमिशन करने के बाद तो उनको अविलम्ब भेज दिया। वे जिम्बाब्वे और केन्या के थे। इस विषय में हम बहुत प्रिकाशन लेते हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था कि क्या राज्य सरकार स्कूलों के माध्यम से इसके रोकथाम का उपाय करेगी ?

श्री अध्यक्ष : वह तो सारी स्काउट, गाइड, सब संस्थाएं आ गयी इसमें ।

श्रीमती कमला : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि हमने ये-ये इन्तजाम कर रखें है जहां पर इसका टैस्ट किया जा सकता है । यह तो आपकी इच्छा पर हुआ कि आप वहां काकर जांच करायें या नहीं करायें । मेरा यह निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि मौहल्ला वाइज आप तारीखें, हफ्ता या पखवाड़ा जो कुछ भी है वह तैयार करके उनको सब को पाबन्दी के साथ में, हर आदमी अपना टैस्ट करायेगा ही, यह जब तक आप नहीं करेंगे, किसी के एकदम से एडवान्स स्टेज में आयेगी तब पता लगेगा तब जांच करायेंगे । इसलिए जांच का एक बाकायदा समयबद्ध इलाकेवार कार्यक्रम तय करके हरेक इलाके में हमें तय करना चाहिये जिससे हरेक को वह जांच कराना लाजिमी हो ।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है जोधपुर में डी. आर. सी., उसकी सेवाएं इस काम के लिए ली जानी चाहिये जिससे राजस्थान के लोगों को लाभ मिल सके ।

श्री अध्यक्ष : सुझाव है । नेक्स्ट, श्री हरजीराम बुरडक ।

गणपतराय सरावगी ट्रस्ट, लाडनूं की सम्पत्ति ट्रस्टियों द्वारा हड़पने से उत्पन्न स्थिति

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत स्व. सेठ श्री गणपत राय सरावगी ट्रस्ट, लाडनूं जिला नागौर की करोड़ों रुपये की चल व अचल सम्पत्ति को ट्रस्टियों द्वारा हड़पने से हो रहे सार्वजनिक नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर देवस्थान मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : (देवस्थान मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सेठ गणपतराय सार्वजनिक प्रन्यास का एक प्रन्यास विल्लेख के द्वारा उप पंजीयक, डीडवाना के यहां 1951 में पंजीयन करवाया गया । राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन संख्या 2/83 दिनांक 20-12-1983 को पंजीकृत किया गया । इस प्रन्यास के पास अचल सम्पदाएं हैं जिनकी सूची संलग्न है । (सूची क व ख) राज्य के पास जो राशि जमा है उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1)	राजस्थान सरकार वित्त विभाग में जमा राशि	20,000
		90,000
		1,80,000
		2,90,000
(2)	राजस्थान सरकार मेडिकल एवं हैल्थ विभाग में	70,000
(3)	लोकल सेल्फ विभाग	30,000
		3,90,000

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

न्यास का आय का स्त्रोत मात्र राज्य सरकार के पास जमा शुदा राशि पर ब्याज व किराया है जो कुल 53,438 रुपये वार्षिक होता है। इससे न्यास के द्वारा दो प्याऊ, मंदिर, अस्पताल में डाक्टरों को पर्चियां इत्यादि उपलब्ध कराने में व्यय होता है जिसका आडिट करवाया जाता है। राज्य सरकार के पास जमा राशि यथावत जमा है। आडिट रिपोर्ट वर्ष 1991 के अनुसार आय से व्यय 1698 रुपये अधिक हुआ है। आडिट रिपोर्ट संलग्न है।

सहायक आयुक्त के पास शिकायत आने पर धारा 38 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही कर पक्षकारों को सुना गया तथा शिकायत गलत पाये जाने पर कार्यवाही निर्णय. 3-5-1985 द्वारा की गयी। बेचान किये जाने की पुनः शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त उप पंजीयक एवं प्रन्यासी को बेचान नहीं किये जाने बाबत सहायक आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 20-10-1992 द्वारा लिखा जाकर पाबन्द कर दिया है।

पंजीयन के समय निम्न प्रन्यासी व कार्यवाहक प्रन्यासी थे :—

1. श्री पन्नालाल पुत्र श्री गणपतराय सेठी

2. श्री मोतीलाल पुत्र श्री सोहन लाल काला

3. श्री राज कुमार पुत्र श्री पूनमचन्द चोरड़िया

4. श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री सिरधरी लाल जैन

5. श्री मोहनलाल पुत्र श्री उमाराम शर्मा।

पंजीयन से मृत्यु तक श्री पन्नालाल ही कार्यवाहक प्रन्यासी रहे तथा पन्नालाल के बाद प्रन्यासियों ने एक प्रस्ताव द्वारा श्री हीरालाल को कार्यकारी प्रन्यासी मनोनीत किया। हीरालाल का मुख्य प्रन्यासी के रूप में निर्णय दिनांक 24-1-1994 के द्वारा नाम दर्ज किया गया। वर्तमान में निम्न ट्रस्टी हैं :—

1. श्री हीरालाल सेठी
2. ,, मोतीलाल
3. ,, कल्याण चन्द
4. ,, सुभाष चन्द
5. ,, मोहनलाल

प्रन्यास की जो सम्पदाएं विक्रय की गई हैं वह ट्रस्ट के पंजीयन से पूर्व ही हुई हैं। ऐसी विक्रय की गई सम्पत्तियों की सूची संलग्न है।

इसी प्रन्यास के फाउण्डर ट्रस्टी श्री गणपतराम द्वारा निर्माण कराये गये सरकारी अस्पताल के सामने इसी प्रन्यास का एक रिक्त भूखण्ड 14 बीघा 14 बिस्वा का है। यह भूखण्ड किस उद्देश्य से क्रय किया गया था इसका उल्लेख ट्रस्ट डीड में नहीं है।

किसी प्रन्यास के सम्बन्ध में प्रशासक नियुक्त किये जाने का प्रावधान राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम में नहीं है। अध्याय 10 की धारा 52 (ई) के अधीन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

राज्य सरकार को प्रबन्ध समिति नियुक्त करने का अधिकार है। प्रासंगिक भूखण्ड का उपयोग प्रन्यास किस उद्देश्य के लिए करना चाहता है, इस सम्बन्ध में निर्णय न्यास मण्डल ही ले सकता है।

एक जानकारी इसमें और दे दूं सारा केस आपके इस प्रस्ताव के आने के बाद जब देखा तो कुछ ऐसे विक्रय इस प्रन्यास के रजिस्ट्रेशन के बाद भी रजिस्टर्ड सेल के आधार पर हुए हैं जिनको उन्होंने यह कह करके किया कि इसका हमने पहले से ही बेचान का कोई इकरार कर लिया था इसके कारण से हम लोगों ने यह किया। ऐसी सम्पत्ति की सूची भी है। ट्रस्ट 1983 में रजिस्टर्ड हो गया लेकिन 1984 में भी इन्होंने सम्पत्ति विक्रय की है, यह बात सच है, इसमें जरूर कुछ अनियमितताएं हुई हैं। मैं उसके लिए सारा दिखवा रहा हूं और इसमें जिस तरह से भी हम प्रबन्ध मण्डल बना सकते हैं नियमों की पूर्ति करते हुए, उनके जो-जो भी क्लाजेज हैं उन क्लाजेज की पूर्ति करके और उसको बनाकर इसकी सम्पत्ति की रक्षा करने का प्रयास करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क: अध्यक्ष महोदय, यह तो खुशी की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने इसमें कुछ कार्यवाही करने की बात कही। एक तो आपने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि प्रन्यास की जो सम्पदाएं विक्रय की गई हैं वह ट्रस्ट के पंजीयन से पूर्व की हुई है। आपने शुरू-शुरू में बताया कि इसका पंजीयन 1951 में हुआ था। में जब इसका पंजीयन किया गया था तो फिर 1983 में दुबारा पंजीयन कराने का क्या कारण था? यह जो सम्पत्तियां बेची गई हैं वह 1982-83 में ही बेची हैं और इन सम्पत्तियों को बेचने के लिए इस ट्रस्ट का दुबारा पंजीयन करवाया गया और आपने उत्तर में यह भी कहा कि पंजीयन के पूर्व जो ट्रस्ट की सम्पत्तियां थीं वह इस प्रकार से बेची गई हैं। आपने उत्तर बताया उस हिसाब से करीब 45 हजार वर्ग गज भूमि, भवन और दुकानें आदि बेची हैं और यह आज की तारीख में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति थी। ट्रस्ट की सम्पत्ति को बेचने के लिए कोई कानून-कायदे भी बने हुए होंगे, जो मैनेजिंग ट्रस्टी था उसने मन-मरजी से बेच दी, कितने में बेची, कितने में रजिस्ट्री करवायी, इस बात का भी कोई हिसाब नहीं है।

यह जो आपने आडिट रिपोर्ट साथ में दी है और यह भी हिसाब में बतलाया है कि राज्य सरकार के पास ब्याज के लिए 3 लाख 90 हजार रुपये जमा हैं लेकिन यह जो सम्पत्ति बेची है वह रुपये कहां गये, ट्रस्ट में हुए है? इस बात की आप जांच करवाएं।

दूसरा यह जो आपने 1983 में पंजीयन के समय ट्रस्टी कोई है और आज की तारीख में ट्रस्टी कोई है, तो ट्रस्टी बदलने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है? और यह जो 14 बीघा भूमि का आपने जिक्र किया है यह भूमि एक कालेज के लिए इस ट्रस्ट ने ली थी और इसका उल्लेख राजस्व रेकार्ड में भी है, बाद में जब इसका कन्वर्जन करवाया तो इसी बात को कह कर करवाया गया था और राज्य सरकार ने

(श्री हरजीराम बुरडक)

इसी के लिए उसको आबादी में परिवर्तित किया था कि यहां पर कालेज बनाया जाएगा। मेरा आपसे निवेदन यही है कि जो सम्पत्ति इन्होंने बेची वह कितने रुपये में बेची है, क्या हुआ और पैसे कहां गये, इस बात की आप जांच करवाएं। दूसरा, सम्पत्ति जो इनके पास बची है उसकी रक्षा की जाए और जिस परपज से ट्रस्ट ने खरीदी थी उसी परपज में उसको काम में लिया जाय। इसके लिए आपने बताया कि अलग प्रबन्ध समिति नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार की कोई प्रबन्ध समिति आप नियुक्त करें जिससे कि इस सम्पत्ति की रक्षा हो सके। तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि आज तक इन्होने मनमरजी से ट्रस्टीज बदले हैं उसके बारे में भी आप जांच करवाएं यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, 1951 में इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वह को-आपरेटिव सोसायटी के तहत हुआ था। हमारे देवस्थान विभाग में सबसे पहली बार इसका, ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वह 1983 में हुआ। इस कारण से हमारे....

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, आपने शुरू में जो लाइन पढ़ी है वह यह है—सेठ गणपत राय सार्वजनिक प्रन्यास का एक प्रन्यास विलेख के द्वारा "उप पंजीयक", उप पंजीयक का मतलब है सब रजिस्ट्रार रेवेन्यू का, तहसीलदार से मतलब है और वहां पर तहसील पहले डीडवाना थी....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, पहले नहीं थी।

श्री हरजीराम बुरडक : वहां पर को-आपरेटिव का आज भी कोई उप पंजीयक नहीं है, आज भी नहीं है। को-आपरेटिव में तो न्यास नहीं होता है, वहां तो संस्था होती है। पहले लाडनूं तहसील डीडवाना में सम्मिलित थी, एक ही तहसील थी और यह बाद में तहसील बनी है इसलिए इन्होंने दुबारा वहां करवा लिया। जो यह पहले हुई है वह भी इसी एक्ट में है और उप पंजीयक का मतलब है सब रजिस्ट्रार जिनके पास आज भी ट्रस्ट की डीड रजिस्टर्ड होती है, वह उनके पास ही होती है, को-आपरेटिव में नहीं हुआ है, इसी में हुआ है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उप पंजीयक कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन डीडवाना में हुआ था 1951 में, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए या पंजीयन के लिए इन्होंने एप्लाई किया था 1962 में जब इनके सेठ स्वयं जीवित थे पर इनके आफिस बदलते रहे उसके कारण से 1975 में इस पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई। पहली बार पंजीयन के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं वह सबसे पहले 26-6-1983 से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। 60 दिन की इसमें अवधि दी गई। उस अवधि के बाद, सारा सुनने के बाद पंजीयन अधिकारी ने, सहायक आयुक्त ने अपना फैसला दिया। उस फैसले के आधार पर इसका जो रजिस्ट्रेशन किया है वह 21-12-1983 के दिन किया और 21-12-1983 के बाद इसमें किसी प्रकार का बेचान होना या ना होना हमारे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विभाग की बिना स्वीकृति के सम्भव नहीं था।

मैंने आपको बताया कि इसमें फिर भी एक लेकुना रहा है और रखा है इन्होंने, जिसके बारे में एक फैसला हुआ। इनके खिलाफ इन्द्रजीत शिकायतकर्ता थे, उन्होंने इसी बात को लेकर शिकायत दर्ज करायी कि इसके रजिस्टर्ड होने के बाद भी यह सम्पत्ति बेचते चले जा रहे हैं। इसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई होकर 1985 में जो भी सुनवाई करने वाले सहायक आयुक्त थे, उन्होंने अपना एक फैसला एक तरफा देकर कि सामने वाली पार्टी उपस्थित ही नहीं हुई इसलिए उन सारी बातों को, जिन बातों के आधार पर उन्होंने शिकायत की थी उनकी उस व्यक्ति ने जांच न करके एक तरफा फैसला करके कह दिया कि इसमें कुछ नहीं हुआ जबकि वास्तविकता यह थी कि जो भी उसका निर्णय करने वाला था उनको उन बिन्दुओं को जरूर देखना था जिन बिन्दुओं की शिकायत थी चाहे शिकायतकर्ता उपस्थित न हो या उसका एडवोकेट उपस्थित न हो हो। यहां जरूर गलती रही है, इसमें कमी रही है इससे सम्बन्धित जो व्यक्ति है उसके बारे में भी, सारे प्रकरण को दिखवा कर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और भविष्य में इसकी सम्पत्ति का खुर्द-बुर्द न हो इसके लिए जिस प्रक्रिया के माध्यम से इस पर मैनेजिंग कमेटी बनाई जा सकती है उस प्रक्रिया को पूरा करने का काम करने के बाद ही इस पर विचार करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें जहां तक मैं आपके उत्तर से समझ पाया हूं कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो 1951 में हुआ है, यह 1983 वाली जो आप बात कह रहे हैं. ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन आपके विभाग में इन्होंने दर्ज नहीं करवाया। यह 1983 के रजिस्ट्रेशन वाली बात गलत है. रजिस्ट्रेशन वाली बात तो वह 1951 वाली ही है....

श्री अध्यक्ष : वह इनके विभाग में रजिस्टर तैयार नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : यह सिर्फ आपके विभाग में दर्ज करवाया इसलिए आपने यह कहा है कि यह पहले से सम्पत्ति बेच दी ...

श्री अध्यक्ष : हां, यही है।

श्री हरजीराम बुरडक : यह बेच दी इसलिए इस लाइन में आप इसको देखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ठीक है।

अनुपस्थिति अनुमति

श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 23 फरवरी, 1994 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि डा. शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 23 फरवरी, 1994 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि

(श्री अध्यक्ष)

उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी।

मैं समझता हूं कि इनके स्वास्थ्य की कामना हम करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों।

सदनेतर समिति का गठन

आवासन मण्डल के क्रिया-कलापों की जांच हेतु गठित समिति को निर्देश-निबंधन

कल विधान सभा की जो आवासन मण्डल के सम्बन्ध में समिति बनायी थी, उसके टर्म्स आफ रेफरेंसेज हैं वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल अपने गठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल रहा है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(2) आवासन मण्डल में आवंटन को लेकर क्या कोई अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हुई हैं, तो क्या-क्या हुई हैं ?

(3) मण्डल के अन्तर्गत बनाये हुए मकानों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है या नहीं; इसकी जांच व भविष्य के लिए सुधार के लिए सुझाव।

(4) मण्डल में लेखा-जोखा उचित प्रकार से नियमित रूप से नहीं रखे जाने का कौन दोषी है और भविष्य में लेखों को नियमित रूप से संधारित करने के क्या सुझाव हो सकते हैं।

(5) मण्डल के मूल उद्देश्यों की पूर्ति भलीभांति हो सके, इसके लिए प्रभावकारी सुझाव क्या हो सकते हैं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : किराया पद्धति और वह...

श्री अध्यक्ष : किराया पद्धति और वह इसमें आ गई सब। वह मूल उद्देश्यों में ही आ गयी।

श्री किशन मोटवानी : थोड़ा कैटेगिरिकल करो, साहब ! इसको कैटेगरिकल कराओ, अध्यक्षजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : हम सब लोगों का निवेदन है कि यह तो कर दीजिये।

श्री किशन मोटवानी : एम. एल. एज. वाला चाहे करें या न करें 80 ए वाला...

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें लिख देता हूं, उदाहरणार्थ–क्रय-विक्रय पद्धति लिख देता हूं। याचिका का उपस्थापन। श्री रामनारायण मीणा।

याचिका का उपस्थापन

ग्राम खरकड़ से बार माता तक सड़क निर्माण

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं बून्दी जिले के ग्राम

(श्री रामनारायण मीणा)

खरकड़ से धार्मिक स्थान बार माता तक सड़क निर्माण करवाये जाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका को उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा आप क्यों तोड़ रहे हैं। यह तो बड़ा विचित्र है। देखिये आप जो परम्परा है उसी को रखिये।

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय-संशोधन) विधेयक, 1994 पर अग्रेत्तर विचार होगा। माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव रख रहे हैं।

प्रवर समिति का गठन

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर प्रवर समिति

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर जावे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार से हैं :—

(1) श्री भंवरलाल शर्मा — प्रभारी मंत्री
(2) श्रीमती शशि दत्ता — राज्य मंत्री, विधी
(3) श्री घनश्याम तिवाड़ी — सदस्य
(4) श्रीमती कमला — सदस्य
(5) श्रीमती तारा भण्डारी — सदस्य
(6) श्री शान्तिलाल चपलोत — सदस्य
(7) श्री महावीर प्रसाद जैन — सदस्य
(8) श्री रमाकान्त शर्मा — सदस्य
(9) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) — सदस्य
(10) श्री किशन मोटवानी — सदस्य
(11) श्री बनवारीलाल बैरवा — सदस्य
(12) श्री शान्तिकुमार धारीवाल — सदस्य
(13) श्री टीकमचन्द कान्त — सदस्य
(14) श्री जगदीशचन्द्र दरक — सदस्य
(15) श्री नानूराम अहारी — सदस्य

श्री अध्यक्ष : अब जो परिचालित करने का है, मैं समझता हूं उसको पहले ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाए? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : वे वापस ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप वापस ले रहे हैं? (व्यवधान) सदन की अनुमति है वापस लेने की?

(स्वीकृत)

चलिये।

प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया विधेयक,
राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय सशोधन) विधेयक, 1994

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। (व्यवधान) सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994

प्रभारी मंत्रीजी राजस्थान विक्रय कर (सशोधन) विधेयक, 1994 को विचरार्थ लेने का प्रस्ताव करेंगे :

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं, कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव। श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जो अमेडमेंट लाया गया है, इस अमेंटमेंट को क्यों लाया गया है। इसके जो रीजन्स दिये गये है उन रीजन्स के अन्दर यह नहीं बताया गया कि 1987 से क्यों लाया। मैं तो जानता हूं, 1987 से क्यों लाया गया परन्तु कभी-कभी कोर्ट के अन्दर कानून का कोई विवाद चलता है तो वहां पर यदि कोई डिफरेन्स आफ ओपीनियन होती है तो यह देखा जाता है कि इनके रीजन्स के अन्दर क्या लिखा हुआ है और जब रीजन्स के अन्दर ये सब चीजें एब्सेण्ट होती हैं तो फिर निर्णय के अन्दर परेशानी आ जाती है। तो यह आवश्यक था कि इसके रीजन्स के अन्दर यह लिखना चाहिये था कि 1987 से क्यों लाया गया।

दूसरा निवेदन यह था, अध्यक्ष महोदय, जब हम कोई टैक्स लगाते हैं, केवल दिमाग के अन्दर यही भावना नहीं होनी चाहिए कि इससे सरकार की इनकम बढ़ेगी। टैक्स मल्टी-परपज होता है। किसी पर्टिकुलर वस्तु का बहुत ज्यादा कन्जम्पशन नहीं हो इसके लिए भी टैक्स लगाया जाता है, किसी वस्तु का बहुत ज्यादा कन्जम्पशन होना चाहिये इसके लिए टैक्स कम किया जाता है। तो टैक्स लगाते समय केवल दिमाग में यह भावना रहती है कि सरकार की इनकम बढ़नी चाहिये। यह भावना अंग्रेजों के जमाने के अन्दर तो ठीक थी, आज के जमाने के अन्दर टैक्स एक ग्रोथ का, टैक्स नियोजन करने का, जो आर्थिक दशा है इन सबका बहुत बड़ा उपाय है। तो उसको उसी तरीके से यूज में लेना चाहिये। खास तौर से मेरा निवेदन यह है कि आप जिस समय किसी प्रकार का सैल्स टैक्स लगायें तो आप यह भी देखें कि उसके ऊपर चुंगी क्या है, चुंगी का इन्सीडेंट क्या है इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर मण्डी टैक्स का इंसीडट क्या है, इसके ऊपर एनटरटनमैंट टैक्स का इंसीडेंट क्या है। तो जो सैल्स टैक्स लगाने वाले हैं, एक आइसोलेशन के अन्दर सोचते हैं। यदि वो सारी की सारी चीजों को सम्मिलित तरीके से सोचे तो मैं समझता हूं कि टैक्स ज्यादा यूजफुल

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रक्रिया हो सकती है। सारा हमारा आर्थिक आधार है, आर्थिक तरीका बनाना चाहते है इसके लिए।

एक निवेदन यह था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 1987 के अन्दर जब सैल्स टैक्स लगाया गया कान्ट्रैक्ट के ऊपर, टर्न ओवर के ऊपर टैक्स लगा दिया। हाईकोर्ट के अन्दर यह बात आयी कि यह टर्न ओवर एक तरीके से मूलभूत अधिकारों का हनन है, टैक्सेबल टर्न ओवर होना चाहिये। बात तो सही है पर जिस समय टर्न ओवर पर जिन लोगों ने इम्पोज किया उन लोगों से यह बात पूछनी चाहिए थी कि जब भी आप कोई कानून बनाते हैं, एक अंग्रेजों के जमाने के अन्दर कानून बनाया जाता था केवल राजा के हित में, राज्य हित के अन्दर लेकिन आज कोई कानून बनाते हैं तो हमें जनहित और राज्य हित दोनों को सम्मिलित करने के बाद बनाना चाहिए, आपने इस तरह का कैसा जो आधारभूत जो आप की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है, उसके ऊपर यह हनन करते हुए टर्न ओवर टैक्स एक तरीके से लगा दिया, तो क्यों लगाया आपने? अब आप परिवर्तन तो ला रहे हैं, आप अमेंडमेंट तो ला रहे हैं पर जिन साहब ने इस तरह की राय दी थी, उन साहब से तो यह पूछना चाहिये था कि आपने ऐसा क्यों किया जिससे आज यह स्थिति हो गयी। सात साल के अन्दर जो भी कुछ टैक्स आपने ले लिया, क्योंकि आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करवा रहे हैं वो फेट-एकम्प्ली हो गया इसलिए जो एक वाजिब नहीं था, जुडिशियल नहीं था, लीगल नही था, वह चीज आपने वसूल कर ली, अब सात साल से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं तो जो एक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है, जो एक व्यक्तिगत अधिकार है उसके ऊपर कितना बड़ा हनन कर दिया एक आदमी की राय से। इस मामले में थोड़ा-सा चिन्तन करने की आवश्यकता है।

दूसरा निवेदन यह था, अध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स कई प्रकार का है। एक पर्सेण्ट, दो पर्सेण्ट, 4 पर्सेण्ट, 6 पर्सेण्ट, 10 पर्सेण्ट जनरली जो विकसित देश हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल होते हैं। लगा लो, किन्हीं चीजों पर 4 प्रतिशत रख लो, किन्हीं चीजों पर 6 प्रतिशत रख लो, किसी चीज पर आप चाहें तो 2 प्रतिशत रख लो और किसी चीज पर 10 प्रतिशत रख लो। दो लेवल से ज्यादा लेवल नहीं होने चाहिये। इसलिए दो लेवल से ज्यादा लेवल होंगे तो प्रशासनिक इनएफीशियेंसी तो आएगी ही आएगी, भ्रष्टाचार को भी एक प्रकार से बढ़ावा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन यह है कि हमको टैक्स के सिलसिले में जो महत्वपूर्ण चीज है, इसमें इनएफीशियेंसी पर और लोगों को अनड्यू प्रोटेक्शन देने की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगानी चाहिये।

एक बात जो मैं कहना तो नहीं चाहता था परन्तु मैं निवेदन कर देना चाहता हूं लास्ट बार कि टैक्स तो हम बहुत लगा देते हैं, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन किया था कि पर्टिकुलर सरसों, रायड़ा से हमको करीब 129 करोड़ रुपये की आय होनी चाहिए थी और हो रही है साढ़े तीन करोड़ रुपये। कहां तो 129

Page No.117

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करोड़ रुपये और कहां साढ़े तीन करोड़ रुपये है। इतना भारी हमारी इस ब्यूरोक्रेसी से लीकेज होता हो, इस लीकेज के अन्दर इनएफीशियेंसी तो है ही, लोगों को अनड्यू प्रोटेक्शन तो है ही परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा टैक्स लगाने का जो स्ट्रक्चर है उस सारे स्ट्रक्चर को हम ईमानदारी के साथ में आर्थिक मुद्दों को सामने रखते हुए, जनहित और राज्य हित, तीनों का सम्मिश्रण करके देखेंगे तो इस प्रकार का बड़ा लीकेज नहीं होगा। इसी प्रकार से चने की भी बात है परन्तु मैं इन सभी एक-एक चीज के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994 का एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, सन् 1987 में जब विक्रय कर में संशोधन लाया गया था। तब कांग्रेस की सरकार थी. मैंने उस समय भी आग्रह किया था कि यह चैलेन्ज होगा और यह शून्य करार होगा। (व्यवधान)

(14.38)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

इसमें आपने पढ़ा ही नहीं फिर उच्चतम न्यायालय में भी इसको असवैधानिक करार दिया गया, शून्य किया गया और तब आप अपनी इस गलती, जो उस समय की सरकार ने की, को ठीक करने के लिए यह उप धारा (3) जोड़ने के लिए यहां प्रस्ताव लाये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से कई बार बिना पूरा समझे-देखे, सारे परिप्रेक्ष्य में ध्यान किये अपने नियम बना लेते हैं फिर उसमें जो दिक्कतें होती है उनके लिए संशोधन लाये जाते हैं। इस प्रकार से मेरे ख्याल से विधान सभा का कोई वर्ष नहीं गया हो जब विक्रय कर में संशोधन के लिए कोई परिशिष्ट पेश नहीं हुए हों। छोटे-छोटे टुकड़ों में संशोधन किये जाते हैं। एक बार सारा ही देख लिया जाए। अगर हमको सेल्स टैक्स लेना ही है तब हमें यह देख लेना चाहिये कि इसमें क्या कुछ और किया जा सकता है। टैक्स पर टैक्स और तरह-तरह की बातें उचित नहीं हैं। मैंने 1987 में भी बताया था कि जिलेटीन के कैपसूल्स जो आते हैं वह दिल्ली वगैरह से मंगाते हैं, राजस्थान में तो इसका उस समय कोई कारखना नहीं था तो मैंने सोचा कि अपन यहां पर ले लें और इसका विक्रय करें। तो जिस दिन मैंने विचार किया और एक कागज सेल्स टैक्स विभाग से मंगवाया, आप यह समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत की बात हो सकती है, शायम को मेरे यहां सेल्स टैक्स के एक वकील का फोन आया और यह आया कि भई आप हमसे राय लेनी हो तो ले लो। आपसे राय क्यों ले लें? मैंने क्या किया है। अभी तो मैंने उससे गोपनीयता की बात सोची थी। लेकिन अधिकार वर्ग में से जितने बैठे हैं उनकी वकीलों से पूरी + + +

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला आरोड़ा)

है। अब जितना वसूल किया जाना चाहिए उसमें से अगर 3 प्रतिशत प्राप्त होता है तो ऐसे महकमे को रखने से फायदा क्या है? इतना लीकेज है जिसकी कोई हद नहीं। और उन्होंने यह सलाह दी कि आप तो यह 'सी' फार्म ले लीजिये फिर हम यह करा देंगे, इतना कम करा देंगे। मैंने कहा अगर शुरू में ही उसमें इतनी शरारतों में पड़ना पड़े तो जरूरत ही नहीं है। मैंने तो उस विचार को ही छोड़ दिया। लेकिन उस प्रक्रिया के बीच में मेरे घर पर एक इंस्पेक्टर आये डिस्पेंसरी पर। बोले, साहब, मेरी बीवी बीमार है इसको देखो। मैंने कहा, मैं देखती हूं मेरी फीस दो। उसने कहा, मैं तो सेल्स-टैक्स का इंस्पेक्टर हूं। मैंने कहा, मैं क्या करूं? उसने कहा, मैं आप पर इतना टैक्स लगाउंगा कि आपको याद रहेगा। मेरे पूरे खानदान का फ्री इलाज करो। मैंने कहा, मेरे लिए संभव नहीं है। जो कोई गलत कमाते होंगे वह कर सकते होंगे, अपने यहां तो उसके अगले दिन जितना शुद्ध हो सकता है उसमें नहीं करेंगे। मेरे पास एक मोची बैठा हुआ था उस समय, उसकी दुकान पर वह इंस्पेक्टर पहुंच गया और बोला कि मेरे जूते का नाप यह है और मुझे जूता दो, आप कितना कमाते हो और कितना बेचते हो, यह बताओ। तीसरे दिन फिर मेरे यहां आया तो एक बापू बाजार का व्यापारी बैठा था। उससे कहा कि मुझे टार्च दो, पैन-पेन्सिल दो वरना तुम्हारे सैल्स टैक्स का यह कर दूंगा वो कर दूंगा। इस प्रकार का सारा जहां भ्रष्टाचार है, मैं समझती हूं कि सारे महकमे को ही शुद्ध करने की जरूरत है। किसी जमाने में खराब रहा हो तो हो लेकिन हमारी सरकार के रहते हुए इस सारे परिप्रेक्ष्य में मुख्य मंत्रीजी ध्यान से इन सबको देखें, क्योंकि उन्हीं के पास यह विभाग है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लीकेज को रोका जाए, पूरा टैक्स वसूल हो, यह देखें और कम ऐसे नियम बनायें जो उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में चेलेंज न हों। मैंने उस समय भी कहा था उस समय जो मैंने यहां बोला था उसको निकलवाकर पढ़ा जा सकता है लेकिन-

"तुम बार-बार खफा हो,
हम बार-बार मनायें,
न तुम बाज आओ,
न हम बाज आयें।"

हम बोलने के लिए हैं और आप सुनने के लिए हैं। इसको मैं अच्छी स्थिति नहीं मानती। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाने की क्या जरूरत है? यह भी मेरी समझ में नहीं आता। अब तीन साल के बहीखाते कोई महाजन मुश्किल से ही रखता होगा। दीवाली पर साफ हो जाते हैं या और किसी समय साफ हो जाते हैं। यह 1987 से अब तक के खातों में आप करेंगे, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं लेकिन सोचती हूं कि व्यापारियों को कितना कष्ट होगा। इसको देखते हुए आप इस विधेयक का जनमत जानने के लिए भेजें, यह मेरा आग्रह है।

श्री सभापति : माननीय श्री महावीर भगोरा। (अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य । आप नहीं बोलना चाहते ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं ।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)

माननीय प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, चूंकि 1-4-87 से वर्क कांट्रैक्ट के ऊपर टर्न ओवर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया था इसलिए इसको रिट्रोपेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का प्रावधान आज के अमेंडमेंट में किया गया है ।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं था, पहले जो प्रोविजन डाला गया था, उसके अन्दर भी प्रोविजो देकर जो चीजें टैक्सेबल नहीं थीं उनको उसमें मुक्त किया गया था रूल 29. सब रूल (2) के अन्दर । इसी परिप्रेक्ष्य में जब यह मामला माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में गया तो माननीय राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच ने इस प्रोविजन को कांस्टीट्यूशनल माना और इस प्रोविजन को सही माना । लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील हुई, एक पार्टी ने डायरेक्ट रिट पिटीशन माननीय उच्चतम न्यायालय में की वहां यह मैटर एट लैन्थ आर्ग्यू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का यह व्यू था कि चूंकि आपने रूल्स में तो प्रोविजन कर दिया है लेकिन सब्टेंशियल लॉ में भी इसका प्रोविजन होना चाहिए । इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि आपने टर्न ओवर वर्ड को इतना वाइड कर दिया है कि उससे आपके जो टैक्सेबल अधिकार हैं उनको इससे बहुत ज्यादा छूट मिलेगी । चूंकि सब्सटेंशियल लॉ के अंदर यह चीज नहीं है इसलिए उन्होंने उसको अनकांस्टीट्यूशनल डिक्लेयर किया । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया उस निर्णय की अनुपालना में यह अमेंडमेंट आज मूव किया जा रहा है और इसमें सिर्फ एक वर्ड है, वैसे तो सैक्शन को चेंज किया है लेकिन जो मंशा है, 'टर्न ओवर' को क्वालीफाई किया है 'टैक्सेबल टर्न ओवर' से । क्योंकि जो वर्क्स कांट्रैक्ट होते हैं उसमें पहले टर्न ओवर पर टैक्स लिया जाता था और वह पुराना सैक्शन भी आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं,

"Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of works contract, the turn-over of such contract shall be subject to tax;'

लेकिन इसके साथ-साथ प्रोविजो भी दिया था,

"Provided that such deductions, as may be prescribed, may be allowed to a contractor while determining his tax liability."

तो पहले भी उनको कई चीजों से मुक्त किया गया था क्योंकि जो भी कांट्रैक्ट होता है उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं जिन

Page No.120

(श्री अनंग कुमार जैन)

पर टैक्स नहीं लगता, जैसे-लेबर है, पानी है। लेकिन पहले भी प्रोविजन था। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अनकांस्टीट्यूशनल डिक्लेयर किया इसलिए माननीय सुप्रीम कार्ट के जजमेंट की लाइट में यह अमेंडमेंट लाकर 'टैक्सेबल टर्न ओवर' वर्ड इसके अन्दर लिया गया है और नया जो सैक्शन इनकोरपोरेट कर रहे हैं वह भी मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं,

"In the case of works contracts the taxable turn-over of the goods (whether as goods or in Some other form) involved in the execution of works shall be subject to tax in accordance with the provisions of sub-section(1)"

क्योंकि सब सैक्शन (1) के अन्दर तो यह प्रोविजन था ही और चूंकि 1-4-87 से वर्क्स कांट्रैक्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था इसलिए 1-4-87 से इस अमेंडमेंट को मूव किया जा रहा है। इसलिए यह जो प्रस्ताव आया है इस प्रस्ताव को नामंजूर किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

राजस्थान विक्रयकर (संशोधन) विधेयक 1994

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न करना चाहूंगी इसके बारे में कि आप इसको लायेंगे, पास करेंगे, क्या यह उच्चतम न्यायालय का अपमान नहीं है ? उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था दी तो इस प्रकार संशोधन करना उसका अपमान नहीं है ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

आधा घण्टे की चर्चा।

श्री अर्जुन दास मदान। (अनुपस्थित)।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.48 बजे सोमवार, 7 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची

आवंटन योग्य सिवाय चक भूमि की सूचना तहसील लालसोट जिला दौसा

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	आवंटन योग्य सिवाय–चक भूमि	वि. वि.
1.	हेमल्यावाला	30 बीघा	
2.	अमराबाद	15 बीघा 17 बिस्वा	
3.	गांगल्यावास	13 बीघा 15 बिस्वा	
4.	पालून्दा	7 बीघा	
5.	डोब	29 बीघा 18 बिस्वा	
6-	डूंगरपुर	3 बीघा 8 बिस्वा	
7.	झांपदा	30 बीघा 16 बिस्वा	
8.	संवासा	25 बीघा 5 बिस्वा	
9.	दौलतपुरा	12 बीघा 18 बिस्वा	
10.	होदायली	36 बीघा	
11.	तलावगांव	7 बीघा 8 बिस्वा	
12.	श्रीमा	2 बीघा	
13.	देवली	5 बीघा	
14.	राजोली	3 बीघा 10 बिस्वा	
15.	टोडा ठेकला	85 बीघा 6 बिस्वा	
16.	मिर्जापुरा	51 बीघा 3 बिस्वा	
17.	सूरतपुरा	12 बीघा	
18.	खेडला खुर्द	13 बीघा 3 बिस्वा	
19	महारिया	35 बीघा 11 बिस्वा	
20.	कांकरिया	147 बीघा 9 बिस्वा	

कुल योग तहसील– 559 बीघा 7 बिस्वा

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

ग्राम खजूरी एवं धानुगाव के उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन

202. **श्री रामनारायण** (नैनवां):-क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बून्दी जिले में ग्राम खजूरी एवं धानुगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण करवाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो अब कब तक भवन निर्माण करवा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । जून, 1985 से ।

(2) जी नहीं । समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

मांगरोल के खादी उद्योगों का विकास

203 **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा):-क्या खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल में खादी के लघु उद्योग (बुनकर) कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार इन खादी उद्योग को और सुदृढ़ बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब और कैसे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, मांगरोल मे खादी उद्योग को सुदृढ बनाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है । इस क्षेत्र में कार्यरत खादी संस्थाओं को और अधिक सक्रिय कर अधिक से अधिक खादी बुनकरो को इन संस्थाओ से जोड़कर खादी उद्योग को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जायेंगे ।

कारखानों का निरीक्षण

204. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा):-क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1985–86 से वर्ष 1992–93 के दौरान कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में नियुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक एवं वरिष्ठ निरीक्षकों ने विभागीय निर्देशिका के अनुसार कितने कारखानों का निरीक्षण किया तथा कितनों का नहीं ? वर्षवार ब्यौरा हर अधिकारी का अलग-अलग सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अर्जुनदास मदान)

(2) यदि निर्देशिका में निर्धारित लक्ष्य से कम निरीक्षण किये गये, तो इसके क्या कारण थे और सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जन सहयोग द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय के लिये भवन उपलब्ध कराने पर क्या सरकार वहां पर नया आयुर्वेद भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान करने में प्राथमिकता देती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ब्यौरा संलग्न है ।

(2) निर्धारित लक्ष्य से कम किये गये निरीक्षणों के कारण संलग्न ब्यौरे में उल्लेखित कर दिये हैं । अतः अब तक उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(सूची विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

जिला नागौर में नये आयुर्वेद औषधालय

205. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना :- क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार बजट सत्र 1994-95 में नागौर जिले में नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा नये आयुर्वेद भवन खोलने के क्या मानदण्ड हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) सरकार द्वारा नये आयुर्वेद भवन नहीं खोले जाते हैं । जहां तक आयुर्वेद विभाग द्वारा नये आयुर्वेद औषधालय के लिए भवन बनाने का प्रश्न है फिलहाल इस हेतु न तो आयुर्वेद विभाग में कोई बजट प्रावधान उपलब्ध है और न ही कोई मापदण्ड स्वीकृत किया हुआ है ।

(3) केवल जन सहयोग द्वारा ही आयुर्वेद औषधालय के लिए भवन उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा नया आयुर्वेद औषधालय भवन बनाने की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान नहीं की जाती हैं ।

सूरतगढ़ तहसील में राहत कार्य

206. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ):- क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ तहसील में कुछ गांवों में अकाल की स्थिति है ? यदि हां, तो इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अमरचन्द मिढ्ढा)

(2) क्या सूरतगढ़ तहसील के गांवों में अकाल से निपटने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा इन बारानी क्षेत्र में आवागमन हेतु अकाल राहत के अन्तर्गत सड़कें बनवाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । गंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ के 64 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, जिनकी सूची (परिशिष्ट-क) संलग्न है ।

(2) अकाल राहत के अन्तर्गत चारा व्यवस्था, पशु संरक्षण, पेयजल व्यवस्था, असहाय/असमर्थ व्यक्तियों को अनुदान व अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार की योजनायें हैं । सूरतगढ़ तहसील के लिए अलग से योजना नहीं बनाई गई है । फरवरी माह में इस क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न गांवों में अकाल-राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

नाम गांव	नाम कार्य	अनुमानित लागत
1. श्योनाथपुरा	पाठशाला भवन निर्माण	1 64,000
2. अर्जुनोतपुरा	,,	1,64,000
3. डीडवाना	कच्ची चारदीवारी शाला भवन	60,000

(3) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क बनाने की भी योजना है । इस योजना के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जायेगी । तत्पश्चात् 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 की जनसंख्या वाले ग्राम ग्रेवल सड़क से जोड़े जायेगें । किन-किन सड़कों को प्रारम्भ किया जायेगा, यह निर्णय, जिला अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति करेगी ।

परिशिष्ट–"क"

तहसील सूरतगढ़ के अभावग्रत गावों की सूची

75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराब वाले गांव		50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत खराब वाले गांव	
क.सं.	नाम गांव	क.स.	नाम गांव
1	2	1	2
1.	विरधवाला	1.	चक अमरपुरा
2.	सिगरासर	2,	मोजेवाला
3.	डीडवाना	3.	ठकराना
4.	राजियासर	4.	परीदसर
5.	कौनपालसर	5.	किशनपुरा
6.	सावलसर	6.	ठाठीयावाली
7.	लधैर	7.	4 सी. एम.
8.	मोजूसर	8.	5 सी. एम.
9.	देईदासपुरा	9.	2 एल. एम.
10.	करडू	10.	4 एम. सी.
11.	बछरारा	11.	1.825 आर. डी. एल.
12.	चाहडूसर	12.	28.045 आर. डी. एल.
13.	रतीसर	13.	103 आर. डी. एल.
14.	मुसाईसर	14.	110 आर. डी. एल.
15.	हिजसासर	15.	1 एल. जी. एम.
16.	भैंपालपुरा	16.	3 एल. जी. एम.

Page No.127

1	2	1	2
17.	लालगढ	17.	1 जी. पी. एम.
18.	अरनजोतपुरा	18.	3 जी. पी. एम.
19.	गोपालसर	19.	2 आर. जे. एम.
20.	उदयपुर गोदारान	20.	3 आर. जे. एम.
21.	उदयपुर उदासर	21.	8 एम. सी.
22.	उदयपुर साधनी	22.	9 एम. सी.
23.	उदयपुर मुसलमानान	23.	10 एम. सी.
24.	इन्दौर		
25.	गोकलसर		
26.	खारिया		
27.	मालेस		
28.	कुम्भगढ		
29.	शिवनाथपुर		
30.	सोमासर		
31.	कालूसर		
32.	जैसाभटी		
33.	ऐटा		
34.	टीलावाली		
35.	1 एम. सी. बाराना		
36.	16.800 आर. डी. एल.		
37.	79.200 आर. डी. एल.		
38.	99-150 आर. डी. आर.		
39.	2 एल. जी. एम.		
40.	4 एल. जी. एम.		
41.	4 आर. जे. एम.		

तहसील शेरगढ़ में पशु चिकित्सालयों के रिक्त पद

207. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक व कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाई उपलब्ध नहीं कराई जाती है ? इसके लिए प्रति वर्ष कितना बजट निर्धारित है ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि हम चिकित्सालयों में पदस्थापित स्टाफ शहरों में रहते है ? इन चिकित्सालयों की जांच की क्या व्यवस्था है और जांच के क्या ठोस परिणाम आये ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में 7 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं, जिनमें 3 डाक्टर एवं एक पशुधन सहायक के पद रिक्त है, उपयुक्त योग्य अभ्यार्थियों के अभाव में पद रिक्त है। चिकित्सालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा उपलब्ध बजट के अनुसार संस्थाओं की मांग पर ही दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष जिला पशुपालन अधिकारी जोधपुर को 1·86 लाख रुपये दवाईयां खरीदने हेतु बजट आवंटित किया गया है।

(3) जी नहीं। इन चिकित्सालयों का निरीक्षण जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाता है। इन निरीक्षणों के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।

शेरगढ़ तहसील के चिकित्सालयों की सूची

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	कार्यरत डाक्टर का नाम	रिक्त पद	पशुधन सहायक के रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सालय, शेरगढ़	डॉ. देवव्रत शर्मा 12/85 से	—	—
2.	पशु चिकित्सालय, बालेसर	डॉ. महेन्द्रसिंह राठौड़ (नई नियुक्ति 2/94)	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, सेतरावा	डॉ. जसवन्तमल माथुर 9/89 से	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, आगोलाई	डॉ. ओमनाथ 5/89 से	—	—
5.	पशु चिकित्सालय, देचू	—	20·4·93 से रिक्त	—
6.	पशु चिकित्सालय, चौमू	—	7·10·92 से रिक्त	17·8·93 से रिक्त
7.	पशु चिकित्सालय, गिलाकोर	—	1986 से रिक्त	—

सेवा निवृत्त कर्मियों को चिकित्सा पुनर्भरण व्यवस्था

208. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए चिकित्सा हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? क्या वर्तमान व्यवस्था से सरकार संतुष्ट है ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि पेन्शनर्स को चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुझायी गई दवाइयां उपभोक्ता भण्डार से लेनी आवश्यक है ? यदि हां, तो जो दवाइयां उपभोक्ता भण्डारों पर नहीं मिलती हैं, उनके भुगतान की व्यवस्था पेन्शनर्स को की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की भांति अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर क्रय की गई दवाइयों का पुनर्भरण करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान पेन्शनर्स रियायत योजना" के नाम से एक योजना वर्ष 1981 में चालू की गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा कराने पर निःशुल्क एलोपैथिक दवाइयों एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान व्यवस्था से राज्य सरकार संतुष्ट है।

(2) जी हां। जयपुर में यदि कोई दवाई उपभोक्ता भण्डार से नहीं मिलती है तो सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुनी हुई दुकानों को यह निर्देश दिये जा चुके है कि वे ऐसी दवाइयां अपने स्तर से अन्य दुकानों से खरीद कर राज्य पेन्शनर्स को उपलब्ध करावें। अतएव जयपुर स्थित कानफेड की इन सात दुकानों का दायित्व है कि वे पेन्शनर्स को हर स्थिति में मुफ्त दवा दिलायें। राज्य सरकार अन्य स्थानों पर भी इस समस्या का समाधान शीघ्रता-शीघ्र करने हेतु प्रयत्नशील है।

(3) चूंकि भण्डारों को स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं कि दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य दुकान से दवा खरीद कर पेन्शनर्स को उपलब्ध करायें अतएव ऐसी स्थिति में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

ग्राम मलकोसर में खातेदारी हकूक

209. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम मलकोसर की रोही में सिंचित क्षेत्र से बाहर खसरों मे जिन काश्तकारों के पास कृषि भूमि हैं उस पर खातेदारी हकूक नहीं दिये गये है ? यदि हां, तो ऐसे काश्तकारों को कब तक खातेदारी हक प्रदान कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम मलकोसर की रोही में सिंचित क्षेत्र-से बाहर खसरों में जिन काश्तकारों के पास कृषि भूमि है उन्हें खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं। वर्तमान में खातेदारी दिये जाने का कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

अन्तर्राज्यीय विद्युत विवाद

210. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में विद्युत उत्पादन एवं इसकी खपत का क्या प्रतिशत है ?

(2) वर्तमान में राज्य को और कितनी विद्युत की आवश्यकता है ? राज्य को वर्तमान में अन्य राज्यों से कितनी विद्युत प्राप्त हो रही है तथा उसका वास्तव में कितना हिस्सा है ?

(3) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अन्तर्राज्यीय विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास किये हैं या राज्य सरकार अपना समुचित हिस्सा न मिलने की स्थिति में राज्य हित में सर्वोच्च न्यायालय जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अपने स्वयं के स्रोतों से विद्युत उत्पादन इसकी खपत का 32·54 प्रतिशत है। भागीदारी परियोजनाओं व केन्द्रीय क्षेत्र के स्रोतों को मिलाकर वर्तमान में राज्य में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उपलब्धि मांग / आवश्यकता का 71·7 प्रतिशत है।

(2) वर्तमान में राज्य को अनुमानित 1·50 लाख यूनिट प्रतिदिन विद्युत की और आवश्यकता है। राज्य को वर्तमान में अन्य राज्यों-पंजाब से 28 लाख यूनिट व मध्य प्रदेश से 10 लाख यूनिट प्रतिदिन विद्युत प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धि व हिस्सा निम्नानुसार है :—

	हिस्सा प्रतिशत	वर्तमान में प्रतिदिन विद्युत की उपलब्धि (लाख यूनिट में)
(अ) भागीदारी के स्रोतों से		
चम्बल	50 00	30 00
सतपुरा	40·00	10·00
भांखरा व्यास		
भांखरा	15·22	19 70
डेहर	20·00	4·24
पोंग	58·50	14·45
		78·39

(ऊर्जा मंत्री)

1			2
(ब) केन्द्रीय क्षेत्र के स्रोतों से			
1.	सिंगरोली	16·36	63·49
2.	रिहन्द	11·19	21·71
3.	उचाहार	4·47	4·96
4.	अन्ता	47·63	41·07
5.	औरय्या	10·90	10·86
6.	दादरी गैस	11·49	2·85
7.	विन्ध्याचल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	तनकपुर	10·88	0·47
9.	सलाल	10·34	कुछ नहीं
10.	आर. ए. पी. पी.	100·00	कुछ नहीं
11.	एन. ए. पी. पी.	11 25	कुछ नहीं
			145·41

(3) राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं केन्द्र सरकार के बीच दिनांक 10·5·1984, को हुये समझौते के अनुसार सिन्धु की सहायक नदियों (यानी सतलज, व्यास व रावी) के जलों पर आधारित पंजाब स्थित विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को मिलने वाली बिजली का समुचित हिस्सा दिलाने अथवा सर्वोच्च न्यायालय को समझौते के अनुसार मामला पेश करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से विभिन्न मंचों पर तथा पत्र व्यवहार द्वारा बार-बार निवेदन किया है। 25 जून, 1993 को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने इस मामले का हल शीघ्र निकलने की आशा व्यक्त की थी।

इस सम्बन्ध में अन्तिम पत्र मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 23·2·1994 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय को भेजे गये हैं। इसमें आग्रह किया गया है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय को रेफर कर दिया जावे तथा यदि इस ही बीच राज्यों में कोई समझौता हो जाता है तो रेफरेन्स को विथड्रा किया जा सकता है।

महाविद्यालय प्रवेश के मानदण्ड

211. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत की सीमा है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) महाविद्यालयों में स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित सुविधाओं के होते हुए भी क्या न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता आवश्यक है ? उस स्थिति में जब कि काफी बड़ी संख्या में वाणिज्य संकाय के प्राध्यापकगण (न्यूनतम कार्यभार से) कम पीरियड पढ़ा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या राजकीय ससाधन अनुपयुक्त नहीं पड़े हैं ?

(3) क्या पूर्व में ऐसी कोई न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता थी ? क्या सरकार ने पूर्व में इसे कभी कम किया है ? यदि हां, तो अब इसे कम न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, राजकीय महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत सीमा 45 प्रतिशत निर्धारित है।

(2) उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सभी संकायों में न्यूनतम प्रतिशत सीमा रखना आवश्यक है। यह सही है कि छात्रों के कम प्रवेश के कारण वाणिज्य संकाय के कुछ व्याख्याता कम पीरियड ले रहे हैं।

(3) जी हां। पूर्व में सन् 1991-92 में निर्धारित सीमा 48 प्रतिशत से स्थान रिक्त होने पर छूट देकर 45 प्रतिशत वाले छात्रों को प्रवेश की सुविधा दी गई थी। इसी प्रकार सन् 1992-93 में प्रतिशत अनिवार्यता 48 प्रतिशत थी जिसे निदेशक द्वारा 11-8-92 को 45 प्रतिशत किया गया फिर दिनांक 10-9-92 को पूर्व के स्वीकृत सेक्शनों के रिक्त स्थानों को भरने हेतु 3 प्रतिशत की छूट देकर 42 प्रतिशत वाले छात्रों को प्रवेश की सुविधा दी गई। उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु अंकों में छूट देना उचित नहीं माना गया।

न्यू पिंक गृह निर्माण समिति, जयपुर का ऑडिट

212. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर की वर्ष 1989-90 की ऑडिट रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई व इस पर क्या कार्यवाही की गई ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि समिति ने उक्त ऑडिट आक्षेपों का उत्तर भी दिया है ? यदि हां, तो कब ? उत्तर की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके द्वारा कितनी-कितनी हिस्सा

Page No.134

(श्री हरजीराम बुरडक)

राशि कब-कब जमा करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किन-किन सदस्यों को समिति ने एक से अधिक आवासीय भू-खण्ड कब-कब आवंटित किया तथा भू-खण्डों के पेटे कितनी राशि कब-कब प्राप्त की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) समिति ने किन-किन सदस्यों से भूमि रूपान्तरण व पेनेल्टी पेटे कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की और सरकार को कितनी राशि कब-कब दी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या ऑडिट रिपोर्ट और समिति द्वारा दिये गये जवाब से स्पष्ट है कि इसमें करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले को पुलिस में क्यों नहीं दर्ज कराया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर को वर्ष 1989–90 की ऑडिट रिपोर्ट क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी जयपुर को दिनांक 30-6-93 को प्राप्त हुई। ऑडिट रिपोर्ट पर निम्न कार्यवाही हुई :—

(अ) क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी जयपुर द्वारा ऑडिट रिपोर्ट दि. 17-9-93 को रिलीज कर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत समिति से रिपोर्ट में अंकित आक्षेपों की पूर्ति प्रतिवेदन चाहा गया।

(ब) समिति को "डी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

(स) मुख्य-मुख्य आक्षेपों का विवरण देते हुए एक पत्र समिति को दिनांक 18-9-93 को लिखा गया। ऑडिट रिपोर्ट की प्रति जो 171 पृष्ठों की है, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। समिति द्वारा ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति रिपोर्ट उनके पत्र दिनांक 30-10 93 द्वारा प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 5-11-93 को प्राप्त हुई। समिति द्वारा प्रस्तुत ऑडिट आक्षेप 1989-90 की 93 पृष्ठों की पूर्ति रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यह समिति वर्ष 1969 से पंजीकृत है जिसके वर्तमान में करीब 14000 सदस्य हैं एवं समिति का दिनांक 23-7-85 से पहले का रेकार्ड आयकर विभाग में जब्त है। अतः इतने वर्षों में बने 14000 से अधिक सदस्यों एवं उनकी हिस्सा राशि का तारीखवार विवरण देना अल्प अवधि में सम्भव नहीं है।

(4) समिति की वर्ष 1989–90 से पूर्व की ऑडिट रिपोर्ट्स में किसी सदस्य को एक से अधिक भूखण्ड आवंटित होने का उल्लेख नहीं मिलता। वर्ष 1989–90 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कुछ सदस्यों को एक से अधिक भूखण्ड समिति द्वारा आवंटित किये जाने की बात सामने आई

(सहकारिता मंत्री)

है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिन सदस्यों को एक से अधिक भूखण्ड दिये गये हैं उनसे सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट–"अ" में दिया गया है।

(5) प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित कारणों एवं परिस्थिति के अनुसार सदस्यवार चाही गई सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। वर्ष 89–90 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सदस्यों ने 31 मार्च, 1990 तक कुल रूपान्तरण एवं पेनल्टी पेटे एक करोड़ चौंतीस लाख तिरानवें हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये एकत्रित किये गये हैं। जिसमें से एक करोड़ तीन लाख सात हजार तीन सौ इकहत्तर रु. अड़तालीस पैसे राज्य सरकार में जमा कराये गये हैं।

(6) ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं, धनराशि के दुरुपयोग एवं कुछ राशि के गबन के कुछ मामले ध्यान में आये हैं जिनमें धारा 74 (1) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। पुलिस में मामला दर्ज कराने से पहले विधि सम्मत जांच कराना आवश्यक समझा गया है। क्योंकि प्राथमिक दृष्टि से अधिकतर मामले तकनीकी प्रकृति के हैं। जांच के उपरान्त यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के प्राथमिक विद्यालय

213. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बेगूं विधान सभा क्षेत्र की बेगूं और भैंसरोडगढ़ पंचायत समितियों में किस-किस ग्राम में प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं तथा किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं और प्रत्येक स्कूल में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बेगूं विधान सभा क्षेत्र की बेगूं और भैंसरोडगढ़ की पंचायत समितियों की प्राथमिक विद्यालयों की कक्षावार अध्ययनरत छात्रों एवं प्रत्येक स्कूल में कार्यरत अध्यापकों के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थानान्तरण पर चिकित्सा अवकाश के प्रकरण

214. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कई अधिकारी व कर्मचारी स्थानान्तरण होने पर मेडिकल छुट्टी पर चले जाते हैं तथा कई-कई

(श्री माधवसिंह दीवान)

महिनों के मेडीकल बीमारी के सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के गलत सर्टिफिकेट रोकने बाबत कोई नीति विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मेडिकल ऑफिसर का अधिकतम 7 दिन सीनियर मेडिकल ऑफिसर व जूनियर स्पेस्लिस्ट का अधिकतम 15 दिन तथा उससे ज्यादा यदि किसी को छुट्टी चाहिये तो वह बहुत गम्भीर बीमारी से पीड़ित माना जाये तो सी. एम. एच. ओ./ प्रो. एम. ओ. द्वारा डाक्टरों के बोर्ड के गठन के बाद ही मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाय तथा इस आदेश के विरुद्ध सर्टिफिकेट जारी करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो जारी निदेश/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जारी नहीं हो सकता तो क्यों तथा अब सरकार इस पर क्या नीति अपनाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

राज्य सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(2) जी हां।

सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था, किन्तु वह निर्णय केवल पुलिस विभाग व नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग से सम्बन्धित है। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

आदेश की प्रति

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ईजी./मेडि. सर्टी.//87/239 दिनांक : 13-4-87

परिपत्र

पुलिस विभाग द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश चिकित्सा अधिकारी पुलिस कर्मचारियों को बीमारी का प्रमाण-पत्र जारी कर देते हैं और कई महिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित होने के बाद में पुलिस कर्मचारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को लेकर ड्यूटी पर उपस्थित हो जाते हैं। चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये इन चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस कर्मचारी पूरी अवधि से बीमार न होते हुए भी बीमार बताया जाकर डयूटी से अनुपस्थित होने का अधिकारी बना दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग में ड्यूटी के महत्व को देखते हुए इस प्रकार लम्बी अवधि का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना कतई जन हित में नहीं है।

अतः समस्त चिकित्सा अधिकारी भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि पुलिस कर्मचारी को 7 दिवस से अधिक अवधि का रोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। पुलिस कर्मचारी को 7 दिवास से ज्यादा का प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता महसूस करने पर उस भैषिजिक मण्डल के समय उपस्थित होने की सलाह दी जावे तथा 7 दिवस की अवधि का प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ही जारी किया जावे। कृपया उक्त आदेश की पालना सख्ती से कराई जावे।

ह०/–
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ईजी./मेडि. 87/649 दिनांक : 4-11-87

आदेश

इस निदेशालय के द्वारा प्रसारित परिपत्र संख्या ईजी./मेडि. सर्टि./87/239 दिनांक 13-4-87 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये इस विभाग में समस्त चिकित्सा अधिकारियों को प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी जो निर्देश प्रदान किये गये थे वे नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

अतः समस्त चिकित्सा अधिकारी भविष्य में इस बात का ध्यान रखकर सुनिश्चित करेंगे कि नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के कर्मचारी को सात दिवस से अधिक अवधि का रोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। इससे अधिक अवधि का प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता महसूस करने पर उसे भेषिजिक मण्डल के समक्ष उपस्थिति होने की सलाह दी जावे तथा 7 दिवस से अधिक अवधि का प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ही जारी किया जावे।

कृपया उक्त आदेशों की पालना सख्ती से कराई जावे।

ह०/–
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सड़क निर्माण

215. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जनजाति विकास उपयोजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सड़कों का निर्माण भी कराया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1992–93 व 1993–94 में कुल कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और कहां-कहां किया गया ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । यह सही है कि जनजाति विकास उपयोजना के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सड़कों का निर्माण कराया जाता है ।

वर्ष 1992–93 में कुल 156.05 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया जिसमें 86.35 किलोमीटर डामर सड़क एवं 68.70 किलोमीटर मेटल सड़क एवं 1 किलोमीटर ग्रेवल सड़क सम्मिलित है ।

वर्ष 1993–94 में कुल 86.75 कि. मी. सड़क का निर्माण कराया गया जिसमें 50·05 कि. मी. डामर सड़क, 31.70 कि. मी. मेटल सड़क व 2 कि. मी. ग्रेवल रोड व 3 किलोमीटर मिट्टी सड़क सम्मिलित हैं ।

पंचायत समितिवार सूचना परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1992–93 व 1993–94 में निर्मित सड़कों की सूचना समितिवार निम्न है

(कि. मी. में)

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	वर्ष 1992–93 में निर्मित सड़कों की लम्बाई				वर्ष 1993–94 में निर्मित सड़कों की लम्बाई			
			डामर	मेटल	ग्रेवल	मिट्टी	डामर	मेटल	ग्रवल	मिट्टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उदयपुर	गिर्वा	5·30	4·00	—	—	6·50	2·00	—	—
		सराड़ा	4·70	—	—	—	—	1·00	—	—
		सलुम्बर	—	1·00	—	—	4·40	—	—	—
		धरियावद	4·60	0·80	—	—	0·80	2·50	—	—
		खैरवाड़ा	2·00	—	—	—	—	—	—	—
		झोड़ोल	4·50	2·00	—	—	2·30	—	—	—
		कोटड़ा	2·75	—	—	—	2·25	1·00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		गोगून्दा	—	1·00	—	—	—	2·00	—	—
		योग :—	23·85	8·80	—	—	16·25	8·50	—	—
2.	चित्तौड़गढ़	अरनोद	5 00	2.00	—	—	2·00	—	2·00	—
		प्रतापगढ़	—	—	—	4·50	—	5·00	—	—
		योग :—	5·00	2·00	—	4·50	2·00	5 00	2·00	—
3.	बांसवाड़ा	घाटोल	12·50	—	—	—	6 00	—	—	—
		तलवाड़ा	—	—	—	—	0·50	2·00	—	—
		आनन्दपुरी	3·80	—	—	—	0·50	—	—	—
		कुशलगढ़	3·50	1·00	—	—	—	—	—	—
		गढ़ी	2 00	2·00	—	—	—	2 00	—	—
		पीपलखूंट	—	—	—	—	2 00	3 00	—	—
		सज्जनगढ़	—	—	—	—	2·00	1·00	—	—
		योग :—	21·80	3·00	—	—	11·00	8·00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	डूंगरपुर	आसपुर	4·30	11·00	—	—	4·60	2·70	—	—
		बिच्छीवाड़ा	3·70	8·20	—	—	—	—	—	—
		डूंगरपुर	—	1·00	—	—	2·30	1·00	—	1·00
		सागवाड़ा	8·00	18·00	1·00	—	8·40	3·00	—	1·00
		सीमलवाड़ा	13·70	13·70	—	—	1·50	3·50	—	—
		योग :—	29·70	51·90	1·00	—	16·80	10·20	—	2·00
5.	सिरोही	आबूरोड़	6·00	3·00	—	—	4·00	—	—	1·00

अकाल राहत कार्य

216. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष कितने गांवों को राज्य में कौनसी तारीख को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया ?

(2) केन्द्रीय अध्ययन दल अकाल की समस्या का अध्ययन करने कौनसी तारीखों को राजस्थान आया ?

(3) राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य खोलने का कौनसी तारीख को निर्णय लिया गया ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) कौनसी तारीख को वास्तव में अकाल राहत कार्य प्रत्येक जिले में आरम्भ हुये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य में दि. 31-1-94 को 22,586 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ।

(2) केन्द्रीय अध्ययन दल अकाल की समस्या के अध्ययन हेतु राजस्थान में नहीं आया है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्य खोलने के लिए दि. 31-1-94 को आदेश प्रसारित किये गये जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है ।

(4) प्रत्येक जिले में जिस दिनांक से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं उसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत है ।

परिशिष्ट "क"

WIRELESS MESSAGE

To

District Collector

Ajmer, Alwar, Banswara, Barmer, Bhilwara, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Churu, Dholpur, Dungarpur, Ganganagar, Jaisalmer, Dausa, Jalore, Jodhpur, Jhunjhunu, Nagaur, Pali, Rajsamand, Sirohi, Sawai Madhopur, Tonk, Udaipur.

(Collector Jaipur by Post)

Inform : Divisionol Commissioner

Udaipur, Ajmer, Jodhpur, Bikaner, Kota, Jaipur

From,

Relief Secretary

Rajasthan, Jaipur

No. F1(2) (37)RS/KH-I/93-94/1321-53

Jaipur Dated : 31.1.1994

Notification Under Section 3 and 4 of Rajasthan Affected Areas (Suspension of Proceedings) Act. 1952 has been issued on 31st January, 1994. The Villages where crop Failure is 50% and Above have been Declared Scarcity Affected. District-Wise Details are as follows :— (1) District Ajmer-1013 (2) Alwar-1033 (3) Banswara-1448 (4) Barmer-1639 (5) Bhilwara-1509 (6) Bikner-548 (7) Bundi-139 (8) Chittorgarh-785 (9) Churu-631 (10) Dausa-831 (11) Dholpur-232 (12) Dungarpur-856 (13) Ganganagar-123 (14) Jaipur-1731 (15) Jaisalmer-574 (16) Jalore-650 (17) Jodhpur-881 (18) Jhunjhunu-642 (19) Nagaur-1040 (20) Pali-942 (21) Rajsamand-975 (22) Sirohi-458

(23), Sawai Madhopur-617 (24) Tonk-1022 (25) Udaipur-2267. Start Relief works from 1st February, 1994. Detailed Instruction Follows.

RELIEF SECRETARY
एस. के. सेठी
Special Secrtary to Govt.

No. F1(2)(33)RS/KH/GR-1/94

Copy forwarded to :

1. Incharge W/S Jaipur for conveying the message early.
2. Copy by post to the above mentioned Collectors for information and n/a.
3. Copy by post to the above Divisional Commissioner for information and n/a.

(एस. के. सेठी).
Special Secretary to Govt.

परिशिष्ट "ख"

अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने का विवरण

क.सं.	नाम जिला	कार्य स्वीकृत का दिनांक	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक
1		2	3
1.	अजमेर	3-2-94	3-2-94
2.	अलवर	9-2-94	21-2-94
3.	बांसवाड़ा	9-2-94	11-2-94 16-2-94
4.	बाड़मेर	10-2-94	16-2-94
5.	भीलवाड़ा	1-2-94	2-2-94
6.	बीकानेर	1-2-94	2-2-94
7.	बून्दी	3-2-94	3-2-94
8.	चित्तौड़गढ़	1-2-94	1-2-94
9.	चूरू	11-2-94	15-2-94
10.	दौसा	9-2-94	9-2-94
11.	धौलपुर	8-2-94	10-2-94
12.	डूंगरपुर	1-2-94	2-2-94 14-2-94
13.	गंगानगर	7-2-94	15-2-94 17-2-94
14.	जयपुर	7-2-94	9-2-94
15.	जैसलमेर	2-2-94	3-2-94

1	2	3	4
16.	जालोर	2-2-94	12-2-94
17.	झुन्झुनू	1-2-94	8-2-94
18.	जोधपुर	1-2-94	8, 9, 10, 12 16-2-94
19.	नागौर	1-2-94	1-2-94
20.	पाली	2-2-94	15-2-94
21.	राजसमन्द	1-2-94	2-2-94
22.	सवाई माधोपुर	2-2-94	—
23.	सिरोही	7-2-94	16-2-94
24.	टोंक	19-2-94	19-2-94
25.	उदयपुर	1-2-94	2-2-94

पशु चिकित्सकों के वेतनमान

217. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर): क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पशु चिकित्सकों के वेतनमान चिकित्सकों के वेतन के बराबर किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, वर्तमान में समता समिति के विचाराधीन है। निर्णय के आधार पर ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जावेगी।

औद्योगिक क्षेत्र डूंगरपुर में भूखण्ड आवंटन

218. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर औद्योगिक क्षेत्र में कितने उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किये हैं ? यदि हां, तो कब उद्यमी एवं उद्योग के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन उद्योग के लिए जमीन दी है उन्होंने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो कितने उद्योग चालू हैं तथा कितने बन्द हैं ? कब से चालू हैं तथा कब से बन्द हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र डूंगरपुर में कुल 59 इकाइयों को 69 भूखण्ड आवंटित किये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिन उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं उनमें से वर्तमान में 45 इकाइयां उत्पादनरत हैं एवं 14 इकाइयों में निर्माण कार्य चल रहा है, 7 इकाइयां बंद हैं। इकाइयां कब से चालू हैं एवं कब से बंद हैं की स्थिति उक्त प्रश्न भाग 1 में संलग्न सूची में दर्शायी गयी है।

औद्योगिक क्षेत्र डूंगरपुर (राज.)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मालिक का नाम	आवंटन तिथि	कब से प्रारम्भ हुई	कब से बंद है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. राजस्थान क्रेशर कम्पनी	श्री सोहनलाल	5-4-77	11-4-79	चल रही है	
2.	,, पंचाल इण्ड.	,, रमणलाल	3-6-77	21-12-79	,,	
3.	,, चुन्नीलाल धुलजी पंचाल	,, चुन्नीलाल	5-4-77	19-4-79	,,	
4.	,, शिव केण्डल वर्क्स	,, नारायण	5-4-77	21-4-78	,,	
5.	,, गोल्डन बेकरी	,, इब्राहीम	5-4-77	11-7-78	,,	
6.	,, चित्तौड़ा टायर सर्विस	,, कालूलाल	3-11-77	11-10-80	,,	
7.	,, पारस होजरी	,, नरेन्द्र कुमार	5-4-77	17-4-81	,,	
8.	,, महावीर राईस मिल व (वर्तमान में ईंट उद्योग)	,, महावीर	29-10-77	23-3-79	,,	

1	2	3	4	5	6	7
9.	मै. दिलीप इण्ड.	श्री दिलीप कुमार	18-3-93	12-4-93	चल रही है	
10.	,, युनाईटेड मार्बल	,, नेवराज गोरी	6-8-85	30-6-81 (शिफ्ट की)	,,	यह उद्योग शहर से शिफ्ट किया हैं
11.	,, गुप्ता कांकरिट ब्लाक	,, वी. के. गुप्ता	6-4-90	10-1-91	,,	
12.	,, युनिवर्सल प्रोडक्ट्स	श्रीमती इन्द्रा शर्मा	22-7-80	30-6-81	,,	
13.	,, राज पेपर इण्ड.	,, राधा देवी	16-12-92	8-12-93	,,	
14.	,, भगवती मार्बल	श्री भगवतीलाल	7-6-83	5-7-92	,,	
15.	,, शिव मटेरियल गोदाम	श्रीमती सोहन देवी	3-3-81	28-5-93	,,	
16.	,, श्रीराम मैटेरियल सप्लाई	श्री राजेन्द्र कुमार	2-3-81	18-5-93	,,	
17.	,, नाहरवाला इन्टरप्राईजेज	,, बुहरानुद्दीन	18-1-92	1-9-92	,,	
18.	,, मनोज मार्बल	,, सत्यनारायण	9-11-92	5-7-93	,,	
19.	,, कल्पेश क्राउन इण्ड.	श्रीमती रूक्मणी देवी	27-12-90	प्रारम्भ नहीं हुई हैं।	,,	
20.	,, ऋतुराज मार्बल ग्रेनाइट	श्री शंकरलाल यादव	6-2-91	प्रारम्भ नहीं हुई हैं।	,,	राजस्थान वित्त निगम के कब्जे में हैं दि. 13-1-94 से

1	2	3	4	5	6	7
21.	मैसर्स ऐंग्ल मिनरल चिप्स प्रोडक्ट	श्री फखरूद्दीन	30-3-91	5-1-92	चल रही हैं	
22.	,, आनन्द टायर रिट्रेडिंग	,, लक्ष्मीचन्द	14-8-90	25-6-91	,,	
23.	,, गुप्ता क्रेशर कम्पनी	,, के. के. गुप्ता	22-10-92	20-6-91 (शिफ्ट की)	,,	
24.	,, सैफ इण्ड.	,, हैदर अली	9-11-79	30-1-88	1989 से बन्द हैं	राजस्थान वित्त निगम के कब्जे में
25.	,, ए बी. फेबरीकेटरस	,, अशोक कुमार	14-9-90	10-5-92	चल रही हैं	
26.	,, पुष्पा सिल्क मिल	,, ताराचन्द	15-10-80	25-7-83	,,	
27.	,, राम स्टोन एण्ड जाल वर्क.	,, शंकरलाल	19-7-79	25-7-83 (शिफ्ट की)	वर्ष 1984 से बंद हैं	
28.	,, मिनाक्षी मार्बल	,, बंसतलाल	26-9-90	14-2-92	चल रही हैं	
29.	,, विश्वकर्मा इन्जी. वर्क्स	,, लीलाधर शर्मा	30-4-82	14-2-92	,,	
30	,, राजन इण्ड.	,, राजेन्द्र कुमार जैन	15-10-80	12-11-82	,,	
31.	,, सीजो केम/अमीत मार्बल	,, डी. सी. शाह	22-5-80	6-12-84	,,	

1	2	3	4	5	6	7
32.	मैसर्स संगम मैटेरियल	श्रीमती सीता लोढा	6-8-85	30-12-87	चल रही हैं	
33.	,, दीपक इण्डस्ट्रीज	श्री चन्द्रशेखर	22-2-91	3-1-92	,,	
34.	,, पूनचन्द दाडमचन्द्र धडुक	,, जम्बु कुमार	29-9-83	26-6-89	,,	
35.	,, न्यू शक्ति फर्नीचर	,, भैरूलाल शर्मा	24-5-83	26-6-89	,,	
36.	,, शिव शक्ति इजी. वर्क्स	,, बसन्तलाल	2-2-83	14-10-79 (शिफ्ट की)	,,	
37.	,, ऋषभ टायर सर्विस	,, सत्यनारायण	27-3-82	8-9-87 (शिफ्ट की)	,,	
38.	,, गीता इण्डस्ट्रीज	,, सुखलाल	14-3-89	7-12-90	,,	
39.	,, दुर्गा बुड वर्क्स	,, गजेन्द्र कुमार	19-7-79	7-1-89	,,	
40.	,, रमेश होजरी	,, भगवान दास	19-7-79	27-12-85	1988 से बन्द हैं।	
41.	,, फखरी आयरन वर्क्स	,, जीवा भाई	18-7-79	15-4-88	1990 से बन्द हैं।	
42.	,, इकबाल आयरन वर्क्स	,, इकबाल अहमद	1-6-81	15-4-88	चल रही हैं	

फलौदी के उपखण्ड में विचाराधीन वाद

219. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फलौदी के उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार फलौदी की अदालतों में इस तहसील के कितने वाद विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सबसे पुराना वाद इन अदालतों में प्रत्येक में किस वर्ष का है ?

(3) पिछले छः माह में कितने मुकदमों में गवाह उपस्थित थे परन्तु उनके बयान नहीं हो सके ? सूची सदन की मेज पर रखें । निर्णय न लिए जाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) तहसीलदार फलौदी की अदालत में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, उपखण्ड अधिकारी, फलौदी की अदालत में तहसील फलौदी के 669 वाद विचाराधीन हैं, सूची संलग्न प्रस्तुत है ।

(2) उपखण्ड अधिकारी फलौदी की अदालत में सबसे पुराना राजस्व वाद संख्या 27/72 गुलाम/इलाऊ विचाराधीन है ।

(3) चार राजस्व वादों में बयानात नहीं लिये जा सके, बयान नहीं लेने के कारण एवं आगामी सुनवाई तिथि का ब्यौरा संलग्न सूची "क" पर संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सराड़ा क्षेत्र में विद्युतिकरण

220. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में सराड़ा क्षेत्र में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के नियमानुसार रेवेन्यू विलेज को ही विद्युतीकृत किया जाता है ? यदि हां, तो उस गांव के बिखरे हुए मजरों को भी विद्युतीकृत करने की मंशा सरकार रखती है ? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि गांव मायर (सराड़ा) को विद्युतीकृत कर दिया है ? यदि हां, तो कब और कितने व्यक्तियों को बिजली दी गई ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि मायर गांव को जाने वाली बिजली लाईन पूरी की पूरी चोरी चली गई है ? यदि हां, तो कब तथा विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सराड़ा जिला उदयपुर में पिछले तीन वर्ष 1990-91,

(ऊर्जा मंत्री)

1991-92 एवं 1992-93 में कुल 13 ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया। वर्षवार सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, यह सही है कि जनगणना पुस्तिका 1981 में अंकित राजस्व ग्रामों को ही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत कराकर विद्युतीकरण किया जाता है। बिखरे मजरे उस ही ग्राम का हिस्सा मानकर विद्युतिकृत माने जाते हैं तथा मांग होने पर लाईन खींच कर इन मजरों को कनेक्शन दे दिये जाते हैं।

(3) जी हां, ग्राम मायर पंचायत समिति सराड़ा को माह अगस्त, 1991 में विद्युतीकृत घोषित किया गया था। वहां अभी तक किसी भी व्यक्ति को कनेक्शन नहीं दिया गया है क्योंकि मायर गांव को जोड़ने वाली विद्युत लाईन चोरी हो गई थी जिसका विभागीय एवं पुलिस द्वारा जांच पड़ताल का कार्य किया जा रहा है। लाईन खींच कर नियमानुसार कनेक्शन देने की प्रक्रिया के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) मायर गांव को जाने वाली विद्युत लाइन का लगभग 1·5 कि. मी. भाग चोरी चला गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रगति पर है। पुलिस विभाग द्वारा भी जांच पड़ताल का कार्य किया जा रहा है।

पंचायत समिति, सराड़ा, जिला उदयपुर के वर्षवार विद्युतीकृत
ग्रामों की सूची

क्र. सं	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकृत दिनांक
वर्ष 1990-91			
1.	छोड़सर	20/15/147	फरवरी 91
2.	संगतपुरा	154	2/91
3.	जाम्बुडा	152	2/91
4.	धन का वाड़ा	116	3/91
वर्ष 1991-92			
1.	मायर	20/15/78	अगस्त 91
2.	केरपुरा	70	केरपुरा
3.	गामड़ी	49	फरवरी 92
वर्ष 1992-93			
1.	करोड़िया	20/15/41	12/92
2.	खड़	122	1/93
3.	मण्डवा	84	12/92
4.	मालड़िया	8	28/2/93
5.	खादरा	14	28/2/93
6.	बलदर	58	3/93

कसारवाड़ी मानसेरा सड़क

221. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कसारवाड़ी से मध्यप्रदेश सीमा मानसेरा तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि डामर सड़क खुर्द बुर्द हो चुकी है ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़क को दुबारा डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ विद्यालय में क्षेत्र डूंगरा से कसारवाड़ी सड़क टूट-फूट हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क दुबारा बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अधिक बरसात के कारण सड़क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था उसको मरम्मत करा दिया गया है।

(3) 6 कि. मी. सड़क की लम्बाई में से 2 कि. मी. पर पुन: डामरीकरण के कार्य के लिए स्वीकृत राशि उपलब्ध है तथा शेष भाग का पुनः डामरीकरण कराना वर्ष 94–95 में प्रस्तावित है।

(4) डूंगरा से कसारवाड़ी सड़क का एक कि. मी. बाढ़ग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत कार्य शुरू किया जा रहा है।

ग्राम खींवासर (झुन्झुनूं) का छात्रावास भवन

222. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले की छऊ ग्राम पंचायत के ग्राम खींवासर में समाज कल्याण भवन निर्माण हेतु पिछले सात-आठ साल की अवधि में कोई राशि दी गयी है ? यदि हां, तो किस को दी गयी थी और कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि यह राशि भवन निर्माण में पूरी नहीं खर्च की जाकर राशि का गबन कर लिया गया और भवन आज भी अपूर्ण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि झूठे प्रमाण-पत्र कार्य पूर्ण होने के व राशि खर्च किये जाने के जारी किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन संरपच ग्राम पंचायत छऊ को इस कार्य के लिए 60 000/– रुपये की राशि दी गई थी।

Page No.157

(ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज राज्य मंत्री)

(2) यह सही है कि पूरी राशि निर्माण कार्य में खर्च नहीं की गई। तत्कालीन सरपंच द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के कारण आडिट नहीं हो सकी परन्तु निर्माण कार्य का मूल्यांकन 31,031/- रुपये है। अत: 28,959/- का गबन माना जा सकता है। यह सही है कि भवन आज भी अपूर्ण है।

(3) जी नहीं। उक्त भवन के निर्माण कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

यज्ञ नारायण हास्पिटल किशनगढ़ में प्रसूति गृह निर्माण

223. श्री जगदीप धनकड़ (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या किशनगढ़ शहर के यज्ञ नारायण हास्पिटल की कार्य की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या इस अस्पताल में प्रसूति गृह नहीं है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस अस्पताल में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र स्वीकृत हैं।

जयपुर शहर में अवैध मदिरालयों का चलन

224. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में देशी शराब की दुकानें किन-किन स्थानों पर संचालित करने की अनुमति सरकार द्वारा दी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अहाते की स्वीकृति के लिए कोई राशि विभाग द्वारा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या इन अहातों की दुकानों की राशि विभाग में शराब विक्रेताओं द्वारा जमा करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि निर्धारित राशि जमा कराये बिना और बिना स्वीकृति के ही यह अहातों की दुकानें संचालित की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर राजकोष को हानि पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में देशी मदिरा की मुख्य दुकानें 25 तथा उप दुकानें 32 स्वीकृत हैं। इन दुकानों के संचालित स्थल की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(2) देशी मदिरा दुकान के साथ अहाता स्वीकृत करने का प्रावधान देशी मदिरा के अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 19 (अ) में है। एक लाख अथवा इससे अधिक जन संख्या वाले नगरपालिका क्षेत्र के लिये मुख्य अथवा उप दुकान के लिये अहाता शुल्क 20,000/- रुपया निर्धारित है। अहाता के आवेदन करते समय जिला मजिस्ट्रेट के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करते समय निर्धारित शुल्क जमा कराया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र न देने के कारण अहाता शुल्क जमा नहीं हुआ है।

(3) यह सही है कि अहाता शुल्क जमा कराये बिना अहाता संचालित है। अहाता स्वीकृत करने से पूर्व अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 19 (अ) में निर्धारित शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। अहाता संचालित न होने की दशा में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट–"अ"

जयपुर शहर में संचालित देशी मदिरा दुकानात

मुख्य-दूकान		अवस्थिति
1		2
1.	रेल्वे स्टेशन	कालवाड स्कीम
2.	चांदपोल	चांदपोल दरवाजे बाहर
3.	अजमेरी गेट	मिश्र राजाजी का रास्ता
4.	घाटगेट	संजय बाजार
5.	हिम्मत नगर	गोपालपुरा मोड़
6.	समुन्द्रकरण	सुभाष चौक
7.	पुराना घाट	घाट दरवाजा
8.	दुर्गापुरा	दुर्गापुरा
9.	सांगानेरी गेट	दरवाजे के बाहर
10.	बाईस गोदाम	बाईस गोदाम
11.	जवाहर नगर	गोल मार्केट, जवाहर नगर
12.	सांगानेर	सांगानेर चौराहा
13.	मालवीयनगर	मालवीयनगर
14.	विश्वकर्मा	रोड, नं. 9 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र
15.	ढेर का बालाजी	ढहर का बालाजी
16.	कवर नगर	जलेब चौक के पास
17.	शास्त्रीनगर	हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर
18.	सांगानेर	सांगानेर कस्बा

Page No.160

1	2
19. कानोता	कानोता गांव
20. झांकरोटा	झांकरोटा गांव
21. आमेर	आमेर कस्बा
22. हरमाड़ा	सीकर रोड़ हरमाड़ा
23. जगतपुरा	जगतपुरा गांव
24. करतारपुरा	बाईस गोदाम के पास
25. वाटिका	वाटिका गांव
उप-दुकान	**अवस्थिति**
1. टोंक फाटक	टोंक फाटक
2. सोड़ाला	न्यू सांगानेर रोड़
3. गांधीनगर	गांधीनगर मोड़
4. आदर्श नगर	आदर्श नगर
5. बर्फखाना	बर्फखाना
6. झोटवाड़ा	झोटवाड़ा
7. मुरलीपुरा	मुरलीपुरा
8. शीतल निवास	नाहरी का नाका
9. बनीपार्क	टी. बी. सेन्टोरियम के पास
10. विद्याधर नगर	विद्याधर नगर
11. सिन्धी कैम्प	सिन्धी कैम्प
12. खटीक मण्डी	रामगंज बाजार के पास
13. जल महल	जल महल आमेर रोड़
14. हसनपुरा	एन. बी. सी. के पास
15. केशवपुरा	अजमेर रोड़

1	2
16. झालाना डूंगरी	झालाना गांव
17. खातीपुरा	खातीपुरा गांव
18. रामगढ़ रोड़	पशु हटवाड़ा, रामगढ़ रोड़
19. मानसरोवर	मानसरोवर
20. मुकन्दगढ़ हाऊस	संसारचन्द्र रोड़
21. खानियां	घाट गुणी, आगरा रोड़
22. माली की कोठी	माली की कोठी
23. लंकापुरी	शास्त्री नगर
24. मोबाइल नगर	आगरा रोड़
25. कालवाड़ रोड़	झोटवाड़ा रोड़
26. न्यू सांगानेर रोड़	न्यू सांगानेर
27. विश्वकर्मा	रोड़ नं. 17 विश्वकर्मा क्षेत्र
28. जवाहर नगर	जवाहर नगर
29. कागजी पाड़ा	ब्रह्मपुरी
30. गोपालपुरा	गोपालपुरा रेल्वे फाटक
31. मोती नगर	बरकत नगर
32. मालवीय नगर	मालवीय नगर

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में नई उप तहसीलों की स्थापना

225. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में उप तहसील एवं नायब तहसील खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब तथा क्या सरकार इसकी क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में जनता एवं जनप्रतिनिधियों से भी सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त प्रस्ताव की प्रतियां मय की गई कार्यवाही के विवरण के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासियां (उदयपुर) में उप तहसीलें खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी हां । प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया गया मगर तहसील झाडोल के पटवार मण्डल तथा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्तों की सख्या कम होने के कारण तहसील झाडोल में फलासिया में उप-तहसील खोलने का औचित्य नहीं पाया गया । प्राप्त प्रस्ताव की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

जिला सीकर में कुटीर ज्योति योजना

226. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में कुटीर ज्योति योजना में विद्युत कनेक्शन देने का कितना लक्ष्य था ?

(2) सीकर जिले की पंचायत समिति धोद में व सीकर जिले में कुटीर ज्योति योजना में कितने कनेक्शन दिये गये हैं ?

(3) क्या सरकार कुटीर ज्योति योजना के सीकर जिले के लक्ष्य पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह लक्ष्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 1992-93 व 1993-94 में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत 541 विद्युत कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था ।

(2) उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष सीकर जिले में 473 एवं पंचायत समिति धोद में 20 कनेक्शन कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत दिये गये हैं ।

(3) जी हां । कुटीर ज्योति योजना के लक्ष्य के शेष बचे हुये कनेक्शन इसी वर्ष दे दिये जाने की सम्भावना है ।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की सड़कें

227. **श्री वलीचन्द** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में कितनी मुख्य सड़कें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सड़कें आवागमन एवं यातायात हेतु वाहन सुचारु रूप से चलने योग्य हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि घोड़ी तेजपुर, माहीडेम एवं जहांपुरा पुलिया कई वर्षों में नहीं बनी है ? क्या सरकार इन पुलियाओं के निर्माण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के दानपुर विधान सभा क्षेत्र में दो राज्य मार्ग तथा 35 ग्रामीण सड़कें (विलेज रोड़) हैं जिनकी सूची "क" संलग्न है ।

(2) उक्त सभी सड़कें आवागमन व यातायात हेतु वाहनों के सुचारू रूप से चलने योग्य हैं ।

(3) पीपलकुन्द-दानपुर सड़क पर घोड़ी तेजपुर पर पुल निर्माण प्रस्तावित है जिसकी वित्तीय स्वीकृति 37·70 लाख रुपये की जारी की जा चुकी है तथा कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है । माहीडेम का पुल माही परियोजना द्वारा निर्मित है एवं इसके संधारण के प्रयास माही परियोजना द्वारा किये जा रहे हैं।

जहांपुरा पुल बनाने का प्रस्ताव वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है ।

दानपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की श्रेणी	सड़क की कुल लम्बाई				योग	विशेष विवरण
			डामर	मेटल	ग्रेवल	कच्ची		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रतापगढ़ बांसवाड़ा झालोद	(एस एच–4)	36	—	—	—	36	—
2.	रतलाम बांसवाड़ा सागवाड़ा रोड़	(एस एच–10)	38	—	—	—		कि. मी. 13, 14 बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिसकी स्वीकृति रु. 3·50 लाख प्राप्त हो चुकी है कार्य प्रगति पर है।
3.	तलवाड़ा बोरवट	(वी आर–1)	14	—	—	—	14	—
4.	बागीदोरा गढ़ी	(वी आर–2)	10	—	—	—	10	—
5.	कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाया गामदा रोड़	(वी आर–7)	16	—	—	—	16	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	छीछ चौराया से बागीदोरा गांगडतलाई रोड	(वी·ग्रार-9)	6	—	—	—	6	—
7.	मसहीडेम भूगड़ा खमेरा रोड़	(वी ग्रार-11)	7	—	—	—	7	—
8.	तलवाड़ा से जोलाना रोड़	(वी ग्रार-16)	7	—	—	—	7	—
9.	कलिजरा बागीदोरा रोड़	(वी ग्रार-17)	3·5	—	—	—	3·5	—
10.	दानपुर पीपलखेंट वाया घंटाली रोड़	(वी ग्रार-23)	20	—	—	—	20	बाढ़/ग्रतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हो चुकी जिस की स्वीकृति 5 लाख की हो चुकी है कार्य प्रगति पर है।
11.	ठीकरिया करजी वाया सालिया रोड़	(वी ग्रार-24)	12	1	4	—	17	कि. मी. 15, 16 बाढ़/ग्रतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हो चुकी जिसकी स्वीकृति 2·00 लाख प्राप्त हो चुकी है कार्य प्रगति पर है।
12.	एप्रोच रोड़ बोडीगामां	(वी ग्रार-26)	5	—	—	—	5	—
13.	कुंडडा खुर्द बाजना रोड़	(वी·ग्रार-34)	17	—	—	—	17	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	एप्रोच रोड़ सुरवानिया	(वी ग्रार–37)	3	—	—	—	3	कि. मी. 1 से 3 बाढ़/ग्रतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिसकी स्वीकृति 3·50 लाख की प्राप्त हो चुकी हैं कार्य प्रगति पर है।
15.	कुशलगढ़ भोयन घाटी	(वी ग्रार–38)	—	—	4	—	4	—
16.	बडोदिया नोगामा	(वी ग्रार–42)	3	—	2	—	10	—
17.	एप्रोच रोड़ कुवाला	(वी ग्रार–43)	4	2	2	—	8	—
18.	सुरपुर बडलिया चौराया	(वी ग्रार–44)	—	1	—	—	1	—
19.	एप्रोच रोड़ टू खोईवाव वाया बहापुरा	(वी ग्रार–49)	—	6	1	—	7	—
20.	शिवपुरा टामटिया रोड	(वी ग्रार–53)	7	—	—	—	7	—
21.	बांसवाड़ा नवांगाम सामरिया सुरवानिया	(वी ग्रार–54)	15	—	4	—	19	क़ि. मी. 4, 5, 8 बाढ़/ग्रतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं स्वीकृति 3·00 लाख की प्राप्त हो चुकी हैं कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	तलवाड़ा भीमकुण्ड	(वी आर-59)	4	—	—	—	4	—
23.	बजवाना नयातलाव	(वी आर-61)	5	—	—	—	5	—
24.	बांसवाड़ा माहीडेम घंटाली	(वी आर-66)	6	—	—	—	6	कि. मी. 3 व 14 में सीडीवर्क के निर्माण की स्वीकृति बाढ़/अतिवृष्टि के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है कार्य प्रगति पर है।
25.	हमीरपुरा घोटिया आम्बा	(वी आर-69)	8	—	—	—	12	—
26.	नोगामा बोडीगामा	(वी आर-71)	5	—	—	—	5	—
27.	बडोदिया करजी	(वी आर-73)	4	—	—	1	5	—
28.	बदरेल छोटी बदरेल बड़ी	(वी आर-80)	3	—	—	—	3	—
29.	सरवन फेफर	(वी आर-81)	2	1	3	—	6	प्लान के तहत स्वीकृति है कार्य प्रगति पर है।
30.	छीछ पिण्डारमा	(वी आर-85)	—	—	5	—	5	—
31.	वीरपुर नाथपुरा वाया बोरिया	(वी आर-90)	—	8	2	—	10	—
32.	एप्रोच रोड़ नागावाड़ा	(वी आर-99)	—	—	3	1	4	—

1	3	4	4	5	6	7	8	9
33.	चौखला मोयन	(वी आर–101)	—	—	4	2	6	—
34.	छीछ तलवाड़ा	(वी आर–103)	—	—	3	5	8	—
35.	बदरेल बड़लिया वाया रतनपुर कालिया	(वी आर–108)	3	—	—	—	3	—
36.	सालिया डूंगरी माकोद रोड़	(वी आर–109)	3	—	—	—	3	—
37.	सगेसरी टू महेशपुरा	(वी आर–112)	—	2	1	—	3	—
	1. स्टेट हाईवे		74	—	—	—	74	
	2. विलेज रोड़		197·5	21	38	14	269.5	
	महायोग—		271·5	21	38	13	343·5	

चितलवाना (सांचौर) में पंचायत समिति की स्थापना

228. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर)- क्या पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांचौर पंचायत समिति में कितनी पंचायतें कार्यरत हैं तथा उनकी 1991 की आबादी (कुल आबादी) कितनी थी ?

(2) क्या सरकार आगामी वर्षों में पंचायत समितियों का पुनर्गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो जिन-जिन पंचायत समितियों की आबादी और पंचायतों की संख्या अधिक है, उन्हें कब तक नया रूप दे दिया जावेगा और उनमें पंचायत समिति सांचौर की क्या स्थिति रहेगी ?

(3) पंचायत समिति सांचौर के अन्दर चितलवाना को दूसरी पंचायत समिति करने का प्रस्ताव भी क्या सरकार के पास विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) सांचौर पचायत समिति में 44 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं तथा उनकी 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 2,60,312 आबादी थी।

(2) जी नहीं। नई पंचायत समिति गठन का कोई मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

चिकित्सा विभाग में आरक्षण

229. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) एवं **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आरक्षण का कोटा एवं रोस्टर पंजिका निर्धारण किया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा रोस्टर पंजिका का निरीक्षण किया जाता है ?

(3) राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सी. एम. एच. ओ., पी. एम. ओ. जोइन्ट डाइरेक्टर, एडिशनल डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने अधिकारी हैं ? क्या उक्त पदों पर रोस्टर बिन्दु के अनुसार पदोन्नति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उक्त पदों पर रोस्टर प्रणाली पंजिका भरी जाती हैं ? यदि हां, तो कब तक, किन-किन को पदोन्नति, कब-कब से दी गई ? गत दो वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1971 से।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) जी हां। समय समय पर कार्मिक विभाग द्वारा निरीक्षण करना पाया जाता है।

(3) राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सी. एम. एच. ओ. के पद पर डा. जी. आर. धवल व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. जे. सी. जावा कार्यरत है जो कि अनुसूचित जाति के हैं। जी हां।

(4) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चर्म उद्योग

230. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के उद्योग निदेशालय में कितने पद चर्म विशेषज्ञों के किस-किस स्तर के हैं ? क्या वे यही काम कर रहे हैं ?

(2) चर्म सम्बन्धी सहायक निदेशक के पद हैं और कितने पद रिक्त है ? क्या वे चर्म सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं अथवा अन्य कार्य ?

(3) चर्म उद्योग के सम्बन्ध में उद्योग निदेशालय क्या कोई काम कर रहा है ? यदि हां, तो राज्य में प्रति वर्ष कितना चमड़ा उत्पादन होता है, कितना तैयार होता है, कितना कच्चा चमड़ा राज्य के बाहर जाता है और कितना तैयार चमड़ा राज्य में बाहर से आता है ?

उत्तर

(1) उप निदेशक (चर्म) का एक पद उद्योग निदेशलय, जयपुर में सृजित है। भेड व ऊन विभाग, राजस्थान, जयपुर से श्री वी. के. पाठक, उप निदेशक (चर्म) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर निदेशालय मे कार्यरत है।

(2) प्रोजेक्ट मैनेजर (सहायक निदेशक स्तर) के दो पद चर्म व्यवसाय से संबंधित है जो दिनांक 2-8-84 से सृजित किये गये थे। वर्तमान मे उक्त दोनों पदो पर दो अधिकारी कार्यरत है जो मुख्यतः चर्म संबंधी कार्य ही सम्पादित कर रहे है। आवश्यकतानुसार चर्म संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी सम्पादित/करते हैं।

(3) चर्म उद्योगों के संबंध में उद्योग निदेशालय, ग्रामीण/शहरी चर्मकारो को आधुनिकतम तकनीकी के अनुसार खालों की रंगाई का प्रशिक्षण, जूती, जूते, चप्पल तथा महिलाओ को पर्स, बैल्ट व चर्म वस्त्र इत्यादि बनाने का प्रशिक्षण विभिन्न जिलों में आयोजित करता है। चर्म उद्योग मे संबंधित एक अद्यतन "स्टैट्स रिपोर्ट" उद्योग निदेशालय द्वारा तैयार की जा रही है। राज्य में प्रतिवर्ष चमड़े के उत्पादन,

(उद्योग मंत्री)

तैयार चमड़े व कच्चे चमड़े के राज्य से बाहर जाने व तैयार चमड़े के राज्य में आने संबंधित कोई आकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

तहसील मोहनगढ़ में भू-आवंटन

231. श्री परसराम मदेरणा (गुढ़ामालानी) : क्या उप-निवेशन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 2 देवामाईनर (डी. वी. एम.) के चक नं. 5, 6, व 7 में विशेष आवंटन हेतु राज्य सरकार ने आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि देवामाईनर के चक नं. 5, 6, 7 में बाड़मेर जिले के किसानों ने मय 500/- रुपये फीस के आवेदन पत्र माह जून, 1993 में मोहनगढ़ उपनिवेशन तहसील–2 में जमा करवाये थे ?

(3) क्या यह सही है कि उपनिवेशन आयुक्त ने देवा माइनर के चक नं 5, 6, 7 में किसानो को विशेष मुरब्बे आवटित किये हैं और उसके अनुसार किसानों ने प्रथम किश्त के 63,000–63,000/- रुपये जमा कराके कब्जे भी ले लिये हैं ? यदि हां, तो किस-किस किसान द्वारा उक्त राशि जमा करवायी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नं. 2 मे विशेष आवंटन हेतु विज्ञापित भूमि के लिए वर्ष 1992 में प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे जिसमें देवा माईनर डी. वी. एम. चक न. 5, 6 व 7 भी शामिल थे। किन्तु प्रथक से देवामाईनर डी. वी. एम. चक 5, 6 व 7 के लिए विशेष आवंटन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। देवामाईनर के चक 5, 6 व 7 में 9 व्यक्तियों को वर्ष 1992 के विशेष आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर भूमि का आवंटन किया गया। इनमें से 8 व्यक्तियों ने परिशिष्ट-क में दर्शाई गई राशि जमा कराई, 2 व्यक्तियों ने कब्जा प्राप्त नहीं किया है और 1 व्यक्ति द्वारा 35 प्रतिशित राशि जमा नहीं कराई गई। इस कारण उसे कब्जा नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट–"क"

क्र.सं.	नाम आवंटी	प्रथम किश्त की जमा राशि
1.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री अचलाराम जाति ब्राह्मण सा. भूणियां, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर।	61,736/–रुपये
2.	श्री जगदीश पुत्र अचलाराम ब्राह्मण सा. भूणिया, तहसील चौहटन, जिला–बाड़मेर।	63,645/– ,,
3.	श्री शेर मोहम्मद पुत्र अमीन खां, मुसलमान नि. देताणी, तहसील शिव, जिला-बाडमेर।	63,645/– ,,
4.	श्री श्योकत अली पुत्र बहादुर खां, मुसलमान सा. पराड़िया, तहसील चौहटन, जिला-बाड़मेर।	61,735/– ,,
5.	श्री रामधन पुत्र हमीर खां, मुसलमान, सा. पराडिया तहसील चौहटन जिला-बाड़मेर।	63,645/– ,,
6.	श्री हेमाराम पुत्र हनुवन्ताराम जाति विश्नोई, सा. भूणिया, तहसील चौहटन, जिला-बाड़मेर।	61,736/– ,,
7.	जैकम पुत्र हनुवन्ताराम जाति विश्नोई, सा. भूणिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।	44,777/– ,,
8.	श्री अचलाराम पुत्र अर्जुनराम जाट, सा. रेडाणा, जिला बाड़मेर।	59,827/– ,,
9.	श्री चैनाराम पुत्र मीथाराम जाट, बाड़मेर।	राशि जमा नहीं।

Page No.173

पंचायत समिति बायतू एवं बालोतरा के ग्रामों का विद्युतीकरण

232. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बायतू और बालोतरा में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है तथा अब कितने ग्राम शेष हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है उन ग्रामों में पूरी बिजली की लाइन लगा दी गई है ? यदि हां, तो उन ग्रामों में कुल कितने उपभोक्ताओं ने घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन उपभोक्ताओं ने अपने घरेलू कनेक्शन मांगे हैं उनमें से कितने लोगों को डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं तथा कितने लोगों के शेष हैं जो शेष हैं उनको कब तक डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बायतू एवं पंचायत समिति बालोतरा में क्रमश: 35 एवं 131 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है जिनकी सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है। पंचायत समिति बायतू में कोई ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं हैं। पंचायत समिति बालोतरा में अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति बायतू एवं बालोतरा में विद्युतिकृत घोषित ग्रामों में से बायतू में 19 तथा बालोतरा में 96 ग्रामों में पूरी विद्युत लाइन बिछाई गयी है। पंचायत समिति बायतू एवं बालोतरा में क्रमश: 998 एवं 1660 घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनकी संख्या ग्रामवार सूची "स" व "द" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति बायतू में 803 आवेदकों को घरेलू कनेक्शन हेतु मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं तथा 195 आवेदकों को मांग पत्र जारी करना शेष हैं। पंचायत समिति बालोतरा में 1660 आवेदकों को मांग पत्र जारी करना शेष हैं। शेष बचे हुए आवेदकों को मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तकनीकी शिक्षा

233. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कौन-कौन से पाठ्यक्रमों को तकनीकी शिक्षा माना जाता है ? तथा उनके कालेज कहां-कहां अवस्थित है ?

(2) इन महाविद्यालयों से प्रति वर्ष कितने विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करते हैं ?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(3) इनमें से किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्व परीक्षा होती है तथा किनमें सीधे प्रवेश दिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिए स्थान आरक्षित रखे जाते हैं ? यदि हां, तो किस पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है ?

(5) क्या यह आरक्षण पर्याप्त है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसको बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों एवं पोलिटेक्निक कालेजों में पढ़ाये जाने वाले तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं कालेजों की सूची संलग्न है ।

(2) इंजीनियरिंग में डिग्री स्तर के 1080 छात्रों को एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम में 1905 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता है ।

(3) इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए सभी कालेजों में पी. ई. टी. परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाते हैं । डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीधे ही प्रवेश सीनियर हायर सैकण्डरी में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर दिया जाता है ।

(4) जी. हां । डिग्री पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के लिए 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$% स्थान आरक्षित है तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के लिए 16% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12% स्थान आरक्षित हैं ।

(5) जी, हां । यह आरक्षण पर्याप्त है, क्योंकि पी. ई. टी. के माध्यम से 28% तक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश देने के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं । इसी प्रकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम में भी आरक्षित स्थान खाली रह जाते हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदस्थापन

234. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या पंचायत समिति के माध्यम से चलाये जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां । पंचायत समिति के अधीनस्थ उन 503 प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाने के लिए पद सृजित हैं जिनकी छात्र संख्या 300 से अधिक है । शेष स्कूलों में छात्र संख्या कम होने से 500/– वार्षिक आकस्मिक व्यय हेतु मुख्याध्यापक को भुगतान होते हैं ।

मेडिकल प्रवेश में आरक्षण

235. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेडिकल कालेज में प्रवेश के समय अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना प्रतिशत ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जाति के अभ्यार्थी उपलब्ध होते हुए भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार नियम विरुद्ध कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि डाक्टर सर्विस कैन्डीडेट का पी. जी. कोर्स 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष किया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि समयावधि को कम किये जाने हेतु सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो सरकार इस पर विचार कर पुन: 2 वर्ष समयावधि करने का निर्णय कब तक लेने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि मेडिकल कालेजों में प्रवेश के समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को क्रमशः 8% एवं 6% आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने उनके अध्यादेश संख्या 278 ई. द्वारा सर्विस डाक्टर्स के लिए पी. जी. कोर्स की अवधि वर्ष 1993 से दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष कर दिया है।

(4) चूंकि सर्विस डाक्टर्स के लिए पी.जी. की अवधि 2 से वर्ष 3 वर्ष मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में की गयी है। अतः राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलने का विचार नहीं रखती।

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची

क्र.सं.	दस्तावेज संख्या	सम्पादन की तारीख	मूल्यांकन	सम्पत्ति का विवरण	क्रेता	विक्रेता	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	28/91	26–2–91	146000/	3 बीघा 10 बिस्वा का 1/2 हिस्सा	जयलाल देवीलाल धाकड़ नि. फतेहनगर	सुरेश पुत्र मातादीन यादव नया नगर	
2.	89/91	9–7–91	560000/	5 बीघा 12 बिस्वा	प्रभु पन्ना धाकड़, चांदजी की खेडी	अम्बालाल धाकड़, चांदजी की खेडी	
3.	90/91	9–7–91	300000/	3 बीघा	श्रीमती मांगीबाई लक्ष्मी निवास, बिजोलिया	कैलाशचन्द धाकड़ चांदजी की खेडी	
4.	91/91	9-791	305000/	3 बीघा 1 बिस्वा	प्रभु पन्ना धाकड़, चांदजी की खेड़ी	बाली पत्नी कैलाश धाकड़, चांदजी की खेडी	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	108/91	5–8–91	150000/	1 बीघा 10 बिस्वा	मांगी ओंकार भील, नया नगर	ओंकार कालू भील बिलची खुर्द	
6.	212/91	28–9–91	110000/	1 बीघा 2 बिस्वा	मवाना भूरा मीणा, गाडरी खेडा	छोगा नारायण मीणा, घडोदा	
7.	217/91	7–10–91	296000/	2 बीघा 15 बिस्वा	मवाना भूरा मीणा, गाडरी खेडा	लालाराम किशन मीणा, नन्दराय	
8	218/91	7–10–91	55000/	10 बिस्वा	रोहताश पुत्र परबतिया कंजर, महुवा	दुर्गाशंकर मेहर, बिजोलिया	
9.	4/92	3–1–92	100000/	3 बीघा 10 बिस्वा का 1/3 हिस्सा	श्रीमती साबू पत्नी मावसिंह बंजारा, झलेरी	ओमप्रकाश वगैरह, भीलवाड़ा	
10.	8/92	21–1–-2	110000/	3 बीघा 10 बिस्वा का 1/4 हिस्सा	चौसर पत्नी घासी बंजारा, फतेहनगर	श्रीमती सुमन देवी शर्मा, बिजोलिया	
11.	23/92	13–2–92	267000/	13 बिस्वा	असलम वगैरह, झालावाड़	श्री महेन्द्र सिंह, भीलवाड़ा	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	37/92	10-3-92	258500/	2 बीघा 7 बिस्वा	हीरालाल धाकड़, फतेहनगर	कैलाशपुरी गुसाई, भीलवाड़ा	
13.	168/92	25-5-92	77000/	5 बीघा	रामकिशोर सक्सैना, वगैरह माण्डलगढ़	मदनलाल रामदेव अग्रवाल, भीलवाड़ा	
14.	173/92	28-5-92	77000/	6 बीघा 10 बिस्वा	बालू पन्ना बलाई, नयावास	लालूराम बलाई, बेरीसाल	
15.	257/92	23-9-92	257000/	2 बीघा 10 बिस्वा	दौलतराम महाजन, आरोली	बिहारी दुर्गा पिता मांगू बंजारा, झलेरी	
16.	271/93	7-10-93	96000/	5 बीघा 10 बिस्वा	नाथू पृथ्वी बंजारा, फतेहनगर	महेश कुमार बालूलाल अग्रवाल, भीलवाड़ा	
17.	303/93	15-12-93	217500/	12 बीघा	नन्दू पत्नी भवाना, भीलझलेरी	रतनलाल देवीलाल भील, छतरी खेडा	
18.	304/93	15-12-93	73500/	4 बीघा 1 बिस्वा	,, ,,	बालूदेवी भील, छतरी खेडा वगैरह	
19.	305/93	15-12-93	126000/	6 बीघा 19 बिस्वा	,, ,,	गोपालदेवी भील, छतरी खेडा वगैरह	

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	312/93	27-12-93	100000/	5 बीघा 10 बिस्वा	प्यारी श्रामी बेवा श्यामा बंजारा	भीमा पुत्र कालू बंजारा, झलेरी वगैरह	
21.	313/92	28-12-93	140000/	7 बीघा 11 बिस्वा	भंरू देवी भील	देवी गोकुल भील, छतरी खेडा	

ह०/-
अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
अजमेर (राज.)

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 253 का विवरण

कोषालय शहर, जयपुर

विचाराधीन अदेयता प्रमाण-पत्रों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम, पद व विभाग	प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तिथि	अदेयता प्रमाण-पत्र विचाराधीन होने का कारण
1	2	3	4
1.	सुश्री उमा जैतली, उप निदेशक, रोजगार निदेशालय	15-1-94	वांछित सूचना के अभाव में।
2.	स्व. मोहम्मद सफी, व. लिपिक, सिंचाई विभाग	28-1-94	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मृत्यु की सूचना काफी देर से देने के कारण।
3.	श्री रघुनाथसिंह, उप निरीक्षक, पुलिस विभाग	7-7-93	वांछित सूचना के अभाव में।
4.	श्री सुवालाल शर्मा, क. लि पुलिस विभाग	20-5-93	जी. ए. 55ए प्रस्तुत न करने के कारण।
5.	श्री उपेन्द्र कुमार गौतम, व. लिपिक, पुलिस विभाग	17-1-94	घोषणा-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
6.	श्री कल्याण प्रसाद जैन, सदर कानूनगो, राजस्व विभाग	10-9-93	वांछित सूचना के अभाव में।
7.	श्री गोविन्द नारायण, पर्यवेक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग	20-12-93	घोषणा-पत्र एवं जी. ए. 55ए के अभाव में।

1	2	3	4
8.	स्व: श्री रामलाल खटीक, क. लि., तहसील बस्सी	23-7-93	वांछित प्रपत्रों की पूर्ति कर प्रस्तुत न करने के कारण।
9.	श्री सम्पत कुमार माथुर, पर्यवेक्षक, बीमा विभाग	29-8-93	उच्च न्यायालय में विचाराधीन।
10.	श्रीमती बीना ग्रोवर, व. अध्यापक, बनीपार्क विद्यालय	1-5-93	निदेशक, पेंशन विभाग की सूचना के अभाव में
11.	स्व. श्री राधेश्याम पारीक, व. अध्यापक, राज. उ. मा. विद्यालय, जोबनेर	5-10-93	वांछित सूचना के अभाव में।
12.	श्री गोविन्द कान्त शर्मा, से. नि., प्रधानाचार्य, नर्सिंग कालेज	11-10-93	कोर्ट में विचाराधीन।
13.	स्व. श्री कानाराम, गार्ड	29-7-91	वांछित सूचनाओं के अभाव में।

31-3-1994 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के दीर्घकालीन ऋणों के बकाया प्रमाण-पत्र

क्र.सं.	नाम	सेवानिवृत्ति तिथि	आवेदन तिथि	ऋण का प्रकार	ऋण राशि	कारण
1.	श्री शिव प्रकाश पुरोहित उप निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	31-1-94	22-2-94	एच.बी.ए./ सी.ए.	11541/	महालेखाकार कार्यालय से परिशिष्ट–III में खाता प्राप्त न होने के कारण ।
2.	श्री नाथूलाल रंगर, सहायक, लोकायुक्त सचिवालय जयपुर	19-10-93	22-2-94	सी ए.	40950/	महालेखाकार कार्यालय से परिशिष्ट–III में खाता प्राप्त न होने के कारण ।
3.	श्री आर.एस. अरोड़ा, उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बीकानेर	31-1-94	12-1-94	सी.ए.	8000/	कोषालय धौलपुर से खाता प्राप्त न होने के कारण ।
4.	श्री ओ. पी. माथुर, संयुक्त निदेशक	31-3-93	—	एच.बी.ए.	41000/	जयपुर कोषालय से लुप्त कटौतियों का सत्यापन होना बाकी ।

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 255 की सूची

मन्दिर से 200 मीटर की परिधि में अवस्थित देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों की सूची :—वर्ष 1993–94

क्र. सं.	नाम आबकारी जिला	नाम दुकान
1	2	3
देशी शराब की दुकानें :		
1.	भीलवाड़ा	मीरांगेट हुरडा
2.	जयपुर	सांगानेरी गेट नं.–1 आदर्शनगर नं.–6 घाटगेट नं.–4
3.	जोधपुर	जसवन्त सराय, स्टेशन रोड़
4.	पाली	फालना
5.	सिरोही	शिवगंज नं.–2
अंग्रेजी शराब की दुकानें :		
1.	जोधपुर	मुख्य दुकान स्टेशन रोड
2.	जालौर	मुख्य दुकान बाड़मेर
3.	बीकानेर	मुख्य दुकान तेलीवाड़ा

1	2	3
4.	सिरोही	मुख्य दुकान सिरोही नं.–1 मुख्य दुकान शिवगंज आर. टी. डी. सी. द्वारा संचालित बीयर खुदरा दुकान, सिरोही
5.	भीलवाड़ा	मुख्य दुकान बून्दी नं.–2 मुख्य दुकान, जहांजपुर
6.	भरतपुर	आर. टी. डी. सी. की बीयर खुदरा दुकान चौबूर्जा बाजार, भरतपुर
7.	जयपुर नगर	जौहरी बाजार दुकान नं.-23 नागपाल वाईन्स नं.-13 आदर्श नगर नं.–37 किंग वाईन, नं.–30 राणा वाईन्स, नं.–25 हसनपुरा नं.–48 सांगानेर नं.–68 आर. टी. डी. सी. की बीयर खुदरा दुकान चांदपोल, जयपुर ।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 257 का विवरण

माह अक्टूबर 1993 से फरवरी 1994 तक ब्यावर के आस-पास के क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिज परिवहन/अवैध खनन के पकड़े गये मामलों का विवरण :-

1—अवैध खनिज परिवहन के मामले—

क्र. सं.	खनिज का नाम	वाहन संख्या	स्थान	वसूली	दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	लाईम स्टोन	आर. जे. सी. 233	काना खेड़ा	3125/–	6-10-93
2.	चुनाई पत्थर	आर. आर क्यू. 8229	सतावडिया	375/–	8-10-93
3.	चुनाई पत्थर	आर. जे. क्यू. 7401	अनाकर	600/–	9-10-93
4.	चुनाई पत्थर	ट्रेक्टर–आर.एस.आर. 2128	पुरानी ब्यावर	400/–	28-10-93
5.	फैल्सपार	आर. एन. डब्ल्यू. 7554	केसरपुरा	2280/–	31-10-93

1	2	3	4	5	6
6	चूना पत्थर	आर. एस. एच. 135	कानाखेड़ा	5000/-	12-11-93
7.	चुनाई पत्थर	आर. आर. जेड. 962	सालाकोट	375/-	19-12-93
8.	चुनाई पत्थर	आर. जे. 19 जी 0522	पाकरीयावास	600/-	19-12-93
9.	लाईम स्टोन	आर. आर. एल. 975	मसूदाघाट	3968/-	21-12-93
10.	क्वार्ट्ज.	आर. एस. एस. 91	मसूदा	1000/-	19-1-94
11.	चुनाई पत्थर	आर जे.-1 जी. 173	नाईकला	450/-	21-1-94
12.	चुनाई पत्थर	आर. जे.-19 जी. 589	अतीतमण्ड	600/-	27-1-94
13.	फैल्सपार	आर. जे.-01 जी. 409	गोपालपुरा	2250/-	31-1-94
14.	फैल्सपार	आर. जे. जेड. 6489	जालियावास	1500/-	31-1-94
15.	क्वार्ट्ज	आर. जे. जेड. 6496	राजियावास	1290/-	16-2-94
16.	पट्टी कातला	आर. जे.-1 जी. 932	मांडीडा	4000/-	22-2-94
17.	फैल्सपार	आर. एस. ई. 3717	ब्यावर	1800/-	19-2-94
18.	क्वार्ट्ज	आर. आर. आर. 1261	बोराडा	1200/-	17-2-94
				30723/-	

II—प्रबंध खनन कार्य—

क्र. सं.	दिनांक मौका जांच	खनिज एवं मात्रा	क्षेत्र	की गई कार्यवाही का विवरण
1.	6-10-93	फैल्सपार 8 ट्रक	पालूना	नोटिस दिनांक 26-10-93 को जारी किया गया ।
2.	23-11-93	फैल्सपार 6 ट्रक	पाटियान	नोटिस दिनांक 11-2-94 को दिया गया है ।
3.	23-11-93	फैल्सपार 50 टन	रामपुरा	नोटिस दिनांक 11-2-94 को दिया गया है ।

ह०/–
खनि अभियन्ता, अजमेर ।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 266 का विवरण

ज्योति क्लिनिक कुण्डा से पुलिस चैक पोस्ट कुण्डा तक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 के समीप हुए एवं हटाये गये अतिक्रमणों की सूची (गत दो वर्षों में)

क्र.सं.	अतिक्रमि का नाम	खसरा नं.	किस्म	निर्माण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नारायण खटीक	1033	सिवाय चक	पुख्ता दुकान	चुनावों के दौरान निर्माण किया गया था। जिसे ध्वस्त किया जा चुका है।
2.	श्री घीसा खटीक	1033	,, ,,	,, ,,	चुनावों के दौरान निर्माण किया गया था। जिसे ध्वस्त किया जा चुका है।
3.	श्री गंगीया खटीक	1033	,, ,,	,, ,,	चुनावों के दौरान निर्माण किया गया था। जिसे ध्वस्त किया था चुका है।

Page No.189

1	2	3	4	5	6
4.	श्री नाम अज्ञात	1150	सिवाय चक	पुख्ता दुकान	पत्थर डाले हुए हैं जिन्हें कब्जे. राज लिया जाकर नीलामी कार्य-वाही जेरकार हैं।
5.	श्री सुवालाल माली	1023	पट्टियों की टाल	,, ,,	बेदखलीं के आदेश दिये जाकर निर्माण हटाने हेतु नगर निगम को लिखा गया।
6.	श्री जगदीश खटीक	1033	पुख्ता दुकान	,, ,,	बेदखली के आदेश दिये जाकर निर्माण हटाने हेतु नगर निगम को लिखा गया।
7.	श्री लल्लूराम	1150.	पुख्ता दुकान	,, ,,	बेदखली के आदेश दिये जाकर निर्माण हटाने हेतु नगर निगम को लिखा गया।

सूची अतिक्रमियों की ग्राम कानपुर सड़क (एन. एच. 8)
नेशनल हाइवे के समीप

1. हरसहाय पुत्र कंवर मीणा
2. शेर सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल राजपूत
3. मो. जमाल पुत्र मो. सुमान मुसलमान
4. रहमत खान पुत्र इमामुल हक
5. मदन लाल शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा
6. लक्ष्मीकान्त पुत्र काशीनाथ शर्मा
7. मोतीराम पुत्र श्री चौथू मीणा
8. बाबूलाल पुत्र अजमल खां
9. राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र माणक चन्द जैन।

उपरोक्त सभी अतिक्रमी खसरा नं. 255/1 वन विभाग के नाम हैं तथा यह क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 267 की प्रति

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–I) विभाग

प्रेषित :–

जिला कलक्टर,
अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक : प. 12(53)राज/ग्रुप–I/7/–पार्ट जयपुर दिनांक : 24.11.92

विषय :– अजमेर जिले की भू-संशोधन समस्याओं बाबत ।

महोदय,

अजमेर जिले की भू-संशोधन समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) गैर मुमकिन भूमि के मामले :

वर्ष 1970–72 के भू-संशोधव के दौरान जिनके नाम खातेदारी अंकित कर दी गई, ऐसे सभी मामलों में जिनका 1940–41 व 1950–51 की मिसल बन्दोबस्त में नाम था लेकिन बाद में चौसाला, जमाबन्दी तथा वर्किंग जमाबन्दी में नाम नहीं आया व भूमि सिवाय चक अंकित हो गयी, जितनी भूमि पर उनका मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज है उस पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं । रेकार्ड के अनुसार व मौके पर विद्यमान गैर मुमकिन आबादी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, नाले, कब्रिस्तान, श्मशान मंदिर आदि पर किसी भी स्थिति में खातेदारी नहीं दी जावे ।

(2) सिवाय चक व चरागाह भूमि के मामले :

ऐसे सिवाय चक भूमि के मामले जिनमें 1970–72 के भू-संशोधन के दौरान खातेदारी अंकित कर दी गई थी, में यदि वर्तमान में कब्जा 1.7.1975 से पूर्व से

लगातार साबित होता है तथा चरागाह भूमि के मामले में कब्जा दि. 1.7.1970 के पूर्व में लगातार साबित होता है, ऐसे मामलों में स्वयं द्वारा पूर्व में निर्धारित भूमि को सम्मिलित करते हुए 10 एकड़ की सीमा तक नियमन की कार्यवाही की जाकर मामले निपटाये जा सकते हैं।

(3) **शामलात देह की भूमि के मामले :**

ऐसे काश्तकार जिन्हें बन्दोबस्ती जमाबन्दी में तावेमर्जी काश्तकार दर्ज किया हुआ है तथा काश्त की अवधि भी बताई हुयी है तथा जिनका नाम भू-संशोधन जमाबन्दी 1970–72 में खातेदार की हैसियत से अंकित हो गया था, लेकिन बाद की वर्किंग जमाबन्दी में जिनका नाम हटा दिया था, को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इसमें गैर मुमकिन जमीनों के मामले में पैरा 1 के अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी। इन शामलात के टीनेन्ट को धारा-15 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन कानूनी अधिकारी प्राप्त है, अतः उसके मुताबिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

(4) **पेटा काश्त भूमि के मामले :**

राजस्व नियमों के तहत तालाबों के पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की स्थिति में यह सम्भावना रहती है कि उस भूमि पर अच्छी फसल पाने के लिए तालाब के पानी को अनावश्यक रूप से खाली करके पानी का दुरुपयोग किया जावे। अतः पेटे की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने से तालाबों के पानी को व्यर्थ ही समाप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। अजमेर जिले में जहां "सरफेस वाटर" की आवश्यकता है, पेटे की भूमि के मामलों में खातेदारी अधिकार न दिये जाकर वर्तमान नियमों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी चाहिये। यदि बन्दोबस्ती जमाबन्दी में कोई अधिकार मिले है तो उनको गैर खातेदारी अधिकार मान कर उनको काश्त या अधिकार दिया जा सकता है।

(5) **नगर परिषद् एवं नगरपालिका पेराफेरी के मामले :**

पेराफेरी के गांवों मे जिनके नाम 1970–72 की जमाबन्दी मे अंकित कर दिये परन्तु उनका नाम वर्किंग जमाबन्दी में नहीं आया ऐसे मामलों में से जिनके नाम किशल बन्दोबस्त में या शामलात में होने से उपरोक्त पैरा 3 में नियमित हुे

जाते हैं उनको छोड़कर शेष के लिए यह प्रस्तावित है कि यदि उनका नाम 1970–72 की जमाबन्दी में है और उनका कब्जा है तो अकृषि प्रयोग करने पर 1981 के शहरी भूमि रूपान्तरण नियमों के नियम (10) के अनुसार भूमि रूपान्तरण शुल्क ले लिया जाये और कृषि उपयोग में ही है तो 1970–72 की प्रचलित बाजार दरें लेकर नियमित किया जा सकता है।

अतः निदेशानुसार निवेदन है कि भू-संशोधन से सम्बन्धित विचाराधीन मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/–
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 272 की सूची

पंचायत समिति लालसोट में उन लघु उद्योग के विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सूची, जिन्होंने 2000/– रुपये अग्रिम राशि जमा करा रखी है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	ग्राम
1	2	3
1.	मूलचन्द पंवासरी	लालसोट
2.	केदार प्रसाद साडू	,,
3.	केशरलाल जांगिड़	,,
4.	चौथमल कुम्हार	,,
5.	सरदार मोहम्मद	,,
6.	कमलेश कुमार शर्मा	,,
7.	कमलेश कुमार जैन	,,
8.	परस्या हीरा माली	,,
9.	राधेश्याम गोयल	,,
10.	रामजीलाल पुराका	,,
11.	चौथमल माली	,,
12.	मुनीर अली	,,
13.	केसरीलाल/मोतीलाल	,,
14.	भगवतीलाल/नाथूलाल	,,
15.	लल्लू प्रसाद जांगिड़	,,
16.	रामस्वरूप भट्ट	,,
17.	सीताराम शर्मा	,,

1	2	3
18:	पांचूराम सैनी	लालसोट
19.	श्रीमती अफीजन	,,
20.	द्वारका प्रसाद सोनी	,,
21.	सन्तोष कुमार सैनी	,,
22.	गुलाब चन्द महावर	,,
23.	रूपनारायण शर्मा	,,
24.	गिर्राज प्रसाद सैनी	,,
25.	हनुमान प्रसाद शर्मा	,,
26.	छोटूलाल/गोरधन	,,
27.	रेवडमल माली	,,
28.	कान्या/रामचन्द माली	,,
29.	नन्दकिशोर शर्मा	,,
30.	श्रीमती नारायणी देवी	,,
31.	शंकरलाल शर्मा	,,
32.	श्रीमती कैलाशी देवी	,,
33.	चिरजीलाल माली	,,
34.	ताराचन्द/रामजीलाल	,,
35.	कल्याण सहाय मीणा	सोनड
36.	किशनलाल/भूंथा गुजर	सिन्दोली
37.	संजय कुमार मीणा	डूंगरपुर
38	कालूराम बैरवा	अमय पुर
39.	सांवलराम मीणा	रामपुरा कलां
40.	राकेश कुमार गुप्ता	चौदपुर
41.	राकेश कुमार	चौदपुर
42.	गिर्राज प्रसाद रावत	चौदपुर
43.	मांगीलाल मीणा	ईसगपुरा

1	2	3
44.	हीरालाल माली	हरिपुर
45.	रामकिशोर/रामधन	रामसर
46.	केशरा/मोरया	भरनिया कलां
47.	दौलतराम/नाथू	रामगढ़ पचवारा
48.	श्रीमती शान्ति देवी	थलोज
49.	रामेश्वर प्रसाद शर्मा	अगनेर
50.	रामपाल मीणा	श्रीया
51.	जयनारायण शर्मा	शिवसिंहपुरा
52.	शिव प्रसाद पांचाल	निर्झना
53.	हरिनारायण जांगिड़	सर्वासा
54.	किशनलाल गुप्ता	नेहरी जसवन्तपुरा
55.	श्योराम/तेज्या मीणा	झापदा खुर्द
56.	गोविन्दा मीणा	श्यामपुरामली
57.	पूर्णचन्द/अशोक कुमार	मण्डावरी
58.	रथाली प्रसाद मीणा	माधोपुरा
59.	पांचाल इंजीनियरिंग	श्यामपुरामली
60.	रामफूल/गोपाल मीणा	श्रीरामचन्दपुरा
61.	हरबक्स/गोपाल मीणा	पातलवास
62.	रूपनारायण मीणा	कालूवास
63.	तुलसीराम नानण	बुर्जा
64.	रामजीलाल गुप्ता	गोपालपुरा
65.	बाबूलाल/श्यामलाल	डीडवाना
66.	रामपाल/कल्याण	बगड़ी

Page No.197

1	2	3
67.	जयलाल/कन्हैया मीणा	बगड़ी
68.	प्रदुप कुमार गुप्ता	मण्डावरी
69.	कन्हैया लाल मीणा	,,
70.	प्रसादी/पून्या मीणा	,,
71.	कमल कुमार/विमल कुमार	,,
72.	श्रीमती रूकमणी देवी	सूरजपुरा
73.	कजोडमल माली	डिडवाना
74.	बालाजी इड. रीको	,,
75.	कलजी/मोमराज	खुर्रा
76.	भैरू/रूगनाथ शर्मा	टोडा गंगा
77.	प्रहलाद/जमनालाल	राजोली
78.	जुम्मा खां	डिगो
79.	श्रीनारायण शर्मा	टोडाघामा उर्फ गोपालपुरा
80.	किशनलाल/कालू बैरवा	नापकाबास
81.	तेजाराम मीणा	खेडला खुर्द
82.	तेजाराम/गंगाराम माली	कुशलपुरा
83.	विश्वकर्मा डायमण्ड, रीको	डिडवाना
84.	परशुराम रेगर	इन्दावा
85.	मोहनसिंह/भैरूसिंह	बडेखन
86.	मीठालाल/हरिनारायण	रामगढ़ पचवारा
87.	जगदीश/नारायण मीणा	प्रहलादपुरा
88.	रिन्कू प्रायल मिल	डूंगरपुर

1	2	3
89.	हनुमानसिंह/मूलसिंह	अभयपुरा
90.	रमेशचन्द/मूलचन्द शर्मा	व्यासो का नोहरा
91.	धूलचन्द मीणा	राजपुरा
92.	विनोद कुमार शर्मा	लालसोट
93.	रामकिशोर मीणा	खानपुरा
94.	दीनदयाल गुप्ता	श्रीरामपुरा
95.	हरिनारायण रैगर	देवली
96.	ओमप्रकाश अग्रवाल	बगडी
97.	नारायणसिंह/गुलाबसिंह	कुत्तलवास

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची

ग्राम पारलीया सेन्सस कोड 21/6/35 मजरा भैरू खेड़ा (सुथारी खेड़ा) में तहसील भदेसर में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का नामवार विवरण व 31-1-94 तक दिये गये कनेक्शन

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम व पिता का नाम	आवेदन तिथि	कनेक्शन देने की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री शंकर/बद्रीलाल	26-10-91	21-1-92
2.	,, भगवानलाल/सुखदेव ब्राह्मण	26-10-91	21-1-92
3.	,, छगनलाल/नाथू सुखवाल	2-12-91	15-7-92
4.	,, सन्तोषलाल/हीरालाल ब्राह्मण	5-12-91	लम्बित
5.	,, जगन्नाथ/माधवलाल सुखवाल	6-12-91	,,
6.	,, रामचन्द्र/नन्दलाल	6-12-91	,,
7.	,, मथुरालाले/पृथ्वीराज ब्राह्मण	6-12-91	,,
8.	,, रामचन्द्र/नन्दलाल ब्राह्मण	10-12-91	,,
9.	,, नन्दकिशोर/गोरीशंकर शर्मा	13-12-91	,,
10.	अमरचन्द/नोला माली	7-7-92	,,
11.	,, प्यारचन्द/भैरूलाल सुथार	22-5-92	,,
12.	,, चतरा/कालू भील (एस.टी.)	6-6-92	,,
13.	,, नांदू/चुना भील (एस.टी.)	6-6-92	,,
14.	,, लखमा/डूंगा भील (एस.टी)	6-6-92	,,
15.	,, गमेरा/गोकुल भील (एस.टी.)	6-6-92	,,
16.	,, चम्पालाल/पेमा भील (एस टी.)	6-6-92	,,

1	2	3	4
17.	श्री रामा/प्यारा भील (एस.टी.)	6-6-92	लम्बित
18.	,, सोहन गिरी/माधव गिरी	16-6-92	,,
19.	,, मगना/प्यारा कुम्हार	16-7-92	,,
20.	,, कैलाश गिरी/माधव गिरी	22-12-92	,,
21.	,, भैरूलाल/मगनीराम शर्मा	12-4-93	,,
22.	,, गोपाल/गोकुल सुखवाल	20-9-93	,,
23.	,, केशरलाल/मोतीलाल सुखवाल	20-9-93	,,
24.	,, डालू/गंगाराम चमार (एस.टी.)	28-9-93	,,
25.	,, हीरालाल/भैरूलाल सुथार	28-9-93	,,
26.	,, भैरा/लेरिया भील (एस.टी.)	28-9-93	,,
27.	,, शंकरलाल/गगाराम सुथार	28-9-93	,,
28.	,, रामचन्द्र/नन्दलाल ब्राह्मण	4-10-93	,,
29.	,, घासीलाल/रामचन्द्र ब्राह्मण	4-10-93	,,

Page No.201

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ के अप्रशिक्षित संविदा के अध्यापक की सूची
जिन्हें सेवा से पृथक किया गया

क्र सं.	नाम अध्यापक	भुगतान किये जाने वाली राशि
1	2	3
1.	श्री मनोहर सिंह	19320
2.	,, शकील मोहम्मद	19327
3.	,, देवेन्द्र सिंह	10393
4.	,, शान्ति लाल	18622
5.	,, नरेन्द्र सिंह	19370
6.	,, गुलाब चन्द धाकड़	18622
7.	,, नीरज कुमार	19341
8.	,, महेन्द्र सिंह	14834
9.	,, नन्द सिंह	19341
10.	,, रामेश्वर दयाल	6866
11.	,, उदयलाल	19371
12.	,, घीसूलाल	18351
13.	,, रामसिंह	10900
14.	,, शिव सिंह	19371
15.	,, दिलीप कुमार	19303
16.	,, सोहन लाल	19281
17.	,, रघुनाथ सिंह	19393

1		3
18.	श्री रमेश चन्द्र	19370
19.	,, रविन्द्र कुमार	18822
20.	,, रमजेन्द्र	18622
21.	,, सीताराम	18967
22.	,, अब्दुल हबीब	19393
23.	,, भंवरलाल	19393
24.	,, मुन्ने खां	19393
25.	,, भीम सिंह	8580
26.	,, अशोक कुमार	18478
27.	,, देवी लाल	19571
28.	,, शोभालाल	19393
29.	,, गुलाब चन्द्र	19260
30.	,, गणेश लाल	19068
31.	,, महेन्द्र कुमार	16472
32.	,, सुरेन्द्र सिंह	771
33.	,, दुर्गा शंकर	19393
34.	,, जगदीश चन्द्र	16064
35.	,, मुकट बिहारी	6363
36.	,, बंशीलाल	19171
37.	,, दुर्गा शंकर	18360
38.	,, मिरजा शंकर	18360
39.	,, शंकर लाल	6867
40.	,, शोभाराम	19393

1	2	3
41.	श्री दिनेश चन्द	18491
42.	,, सागर मल	6843
43.	,, गोपाल लाल	6867
44.	,, कृपा शंकर	18531
45.	,, गौरीशंकर	18468
46.	,, बालचन्द	19032
47.	,, गजराज सिंह	19283
48.	,, दिलीप सिंह	4306
49.	,, बालकिशन	6867
50.	,, रमेश चन्द्र	18633
51.	,, शैल बाला	6867
52.	,, प्रतापसिंह	9977
53.	,, देवेन्द्र कुमार	6937
54.	,, दुर्गा शंकर	15848
55.	,, नसीम बेगम	8627
56.	,, रघुवीर सिंह	7828
57.	,, मिश्री लाल	7655
58.	,, उसमान गनी	7828
59.	,, उदयसिंह	7678
60.	" भंवर सिंह	7678
61.	,, नाहर सिंह	7678
62.	,, ललित सिंह	7655
63.	,, अमर सिंह	7828
64.	,, अजीत सिंह	7532

1	2	3
65.	श्री शम्भू लाल	7655
66.	,, जीतमल	7630
67.	श्रीमती ललिता	7655
68.	श्री प्रहलाद सिंह	7828
69.	श्रीमती चन्द्रलेखा	7557
70.	श्री बंशीलाल	19195
71.	श्री चतुर्भुज	4112
72.	श्री जगन्नाथ	4827
73.	श्री दशरथ सिंह	7828
74.	श्री रामावतार	4827

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 281 का विवरण

पंचायत समिति, जहाजपुर जिला- भीलवाड़ा

वर्ष 89–90 में बन्द किये गये पंचायत शिक्षा केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	नाम शिक्षा केन्द्र	नाम पंचायत	कारण
1	2	3	4
1.	टीठोडा (जागीर) कन्या	टीठोडा	इनमें स्थानीय अध्यापकों को संविदा पर रखा गया था जिन्हें प्रशिक्षित को 700/– रु., अप्रशिक्षित को 500/– रु. मानदेय दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा चन्दा तम्बोली सरकार रिट संख्या 2795/87 में निर्णय लिया गया कि संविदा अध्यापकों को भी न्यूनतम वेतन दिया जावे। इससे कानूनी व्यवधान उत्पन्न हो जाने से दिनांक 8-5-90 को आदेश जारी कर पंचायत शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये गये।
2.	अमरगढ़	अमरगढ़	
3.	जगमोहनपुरा	भगूनगर	
4.	सवाईपुर	उलेला	
5.	खजूरी	खजूरी	
6.	लक्ष्मीपुरा	पण्डेर	
7.	गोगा का खेड़ा	घोड़	
8.	सदापुर	भगूनगर	
9.	रूपपुरा	भगूनगर	
10.	जगन्ननाथपुरा	भरनी कललां	
11.	अखेपुरा	बिहाडा	
12.	शंक्करगढ़ रेगर बस्ती	शक्करगढ़	
13.	फूलनगर	पण्डेर	
14.	भगवानपुरा	पण्डेर	
15.	बालापुरा	बिहाडा	
16.	मण्डपिया (बरडा)	आमल्दा	

Page No.206

1	2	3	4
17.	मोहनपुरा	अमरगढ़	
18.	अखेराम जी का खेड़ा	अमरगढ़	
19.	शोभा जी का खेड़ा	टाठोडा (जागीर)	
20.	दानपुरा	गुढा	
21.	मरणी खुर्द	आमल्दा	
22.	खेमा का खेडा (बखेरा)	बरोदा	
23.	बालापुरा	शंल्करगढ़	
24.	बिहाडा कन्या	बिहाडा	
25.	बाम्दोला (किशनगढ़)	बेई	
26.	शंक्करपुरा	जामोला	

पंचायत समिति—कोटडी जिला—भीलवाड़ा

वर्ष 89—90 में कुल शिक्षा केन्द्र जो वर्तमान में बन्द है की सूची

क्र. सं,	गांव का नाम	पंचायत	कारण
1.	घायली का खेडा	कोटडी	इनमें स्थानीय अध्यापकों को संविदा पर रखा गया था, जिन्हें प्रशिक्षित को 700/- रु. व अप्रशिक्षित को 500/- रु. मानदेय दिया गया था उच्च न्यायालय द्वारा चन्दा तम्बोली सरकार रिट संख्या 2795/87 में निर्णय लिया गया कि संविदा पर अध्यापकों का न्यूनतम वेतन दिया जावे। इससे कानूनी व्यवधान उत्पन्न हो जाने से दिनांक 8-5-90 को आदेश जारी कर पंचायत शिक्षा केन्द्र बन्द कर दिये गये थे।
2.	कल्याणपुरा	बीरथोल	
3.	सोमसियास	सातोला का खेडा	
4.	कोरो का झोपड़ा	पारोली,	
5.	केसरपुरा	पारोली	
6.	गेंगा का खेड़ा	गेंगा का खेड़ा	
7.	बड़ला	बड़ला	
8.	सोलंकिया का खेढ़ा	बड़ला	
9.	माली खेड़ा	बोरड़ा	
10.	गोरा का खेड़ा	मन्शा	
11.	सरका खेड़ा	कोठाज	
12.	आंसाबरी	कोठाज	
13.	तख्तपुरा	बोरड़ा	
14.	नई पपलाज का झोपड़ा	वीरथोल	
15.	चावण्ड खेड़ा	बिरानिया	
16.	दौतड़ा बड़ा	दौतड़ा	
17.	सांखड़ा	सांखड़ा	
18.	गोलबड़ी	कोठाज	

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 283 की सूची

भाग (1) से सम्बन्धित सूची

क्र.सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	कार्यवाही अमल में लायी गई
1	2	3	4	5
1.	श्री कालूसिंह	नरबद खेड़ा	जवाजा	पद से हटाया गया।
2.	श्री कालूसिंह	,,	जवाजा	परिनिर्णय लेखबद्ध करने का अंतिम नोटिस दिया गया।
3.	श्री रतनसिंह	लोटियाना	जवाजा	सरपंच की मृत्यु हो चुकी है।
4.	श्री सूरमासिंह	नन्द्रीमालदेव	जवाजा	सरपंच की मृत्यु हो चुकी है।
5.	श्री पन्नासिंह	संदरिया	जवाजा	परिनिर्णय लेखबद्ध करने का अन्तिम नोटिस जारी किया गया है।
6.	श्री महादेव	किशनपुरा	जवाजा	कार्यवाही जारी है। टिप्पणी मागी गई है।
7.	,, भंवरलाल गोरा	देलवाडा	,,	,, ,,
8.	,, भीकमचन्द	टाटगढ़	जवाजा	कार्यवाही समाप्त की गई है।
9.	,, जालमसिंह	बराखन	,,	,, ,,

1	2	3	4	5
10.	श्री मोहनसिंह	बलाड	जवाजा	परिनिर्णय लेखबद्ध करने का अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
11.	,, अमरचन्द जैन	अतीतमण्ड	,,	कार्यवाही समाप्त की गई है।
12.	,, विजयसिंह	गोहाना	,,	,, ,,
13.	,, मोहनसिंह	टाटगढ़	जवाजा	परिनिर्णय लेखबद्ध का अन्तिम नोटिस दिया गया।
14.	,, ओमप्रकाश सोनी	जवाजा	जवाजा	परिनिर्णय लेखबद्ध का अन्तिम नोटिस दिया गया।
15.	,, मेहबूब	देवबाड़ा	जवाजा	कार्यवाही अन्तिम चरण में जारी है।
16.	,, बेगसिंह	बंजारी	जवाजा	आरोप प्रमाणित नहीं होने से कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

भाग (2) से सम्बन्धित सूची

क्र सं.	नाम सरपंच	पंचायत	एफ. आई. आर.		थाने का नाम	एफ. आर.	
			क्रमांक	दिनांक		क्रमांक	दिनांक
1.	श्री माधूसिंह	नाइकलां	9/62	13-4-62	जवाजा	15/64	30-9-1964
2.	श्री केसाराम	कोटडा	8/62	12-4-62	जवाजा	16/64	30-9-1964
3.	श्री सम्भा/नसीबा	रूपनगर	118/87	—	सदरथाना ब्यावर		कार्यवाही चालू
4.	श्री कालूसिंह	नरबदखेडा	58/91	20-4-91	जवाजा		कार्यवाही चालू

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची

क्र. सं.	विभाग	शैक्षणिक योग्यता	तकनिकी योग्यता	वेतन श्रृंखला	विशेष विवरण
1.	सी. जी. एच. एस.	मैट्रिक (विज्ञान)	रेडियोग्राफर का दो वर्ष का डिप्लोमा तथा एक वर्ष का अनुभव	रु. 1350-2200	सीधी भर्ती रेडियोग्राफर के पद पर
2.	राममनोहर लोहिया होस्पिटल, नई दिल्ली	मैट्रिक या समकक्ष योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से	,,	रु. 1350-2200	सीधी भर्ती रेडियोग्राफर के पद पर
3.	चि. एवं स्वा. विभाग	प्रथम वर्ष टी. डी. सी. अथवा 10+2 (विज्ञान विषय)	18 माह का प्रशिक्षिण राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से	रु, 1400-2600	पदोन्नति सहायक रेडियोग्राफर के पद पर

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 290 की सूची

अभावग्रस्त ग्रामों की सूची

तहसील डेगाना

1	2	1	2
1.	चारणवास	25.	जेतुपरा बाम्भण
2.	गोनरड़ी	26.	चकढाणी
3.	भगड़वास	27.	जोलास बिस्नोई
4.	गून्दीसर	28.	बछवास
5.	गो डीक पुरा	29.	अलवास
6.	चक चिकनास	30.	सांडास
7.	सांजू	31.	खीन्दास
8.	जोखेड़ा	32.	खातोलाई
9.	गुणसली	33.	थाटा
10.	कुलियासनी	34.	लूणियास
11.	नून्द	35.	मेहराणा
12.	मोठड़िया	36.	थांवला
13.	खुडीकलां	37.	कोड
14.	दुगोरअचंला	38.	टेहला
15.	जोधड़ास	39.	नृसिह बासनी
16.	पण्डवाला	40.	किला
17.	खुड़ीखुर्द	41.	लाखिणा
18.	चूडियास	42.	बाजीपुरा
19.	आकेली–बी	43.	राताडूंढा
20.	बढेवारी	44.	कल्याणपुरा
21.	खिबास	45.	देवगढ़
22.	दुघडास	46.	जसवन्तपुरा
23.	करासोड़ा	47.	गुखाजगमालोता
24.	सोघलास	48.	शेखपुरा

1	2	1	2
49.	निम्बोलाबिस्वां	80.	उदियास
50.	सनेड़िया	81.	खेड़ीचम्पा
51.	सथानाखुर्द	82.	राणास
52.	मथानिया	83.	बंवरला
53.	कोडिया	84.	चितनास
54.	लाडपुरा	85.	मोडरिया
55.	रावतखेड़ा	86.	चांचियास
56.	कालनी	87.	शूदरी
57.	बमसनीजगा	88.	रामसरी
58.	मोडीकलां	89.	खेरवा
59.	शाहपुरा	90.	दुगोरदासा
60	डेगानागांव	91.	मादवासी
61.	तिलानेस	92.	दुगोर चिकनास
62.	जावा सिसोदियां	93.	दागडी
63.	पून्दलोता	94.	दागड़ा
64.	धाणा	95.	जैकपुरा कलां
65.	लबादर	96.	जैतपुरा खुर्द
66.	गोनरड़ी	97.	अचला का खेत
67.	रामगढ़	98.	चरड़ास
68.	निनामसर	99.	खिवंताना
69.	कोरड़	100.	बामणा कलां
70.	रावलियाबास	101.	बामणां खुर्द
71.	लंगोड	102.	चांदणी
72.	गोरेडिचांचा	103.	राजापुरा
73.	ईडवा	104.	मवरिया
74.	पालियास	105.	डाबोलीमोठी
75.	आछोजाई	106.	डाबोली खारी
76.	केरियारावां	107.	कुतियासनी खुर्द
77	पूनियास	108.	कवाल
78.	सिरासना	109.	मांझी
79.	मेवलामाथर	110.	अबचर

1	2	1	2
111.	चान्दारूण	142.	मुल्तासीरे
112.	जालसूखुर्द	143.	हरसोर
113.	तामडोली	144.	गुलाबपुरा
114.	रेंवत	145	मुण्डेलपुरा
115.	चक जालसूखुर्द	146.	सूयांस
116.	टूंटाटी	147.	बोचाली
117.	झोपडी चादावता	148.	भवाण चारण
118.	डांडरिया कलां	149.	मेवड़ा
119.	राजोद	150.	खानपुरा
120.	पूनास	151.	नथावड़ा
121.	सावलियावास	152.	नथावड़ी
122.	चक सांवलियावास	153.	वेडासकलां
123.	त्रिचण	154.	बिखरनियाकलां
124.	चालियास	155.	बोखरनिया खुर्द
125.	खारिया कलां	156.	ईटावड़ा भोजा
126.	खारिया खुर्द	157.	ईटावड़ा लाडखाणे
127.	डग्यासनी	158.	सुरपुरा
128.	नेणास	159.	पालड़ीकलां
129.	निम्बोलाकलां	160.	माडंलदेवा
130.	निम्बोला पुरिहोताष	161.	खारोला का बास
131.	देवलाकलां	162.	कला का बास
132.	निम्बोला खुर्द	163.	बोठड़ा
133.	डूंगरावास	164.	पचंरण्डा खुर्द
134.	आंतरोली खुर्द	165.	नीमड़ीकलां
135.	आंतरोलीकलां	166.	नीमड़ी कोठारिया
136.	सारसण्डम	167.	माडंलजोधा
137.	जालसनानक	168.	राजलोता
138.	हिम्मत नगर	169.	रलियावता
139.	जालसूकलां	170.	भैरून्दा
140.	मोगास	171.	गोल
141.	चक जालसू कलां	172.	पाटनिया

1	2	1	2
173.	गुडाजोधा	184.	पांपलिया
174.	आलनियावास	185.	मोरियाण
175.	सुरजगढ़	186.	ओरियाणा
176.	कालनी कुमारोल	187.	राक्यासणी
177.	बाटाघाटी	188.	बरणां
178.	सूदवाड़	189.	मारली
179.	बनवाड़ा	190.	गेमलियावास
180.	डोडियाणा	191.	चौसली
181.	रोहिण्डा	192.	चुई
182.	सताणाकलां	193.	चुआ
183.	सताणी	194.	मांयास

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 295 का विवरण

पशुआहार संयंत्र की उपयोगिता क्षमता एवं लाभ-हानि का विवरण

क्र. सं.	पशुआहार संयंत्र का नाम	उपयोगिता क्षमता (प्रतिशत में)				लाभ-हानि का विवरण (लाख रुपये में)		
		1990-91	1991-92	1992-93	93-94 जन. 94 तक	1990-91	1991-92	1992-93
1.	तब्बजी (अजमेर)	27·28	27·05	33·33	33 47	(–) 42·92	(–) 18·76	(–) 6 74
2.	नदबई (भरतपुर)	18·19	21 41	21·88	23·72	(–) 11 81	(–) 2·33	(+) 1·57
3.	जोधपुर	21·67	33·94	22·22	20·12	(–) 10 53	(+) 13·54	(–) 7·75
4.	बीकानेर	46·97	62·42	35·87	42 96	(–) 19·08	(–) 4·11	(+) 2·40

नोट : उपर्युक्त चारों पशुआहार संयंत्रों का लाभ-हानि विवरण एवं बैलेन्स शीट वस्तुतः राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के अकाउन्टस में सम्मिलित की जाती है और इस प्रकार उपर्युक्त संयंत्रों के लाभ-हानि विवरण फैडरेशन में आन्तरिक मानिटरिंग की पूर्ति के उद्देश्य के लिए ही तैयार किये जाते हैं।

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं	पंक्ति सं	अशुद्ध	शुद्ध
1	17	फोलियो	माच	मार्च
2.	85	1	रघुवीर सिंह)	(श्री रघुवीर सिंह)
3.	123	15	श्री रामेश्वरलालल	श्री राशेश्वर लाल
4.	101	फोलियो	प्रश्नत्तर	प्रश्नोत्तर
5.	150	29	काय	कार्य
6.	160	29	श्री टीकमचन्कान्त	श्री टीकमचन्द कान्त
7.	166	13	श्री भंवर लल	श्री भंवरलाल
8.	199	19	समारति	समापति
9.	229	फोलियो	विधेयन	विधेयक